



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012023-243179
CG-DL-E-24012023-243179

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 23, 2023/माघ 3, 1944

No. 28]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 23, 2023/MAGHA 3, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2023

अंतिम जांच परिणाम

(मामला सं. एडी-(ओआई)-16/2021)

विषय: चीन जन.गण., ताइवान और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "रॉल अथवा शीट रूप में छोड़कर विनाइल टाइल्स" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच (भौतिक मंदता)।

फा. सं. 6/17/2021-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे "नियमावली" भी कहा गया) को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) को चीन जन.गण., ताइवान और वियतनाम (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से रॉल अथवा शीट रूप में छोड़कर विनाइल टाइल्स के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अधिनियम तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुसार

वेलस्पन फ्लोरिंग लिमिटेड (“डब्ल्यूएफएल”), वेलपसन ग्लोबल ब्रांड्स लिमिटेड (“डब्ल्यूजीबीएल”) और वेलपसन इंडिया लिमिटेड (“डब्ल्यूआईएल”) (जिन्हें यहां आगे “याचिकाकर्ता” अथवा “आवेदकों” भी कहा गया है) से एक याचिका प्राप्त हुई।

2. और जबकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर विधिवत् सिद्ध याचिका और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के मद्देनजर, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के किसी तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क, जो यदि लगाया जाए और नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की राशि की सिफारिश करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 24 जनवरी, 2022 की अधिसूचना सं. 6/17/2021-डीजीटीआर द्वारा पाटनरोधी जांच शुरु की।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यहां नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरु करने की कार्यवाही से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी याचिका प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 24 जनवरी, 2022 की सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भारत में दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी तथा उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
- घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों को याचिका के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई। याचिका के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति जहां कहीं अनुरोध किया गया था, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल के माध्यम से परिचालित की गई थी।
- ड. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मंगाने के लिए संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:
 - i. सीएफएल फ्लोरिंग (चीन) कंपनी लिमिटेड
 - ii. चिन यांग केमिकल कारपोरेशन
 - iii. डेयर जियांग्सु फ्लोरिंग प्रोडक्ट्स
 - iv. फ्लोर्क कंपनी लिमिटेड
 - v. जाये यंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - vi. जिनका फ्लोरिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
 - vii. एलजी हाउसिस लिमिटेड
 - viii. एसएस फ्लोर कंपनी लिमिटेड
 - ix. विनाइल टेक एंटरप्राइजेज कंपनी लिमिटेड
 - x. वीपीपी केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - xi. झेजियांग किंगडम प्लास्टिक्स इंडस्ट्री
- च. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र एवं प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों की सूची सहित दूतावासों को भी भेजी गई थी।

- छ. संबद्ध जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर दायर कर, उत्तर नहीं दिए हैं।
- ज. प्राधिकारी ने निम्नलिखित ज्ञात अन्य भारतीय उत्पादकों को भी आवेदन-प्रपत्र भेजा:
थाउजेंड ऑक इनोवेशन एलएलपी
मिंगल प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
रेस्पोसिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- झ. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में ज्ञात अन्य भारतीय उत्पादक ने कोई अनुरोध करते हुए उत्तर नहीं दिया है।
- ञ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावलियां भेजी:
- i. रेस्पांसिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - ii. रोसेटा प्रोडक्ट्स
 - iii. स्केयर फूट फ्लोरिंग
 - iv. सरफेस इंडिया फ्लोरिंग प्राइवेट लिमिटेड
- ट. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने और परिचालन के लिए भारत में संबद्ध सामानों की निम्नलिखित ज्ञात एसोसिएशनों को प्रश्नावली भेजी:
- i. बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
 - ii. कन्फडरेशन ऑफ रीयल एस्टेट डवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
 - iii. क्रेडई-एमसीएचआई
- ठ. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में किसी भी ज्ञात आयातक/प्रयोक्ता/एसोसिएशन ने प्रश्नावली का उत्तर दायर कर उत्तर नहीं दिया है।
- ड. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों ने अनुरोध किए हैं:
- i. अल अनवर मार्केटिंग कंपनी
 - ii. एटीएम इंटरप्राइजेज
 - iii. भल्ला कारपेट्स
 - iv. क्लासिक फ्लोरिंग एंड इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
 - v. कन्सोलिडेटेड कारपेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - vi. डिजाइन्स
 - vii. एक्सल इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
 - viii. फ्लोर सॉल्यूशंस
 - ix. ग्रीनवुड इंक
 - x. इंडियाना इंटरनेशनल कारपोरेशन फ्लोरिंग प्राइवेट लिमिटेड
 - xi. राज एजेंसीज
 - xii. आरकेपी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
 - xiii. एससी सेठ एंड संस
 - xiv. सेठ इंटरप्राइजेज
 - xv. एटीए इंटरप्राइजेज

- ढ. संबद्ध जांच के उत्तर में आरएमजी पोलीविनाइल इंडिया लिमिटेड, और चाइना नेशनल फोरेस्ट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री एसोसिएशन ने अनुरोध किए हैं।
- ण. चांगझोउ डेगे डेकोरेटिव मैटिरियल कंपनी लिमिटेड, विन टोन प्लास्टिक्स इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड और ताइपेई इकॉनामिक एंड कल्चरल सेंटर ने भारत में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में स्वयं को पंजीकृत किया।
- त. विश्व भर में कोविड-19 फैलने के कारण और भारत सहित विभिन्न देशों में लगाई गई भौतिक आवाजाही पर प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप, प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उद्योग तथा विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर परिचालित किया।
- थ. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और डीजी सिस्टम से क्षति की अवधि तथा जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देनवार ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने लेन-देनों की उचित जांच के बाद आयातों की मात्रा के परिकलन और अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- द. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध III के अनुसार भारत में संबद्ध सामानों की इष्टम उत्पादन लागत और निर्माण तथा बिक्री की लागत के आधार पर निर्धारित की गई है। यह क्षति रहित कीमत यह सुनिश्चित करने के लिए मानी गई है कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ध. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर, 2020 से 30 सितंबर, 2021 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण अवधि में 1 अप्रैल, 2018- 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019 – 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल 2020 – 31 मार्च, 2021 और जांच की अवधि शामिल है।
- न. याचिकाकर्ताओं से आवश्यक मानी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।
- प. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(6) और 10 अप्रैल, 2020 की व्यापार सूचना सं. 01/2020 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी के समक्ष अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने हेतु 18 जुलाई, 2022 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मौखिक सुनवाई आयोजित की।
- फ. जिन पक्षकारों ने उपर्युक्त मौखिक सुनवाई में भाग लिया उन सभी को यह सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद यदि कोई प्रत्युत्तर हों, तो उन्हें दायर करें। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त उन लिखित अनुरोधों तथा प्रति-उत्तरों में दिए गए तर्कों पर इस जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक विचार किया गया है।
- ब. इस जांच प्रक्रिया के दौरान वर्तमान जांच के संगत माने गए तथा साक्ष्य से समर्थित सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जांच परिणामों में उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- भ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां कहीं संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने के निर्देश दिए गए थे।
- म. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में पर्याप्त बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां रिकॉर्ड की हैं।

- य. इस जांच में अनिवार्य तथ्यों से युक्त एक प्रकटन विवरण, जो वर्तमान अंतिम जांच परिणाम का आधार बनता है, हितबद्ध पक्षकारों को 06.01.2023 को जारी किया गया था। घरेलू उद्योग द्वारा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात् विवरण के अनुरोधों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।
- कक. प्राधिकारी ने उठाए गए सभी तर्कों और इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना पर वर्तमान जांच के लिए साक्ष्य से समर्थित होने और संगत माने जाने की सीमा तक विचार किया है।
- खख. इस अधिसूचना में “****” गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- गग. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1अमरीकी डॉलर=74.53 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:-
- “4. वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद “रोल या शीट रूप से इतर विनायल टायल” है। बाजार शब्दावली में विचाराधीन उत्पाद को लज्जरी विनायल टाइल्स, लज्जरी विनायल फ्लोरिंग, स्टोन प्लास्टिक कंपोजिट, एसपीसी, पीवीसी फ्लोरिंग टाइल्स, पीवीसी टाइल्स अथवा रिजिड विनायल टाइल्स, रिजिड विनायल फ्लोरिंग के रूप में जाना जाता है और वर्तमान याचिका में इसे लज्जरी विनायल टाइल्स अथवा एलवीटी कहा गया है। लज्जरी विनायल टाइल्स क्लिक और लॉक तंत्र सहित या उसके बिना हो सकती हैं। लज्जरी विनायल टाइल्स ऐसे विनायल प्रकार के लिए उद्योग में सामान्यतः प्रयुक्त होता है जो प्रयोग और कार्य निष्पादन में सुधार के लिए एक अतिरिक्त परत के साथ प्राकृतिक सामग्रियों के दृश्य की वास्तविक रूप से नकल करता है। विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में फर्श को कवर करने में होता है।
5. विचाराधीन उत्पाद शीर्ष 3918 के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 39 के तहत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद का समर्पित सीमाशुल्क वर्गीकरण नहीं है। यद्यपि विचाराधीन उत्पाद 39181090 के तहत वर्गीकरण योग्य है, तथापि, आवेदकों ने दावा किया है कि उत्पाद का आयात कोड 39181010, 39189010, 39189020 और 39189090 के तहत भी हो रहा है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नलिखित हैं:-
- क. विचाराधीन उत्पाद भ्रामक और विरोधाभासी है और इस संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि क्या पीवीसी और कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों विचाराधीन उत्पाद के लिए आवश्यक हैं।
- ख. विचाराधीन उत्पाद में शामिल नए तत्वों की पहचान की जानी चाहिए।
- ग. इस संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि क्या विनाइल टाइल्स को रोल किया जा सकता है तथा टाइलों की किस्में रॉल फार्म में उत्पादित अथवा बेची जा सकती हैं और क्या याचिकाकर्ता उसका विनिर्माण कर रहे हैं, ऐसे उत्पाद का स्वरूप स्पष्ट किया जाना चाहिए।
- घ. यह स्पष्ट किया जाना चाहिए क्या कैल्शियम कार्बोनेट सीएसीओ3 10 प्रतिशत से अधिक विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में बाहर किया गया है अथवा शामिल किया गया है।
- ड. भारत में विनाइल फ्लोरिंग के विगत में भी उत्पादक थे। इसके अतिरिक्त, विनाइल फ्लोरिंग टाइल्स का भारत में उत्पादन आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा अपने प्रचालन शुरू करने से पूर्व भी किया जाता था। हाल ही में शुरू किया गया उत्पाद स्टोन प्लास्टिक कंपोजिट टाइल (एसपीसी) है जो विनाइल टाइलों का उच्चतर रूपांतर है। अतः, न तो यह अनुमति योग्य होगा और न ही नए उत्पाद के रूप में पूर्ण विनाइल फ्लोरिंग टाइल की श्रेणी में रखने के लिए उपयुक्त होगा।
- च. चूंकि सभी टाइलों का विनिर्माण एक ही विनिर्माण प्रक्रिया का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। अतः घरेलू उद्योग से उससे संबंधित सूचना अपेक्षित है।

- छ. यह स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है कि क्या 2.5 एमएम से कम और 8 एमएम से अधिक की मोटाई वाली विनाइल टाइलें, पिछले भाग पर जिन टाइलों पर कुशनी की आवश्यकता नहीं होती है, जिन टाइलों को संस्थापित करने के लिए ग्लू की आवश्यकता होती है, जिन टाइलों पर संस्थापन के समय क्लिक और लॉक सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है तथा क्लिक विनाइल प्लांक 4.20 एमएम को कवर करने वाले पीवीसी फ्लोर, को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया है।
- ज. याचिकाकर्ताओं ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वर्जिन और रिसाइकिल्ड पीवीसी, दोनों का प्रयोग करके विनिर्मित विनाइल टाइलें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल हैं।
- झ. फैलेक्सीबल विनाइल टाइल्स को उत्पाद क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग उसका उत्पादन नहीं कर रहा है। इन टाइलों में कुशन की आवश्यकता नहीं होती है और बिछाने के समय एडेसिव की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता रिजिड टाइलों का उत्पादन करते हैं।
- ञ. साफ्ट फ्लोरिंग का अर्थ और क्या ये विचाराधीन उत्पाद का भाग बनते हैं, अस्पष्ट है।
- ट. 4 एमएम से कम की मोटाई वाली विनाइल टाइलें अलग की जानी चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा उनका उत्पादन नहीं किया जाता है और बिछाने के समय कुशन की आवश्यकता नहीं होती है।
- ठ. बिछाते समय जिन विनाइल टाइलों को एडेसिव की आवश्यकता होती है, उन्हें उत्पाद क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग द्वारा उनका विनिर्माण नहीं किया जाता है क्योंकि घरेलू उद्योग केवल उन रिजिड विनाइल टाइलों का उत्पादन कर रहा है, जिनके लिए बिछाते समय कुशन की आवश्यकता होती है।
- ड. घरेलू उद्योग की वेबसाइट स्पष्ट रूप से यह बताती है कि वह क्लिक और लॉक यंत्रावली को छोड़कर विनाइल टाइल के किसी भी अन्य रूप का उत्पादन नहीं कर रहा है।
- ढ. घरेलू उद्योग को उन सभी उत्पादों के बीजक उपलब्ध कराने चाहिए जिनके लिए विचाराधीन उत्पाद क्षेत्र से हटाए जाने का अनुरोध किया गया है। अधिकरण के विभिन्न निर्णयों और विभिन्न मामलों में प्राधिकारी के विगत जांच परिणामों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए उत्पादों को ही उत्पाद क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है।
- ण. यह अनुरोध है कि 2.5 एमएम से कम की मोटाई को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा किसी अन्य तरीके में प्रतिबंधित नहीं करती। 2.5 एमएम से कम की मोटाई की रेंज को हटाने से कुछ नहीं होगा बल्कि गलत घोषणा के तरीके से सीमा शुल्कों की प्रवंचना का क्षेत्र सुकर होगा तथा हमारी तरह घरेलू उत्पादकों को असमय क्षति होगी।

ग.2 आवेदकों के विचार

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू आवेदकों के अनुरोध निम्नलिखित हैं:
- क. विचाराधीन उत्पाद रॉल अथवा शीट रूप से इतर, विनाइल टाइल है जो 0.15 एमएम से 0.7 एमएम के बीच की मोटाई वाली संरक्षी परत के साथ 2.5 एमएम से 8 एमएम के बीच की मोटाई की टाइल (बिना कुशन) वाली हैं।
- ख. चूंकि टाइलों की मोटाई में उत्पाद प्रक्रिया के दौरान थोड़ा सा अंतर हो सकता है अतः 5 प्रतिशत टालरेंस मानने की आवश्यकता है।
- ग. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत याचिकाकर्ताओं ने 2.5 एमएम मोटाई वाली टाइलों की काफी मात्रा बेची है। अतः, 4एमएम से कम की मोटाई वाली टाइलों को अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- घ. विचाराधीन उत्पाद में कुशन हो सकता है और कुशन नहीं भी हो सकता है। यह कुशन आईएक्सपीई फोम, पीयू, कॉर्क, ईवीए, नॉन-वोवन, एसबीआर आदि के रूप में हो सकता है।
- ड. विचाराधीन उत्पाद में क्लिक और लॉक यंत्र के साथ अथवा उसके बिना विनाइल टाइलें शामिल हैं। क्लिक और लॉक यंत्र के बिना विनाइल टाइलों में संस्थापन के लिए ग्लू अथवा अन्य एडेसिव की आवश्यकता हो सकती है और इस प्रकार इन्हें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया है।
- च. बाजार क्षेत्र में विचाराधीन उत्पाद फोल्ड अथवा रॉल किए जाने की उसकी अक्षमता के कारण रिजिड विनाइल टाइल्स कहा जाता है। तथापि, रिजिड का अर्थ यह नहीं है कि वह उत्पाद पूरी तरह से लचीला नहीं है। लचीलापन

टाइलों की मोटाई और लंबाई पर निर्भर करता है। लचीली और रिजिड, दोनों टाइलें विचाराधीन उत्पाद का भाग हैं। लचीला और रिजिड सापेक्ष शब्द हैं और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किए जा सकते।

- छ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत पीसीएन के प्रयोजन के लिए रिसाइकिल्ड और वर्जिन पीवीसी के प्रयोग के बीच विभाजन की आवश्यकता नहीं है। रिसाइकिल्ड पीवीसी के प्रयोग की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि एडेसिव और वांछित गुणवत्ता के लिए पीवीसी का मिश्रण आवश्यक है। यद्यपि उत्पादक अपने कचरे को रिसाइकिल करते हैं तथापि वे बाजार से नहीं खरीदते क्योंकि ऐसी सामग्री की गुणवत्ता और संमिश्रण ज्ञात नहीं होता है।
- ज. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन डोलोमाइट, मार्बल पावडर, स्टोन पाउडर, लाइन स्टोन, कैल्साइट आदि जैसे किसी भी रूप में पीवीसी और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करके किया जाता है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे किसी उत्पाद की पहचान नहीं की है, जिसका भारत में आयात किया जाता है और जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट अथवा फ्लाई ऐश नहीं होता।
- झ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, याचिकाकर्ताओं ने याचिका में यह उल्लेख किया है कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कैल्शियम कार्बोनेट अथवा फ्लाई ऐश के साथ किया जा सकता है।
- ञ. चूंकि उत्पाद नए स्तर पर है, अतः कुशन, सेल्फ-एडेसिव, ध्वनि अवशोषण/शोर न्यूनीकरण, हाई-ग्लोस, मैट और फिल मैट सर्फेस, एंटी-माइक्रोबायल, एंटी-वायरल और गंध-रोधी गुण-धर्म जैसे नए घटक तथा उस सामग्री का प्रयोग, जिससे संबद्ध सामानों को आसानी से साफ किया जा सकता है, उपभोक्ता की प्राथमिकताओं के आधार पर शामिल किया गया है। ये घटक अंतिम नहीं हैं और निरंतर अनुसंधान एवं विकास किया जा रहा है। ये केवल उत्पाद को परिभाषित करने के लिए हैं और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।
- ट. किसी भी रूप में पीवीसी का प्रयोग का विनिर्मित संबद्ध सामान विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं। वर्जिन अथवा रिसाइकिल्ड सामग्री का प्रयोग अंतिम उत्पाद को भिन्न नहीं बनाता।
- ठ. आयात पृथक्करण के प्रयोजन के लिए याचिकाकर्ताओं ने 10 प्रतिशत से कम सीएसीओ3 की मात्रा वाले लेन-देनों को अलग किया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को इस उत्पाद की जानकारी नहीं है। यदि 10 प्रतिशत से कम सीएसीओ3 वाले विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद हैं तो अन्य हितबद्ध पक्षकारों को चाहिए कि वे याचिकाकर्ताओं के लिए संगत टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु उसकी पहचान करें।
- ड. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र का निर्णय लेने के लिए उत्पाद प्रक्रिया संगत नहीं है। प्राधिकारी ने माना है कि विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया का प्रयोग करके उत्पादित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद का भाग हो सकता है, यदि उसमें तुलनीय गुण-धर्म हों। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने संभावित भिन्न प्रक्रिया के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है जिससे वह विचाराधीन उत्पाद है।
- ढ. साफ्ट फ्लोरिंग में कारपेट टाइल, वाल-टू-वाल, कृत्रिम घास जैसे उत्पाद शामिल होते हैं। इनका विनिर्माण यार्न, वोवन और लेटेक्स पैकिंग के साथ नॉन-वोवन का प्रयोग करके किया जाता है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल नहीं है।
- ण. विनाइल प्लक्स आयताकार में विनाइल टाइल है और इस प्रकार 2.5 एमएम – 8 एमएम के बीच की मोटाई वाले प्लक्स विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल हैं।
- त. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आयातित संबद्ध सामान समान वस्तु हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित सामान में कोई ज्ञात अंतर नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 0.15 एमएम से 0.7 एमएम की रेंज में मोटाई वाली संरक्षी परत के साथ 8 एमएम की अधिकतम टाइल मोटाई और 2.5 एमएम की न्यूनतम टाइल मोटाई वाली, रॉल अथवा शीट रूप से इतर, विनाइल टाइल है। टाइल के मोटाई में कुशन की मोटाई शामिल नहीं है। विचाराधीन उत्पाद एचएस कोड 39181090 के अन्तर्गत वर्गीकृत है। तथापि विचाराधीन उत्पाद का आयात 39181010, 39189010,

39189020 और 39189090 के तहत भी किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

8. प्राधिकारी ने आवेदकों और विभिन्न अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर निम्नलिखित पीसीएन पद्धति तैयार की है:

क्र.सं.	मापदंड	रेंज	कोड
1	टाइल की मोटाई (दो अंक)	2.5एमएम से 3एमएम तक	23
		3एमएम से अधिक 4 एमएम तक	34
		4एमएम से अधिक 5 एमएम तक	45
		5एमएम से अधिक 6 एमएम तक	56
		6 एमएम से अधिक 7 एमएम तक	67
		7 एमएम से अधिक 8 एमएम तक	78
2	संरक्षण/वीयरलेयर की मोटाई (तीन अंक)	0.15एमएम से 0.2एमएम तक	152
		0.2 एमएम से अधिक 0.3 एमएम तक	203
		0.3 एमएम से अधिक 0.5 एमएम तक	305
		0.5 एमएम से अधिक 0.7 एमएम तक	507
3	प्रिंटलेयर की स्टाइल/डिजिटल प्रिंटिंग(दो अंक)	टाइल पर सीधे प्रिंटिंग	डीपी
		टाइल पर पेस्ट की गई प्रिंटलेयर	पीएल
4	कुशन (दो अंक)	कुशन के साथ	डब्ल्यूसी
		कोई कुशन नहीं	एनसी
5	क्लिक और लॉक यंत्र की किस्म (दो अंक)	हां	सीवाई
		नहीं	सीएन
6	प्रयुक्त वर्जिन पीवीसी अथवा रिसाइकिल्ड (एक अंक)	प्रयुक्त वर्जिन पीवीसी	वी
		प्रयुक्त रि-साईकिल्ड पीवीसी	आर

तथापि, जांच के दौरान यह नोट किया जाता है कि डीजी सिस्टम के लेन-देनवार आंकड़ों में सभी लेन-देनों में पीसीएन के पूर्ण विवरण का उल्लेख नहीं है। पीसीएन का प्रयोजन घरेलू उद्योग के उत्पादन का निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों से एक-एक करके तुलना करना है। इस मामले में, संबद्ध देशों के उत्पादक/निर्यातक ने भाग नहीं लिया है। इसके अतिरिक्त, यहां तक कि यद्यपि कुछ आयातकों ने कुछ पीसीएन-वार सूचना प्रस्तुत की। तथापि इसमें कुल आयातों का पर्याप्त हिस्सा नहीं है। उपर्युक्त कठिनाई के मद्देनजर पीसीएन-वार विश्लेषण नहीं किया गया है।

9. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में क्लिक और लॉक यंत्र तथा कुशन के साथ और उनके बिना विनाइल टाइल्स शामिल हैं। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की है कि क्या जिन विनाइल टाइलों में संस्थापन के लिए ग्लू की आवश्यकता होती है, उन्हें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ग्लू का प्रयोग उत्पाद का घटक नहीं है बल्कि संस्थापन के चरण में ही उसकी भूमिका होती है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार क्लिक और लॉक प्रौद्योगिकी के बिना विनाइल टाइल्स को संस्थापन के लिए एडेसिव की आवश्यकता होती है। क्लिक और लॉक प्रौद्योगिकी के बिना विनाइल टाइलों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रॉल अथवा शीट रूप से इतर विनाइल टाइल्स भारतीय बाजार में एक नया उत्पाद है। यह उत्पाद आरंभिक स्तर पर है और संबद्ध सामानों के लिए उत्पादन केवल क्षति की अवधि के दौरान भारत में शुरू हुआ है। भारत में संबद्ध सामानों की मांग भारत में घरेलू उत्पादन शुरू होने से पूर्व विचाराधीन उत्पाद के आयातों द्वारा पूरी की जाती थी।

11. विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण किसी रूप में पीवीसी और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करके किया जाता है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की है कि क्या रिसाइकिल पीवीसी का प्रयोग करके विनिर्मित विनाइल टाइलें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू उद्योग अपने अपशिष्ट के रूप में पीवीसी में रिसाइकिल और वर्जिन पीवीसी का प्रयोग करता है तथापि वह बाजार से रिसाइकिल पीवीसी नहीं लेता है। किसी भी दशा में, यह नोट किया जाता है कि विभिन्न कच्ची सामग्री का प्रयोग इस उत्पाद को भिन्न नहीं बनाता और इसीलिए वर्तमान मामले में रिसाइकिल तथा वर्जिन पीवीसी का प्रयोग करके विनिर्मित सामान विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। साफ्ट फ्लोरिंग को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया है क्योंकि इसका विनिर्माण पीवीसी और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करके नहीं किया जाता है।

12. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि याचिकाकर्ताओं से उत्पाद में शामिल किए जा रहे नए घटकों को स्पष्ट करने के लिए कहा जाना चाहिए। उत्तर में याचिकाकर्ताओं ने यह स्पष्ट किया है कि यह उत्पाद अभी आरंभिक स्तर पर है जिसके कारण इसके घटक एक समयावधि में विकसित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, यद्यपि पूर्व में इस उत्पाद की बिक्री बिना कुशन के की जा रही थी, तथापि अब कुशनयुक्त उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने किसी उत्पाद विशिष्ट घटक का दावा नहीं किया है जिसके आधार पर इसे हटाए जाने की मांग की गई है और इस प्रकार उत्पाद के क्षेत्र में इस कारण किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

13. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या विनाइल प्लक्स विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विनाइल प्लक्स आयताकार में टाइले हैं और इसीलिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं।

14. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि लचीली टाइलों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि लचीली टाइलों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई सूचना दायर नहीं की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिजिड टाइलों में भी लचीलेपन का एक घटक है और लचीलापन वह घटक है जो विनाइल टाइलों की मोटाई और लंबाई से आता है। 2.5 एमएम की विनाइल टाइल 8 एमएम की विनाइल टाइल से अधिक लचीली है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि संबद्ध सामान फोल्डेड अथवा रॉल होने में अक्षमता के कारण बाजार क्षेत्र में रिजिड विनाइल टाइलों के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार, टाइलों के लचीलेपन के आधार पर इसे हटाया जाना आवश्यक नहीं है।

15. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि हटाए जाने के लिए अनुरोध किए गए उत्पाद की तकनीकी विशिष्टताएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं की जा सकती।

16. इस तर्क के संबंध में कि क्या याचिकाकर्ता रॉल फार्म में उत्पादों का विनिर्माण कर रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद रॉल अथवा शीट फार्म में विनाइल टाइलों को अलग करता है। याचिकाकर्ताओं ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध सामान रॉल फार्म में नहीं हो सकते क्योंकि उत्पाद की रॉलिंग अथवा फोल्डिंग से उत्पाद में दरारें आ जाएंगी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता केवल रॉल अथवा शीट फार्म से इतर विनाइल टाइलों का उत्पादन करते हैं और इसीलिए इन्हें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग रखा गया है।

17. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, प्रकार्य और प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किया है और कर रहे हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा विनिर्मित उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देशों से भारत में आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

18. अतः, वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 0.15 एमएम से 0.7 एमएम की रेंज में मोटाई वाली संरक्षी परत के साथ 8 एमएम की अधिकतम टाइल मोटाई और 2.5 एमएम की

न्यूनतम टाइल मोटाई वाली “रॉल अथवा शीट फार्म से इतर विनाइल टाइल” है। टाइल की मोटाई में कुशन की मोटाई शामिल नहीं है। बाजार क्षेत्र में विचाराधीन उत्पाद लज्जरी विनाइल टाइल, लज्जरी विनाइल फ्लोरिंग, स्टोन प्लास्टिक कम्पोजिट, एसपीसी, पीवीसी फ्लोरिंग टाइल, पीवीसी टाइल्स या रिजिड विनाइल टाइल, रिजिड विनाइल फ्लोरिंग के रूप में जाना जाता है और वर्तमान जांच परिणाम में लज्जरी विनाइल टाइल अथवा एलवीटी के रूप में उल्लिखित किया गया है। लज्जरी विनाइल टाइल क्लिक अथवा लॉक यंत्र के साथ अथवा बिना उसके हो सकती हैं। लज्जरी विनाइल टाइल उस विनाइल की किस्म के लिए आमतौर पर उद्योग द्वारा प्रयुक्त शब्द है जो वास्तव में घिसाई और निष्पादन में सुधार लाने के लिए बढ़ाई गई परत के साथ प्राकृतिक सामग्री की दिखावट बताती है। विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में फर्शों की कवरिंग के लिए किया जाता है। *विचाराधीन उत्पाद शीर्ष 3918 के अंतर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 39 के तहत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद का समर्पित सीमाशुल्क वर्गीकरण नहीं है। यद्यपि विचाराधीन उत्पाद 39181090 के तहत वर्गीकरण योग्य है, तथापि, आवेदकों ने दावा किया है कि उत्पाद का आयात कोड 39181010, 39189010, 39189020 और 39189090 के तहत भी हो रहा है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।*

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

19. घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

- क. यह स्पष्ट नहीं है कि नियम 2(ख) के तहत एक व्यापारी के रूप में डब्ल्यूजीबीएल को घरेलू उद्योग के क्षेत्र में कैसे शामिल किया जा सकता है। इस संबंध में, डब्ल्यूजीबीएल के व्यापारिक प्रचालनों के व्यौरों पर विचार किया जा सकता है कि क्या उनके पास डब्ल्यूएफएल के उत्पाद को बेचने के विशिष्ट अधिकार हैं और क्या वे अन्य उत्पाद बेचते हैं।
- ख. यह बात दोहराई जाती है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार केवल एक उत्पादक ही घरेलू उद्योग का भाग बनने का पात्र है। चूंकि नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग के भाग के रूप में “व्यापारी” की परिकल्पना नहीं है अतः घरेलू उद्योग के भाग के रूप में उनकी मूल कंपनी (डब्ल्यूआईएल) के व्यापारिक अंग (डब्ल्यूजीबीएल) पर विचार करने के लिए आवेदक उद्योग (डब्ल्यूएफएल) का कोई प्रयास झूठा, गलत माना गया और कानून के समर्थन के बिना है और इसीलिए इसे सीधे ही रद्द किया जाना चाहिए।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत मामले के संबंध में यह अनुरोध है कि उद्धृत मामले का इस मामले पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि नियम 2(ख) घरेलू उद्योग के क्षेत्र से संबंधित है जिसमें उद्धृत मामला एकल आर्थिक कंपनी के तहत किसी निर्यातक से पूरे उत्तर की स्थिति से संबंधित है। अतः, उद्धृत मामले का इस मामले पर कोई प्रभाव नहीं है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग एक भी उदाहरण देने में विफल रहा, जहां प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के भाग के रूप में व्यापारी को माना है अथवा क्षति विश्लेषण या क्षति मार्जिन के लिए उसके खर्चों को शामिल किया है। उपर्युक्त के मद्देनजर यह विनम्र अनुरोध है कि वर्तमान जांच में डब्ल्यूएफएल और डब्ल्यूजीबीएल को एकल आर्थिक कंपनी के रूप में नहीं माना जा सकता। उत्तरदाता माननीय प्राधिकारी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे कृपया घरेलू उद्योग के अनुरोध को रद्द करें।
- घ. उपर्युक्त तथा घरेलू उद्योग के कानूनी रूप से असंधारणीय अनुरोध के पूर्वाग्रह के बिना यह अनुरोध है कि आवेदक उद्योग का यह दावा कि व्यापारिक कंपनी को घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए, भी तथ्यों के किसी औचित्य के बिना है। इस संदर्भ में, प्राधिकारी का ध्यान उनकी वार्षिक रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि संबद्ध पक्षकारों के साथ उनके सभी लेन-देन समिपष्ट कीमतों के आधार पर हैं। मामला ऐसा होने पर आवेदक के लिए कानूनी तौर पर और संकल्प मात्र रूप से प्राधिकारी से यह अनुरोध करने का पूर्णतः कोई आधार नहीं है कि वे क्षतिरहित कीमत परिकलन के लिए अथवा क्षति विश्लेषण के लिए डब्ल्यूजीबीएल से संबंधित किसी आंकड़े पर विचार करें।
- ड. यह अनुरोध है कि चूंकि डब्ल्यूएफएल अपनी संबद्ध कंपनी को आस-पास (जैसा कि उनकी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित है) की कीमतों पर संबद्ध सामानों की बिक्री कर रहा है। अतः, प्राधिकारी को उनकी कीमतों पर विचार करना चाहिए जिन पर डब्ल्यूएफएल ने डब्ल्यूजीबीएल को संबद्ध सामानों की बिक्री की है।

- च. यह भी अनुरोध है कि आवेदक उद्योग ने नियम 2(ख) के क्षेत्र को गलत रूप से बराबर माना है, जो “एकल आर्थिक कंपनी” की अवधारणा के साथ घरेलू उद्योग के क्षेत्र का निर्णय लेने के लिए है, जोकि केवल किसी निर्यातक के संदर्भ में ही संगत है।
- छ. यद्यपि याचिका घरेलू उद्योग की ओर से किसी किसी तीसरे पक्षकार द्वारा दायर की जा सकती है तथापि तीसरा पक्षकार घरेलू उद्योग का भाग नहीं बन सकता।
- ज. मिंगल प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड और आरएमजी पोलीविनाइल 2015 से संबद्ध सामानों का उत्पादन करते आ रहे हैं।
- झ. डब्ल्यूएफएल की वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि कंपनी ने 2019-20 के दौरान केवल व्यापारिक बिक्री की।

घ.2 आवेदकों के विचार

20. घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में, याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. यह याचिका वेलस्पन ग्रुप द्वारा दायर की गई है जिसमें विनिर्माण कंपनी डब्ल्यूएफएल और विक्रेता कंपनी डब्ल्यूजीबीएल शामिल हैं। डब्ल्यूआईएल दोनों डब्ल्यूएफएल और डब्ल्यूजीबीएल की धारक कंपनी है।
- ख. डब्ल्यूएफएल संबद्ध सामानों का विनिर्माता है और उसने एक करार किया है जिससे केवल डब्ल्यूजीबीएल अपने उत्पादों की बिक्री करेगा। चूंकि दोनों कंपनियों के बीच अंतरण कीमत लागत प्लस फार्मूला पर आधारित है, अतः घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सा, बिक्री कीमत, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय संबंधी वास्तविक सूचना सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यूजीबीएल के आंकड़ों को मानने की आवश्यकता है।
- ग. डब्ल्यूआईएल, डब्ल्यूएफएल और डब्ल्यूजीबीएल एक एकल आर्थिक कंपनी के रूप में कार्य करते हैं। डब्ल्यूआईएल धारक कंपनी है, डब्ल्यूएफएल उत्पादन में लगी हुई है और डब्ल्यूजीबीएल, डब्ल्यूएफएल का विपणन एवं बिक्री कार्य करके डब्ल्यूएफएल के विस्तारित अंग के रूप में कार्य करता है।
- घ. डब्ल्यूजीबीएल [***] जैसे उत्पादन के लिए आकस्मिक एवं आवश्यक कार्य करता है।
- ङ. डब्ल्यूजीबीएल [***] के लिए काफी खर्च करता है।
- च. डब्ल्यूएफएल द्वारा निष्पादित क्रियाकलापों में [***] शामिल हैं।
- छ. चूंकि डब्ल्यूएफएल की डब्ल्यूजीबीएल को बिक्री कीमत अंतरण कीमत पर आधारित है अतः वह बाजार में वास्तविक बिक्री कीमत नहीं दर्शाती है।
- ज. डब्ल्यूजीबीएल की बिक्री कीमत और डब्ल्यूजीबीएल द्वारा किए गए खर्चों पर वास्तविक बिक्री कीमत/बाजार कीमत का मूल्यांकन करने के लिए विचार किया जाना है।
- झ. डब्ल्यूएफएल की डब्ल्यूजीबीएल को अंतरण कीमत उनके बीच करार के अनुसार निर्धारित की जाती है और बाजार बलों से प्रभावित नहीं होती हैं। आयात कीमत ने डब्ल्यूजीबीएल की कीमत प्रभावित की है और डब्ल्यूएफएल के सामने कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- ञ. इसके अतिरिक्त डब्ल्यूआईएल, धारक कंपनी के समेकित लेखों में डब्ल्यूएफएल और डब्ल्यूजीबीएल की अंतरण कीमत का कोई प्रभाव नहीं है। एकल कानूनी कंपनी की संकल्पना का कंपनी अधिनियम और सूचीयन करार द्वारा पालन किया जाता है और तदनुसार डब्ल्यूएफएल और डब्ल्यूजीबीएल के बीच लेन-देन समेकित लेखा बहियों में नहीं दर्शाए जाते हैं।
- ट. समीपस्त आधार पर अंतरण कीमत का अर्थ यह नहीं है कि कीमत बाजार बलों के अनुसार निर्धारित की जाती है। आयकर अधिनियम के तहत, समीपस्त कीमतें विभिन्न पद्धतियों के अनुसार निर्धारित की जा सकती हैं। यद्यपि पाटनरोधी जांचों में कीमत के लिए प्रतिस्पर्धा की मौजूदगी पूर्वपेक्षा है, तथापि प्रतिस्पर्धा के अभाव में भी अंतरण कीमत मौजूद रह सकती है।
- ठ. केवल डब्ल्यूएफएल को घरेलू उद्योग मानना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि उत्पादन और बिक्री के संबंध में काफी खर्चे डब्ल्यूजीबीएल द्वारा भी किए जाते हैं।

- ड. कंपनी अधिनियम के तहत समीपस्त के रूप में मानी गई कीमत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि जब समीपस्त कीमत पर कच्ची सामग्री की खरीद किसी उत्पादक द्वारा घोषित की जाती है तो प्राधिकारी इस संबंध में अपनी जांच करते हैं। विभिन्न कानून के तहत मूल्यांकन को प्राधिकारी द्वारा तथा जीएफएल बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टेट द्वारा असंगत माना गया है।
- ढ. चूंकि प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध पक्षकारों के बीच कीमत पाटन के निर्धारण के लिए आधार नहीं बन सकती, अतः वह क्षति के निर्धारण और क्षति मार्जिन के लिए आधार नहीं बन सकती।
- ण. चूंकि निवल निर्यात कीमत और क्षति रहित कीमत दोनों कारखानागत स्तर पर निर्धारित की जाती हैं, अतः पाटन मार्जिन और घरेलू उद्योग बनने के प्रयोजन के लिए संबद्ध पक्षकारों को मानना भिन्न नहीं हो सकता।
- त. प्राधिकारी आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमावली, सीमा शुल्क अधिनियम और निर्यातक देश के कीमत निर्धारण कानूनों के अध्यधीन होने पर संबद्ध आयातक द्वारा दी गई कीमत के बावजूद स्वतंत्र क्रेता को कीमत पर विचार करते हैं। यही परिपाटी घरेलू उद्योग के लिए लागू होनी चाहिए।
- थ. मानक प्रचालन प्रक्रिया की नियम पुस्तक में यह उल्लेख है कि एकल आर्थिक कंपनियों के मामले में संबद्ध व्यापारिक कंपनी के अप्रत्यक्ष एसजीए खर्चे ओसीटी परीक्षण के लिए उत्पादन लागत में जोड़े जाएंगे क्योंकि उत्पादन लागत की संबद्ध व्यापारिक कंपनी की बिक्री कीमत से तुलना की जाएगी।
- द. नियत बिक्री खर्चों पर अनुबंध-III और प्राधिकारी की विगत परिपाटी के अनुसार क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए विचार किया जाता है। निर्माण और बिक्री लागत भी डब्ल्यूजीबीएल के आंकड़ों पर विचार करके ही निर्धारित की जा सकती है।
- ध. निर्यातक द्वारा किए गए बिक्री खर्चों को निर्यात कीमत अथवा सामान्य मूल्य के निर्धारण में कम नहीं किया जाता है, यद्यपि वे कारखानागत स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करते समय उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए।
- न. चूंकि प्राधिकारी पहुंच कीमत निर्धारित करने के लिए निर्यातकों द्वारा किए गए बिक्री खर्चों को कम नहीं कर रहे हैं, अतः उचित तुलना के लिए घरेलू उद्योग के बिक्री खर्चों को भी क्षति रहित कीमत से कम नहीं किया जा सकता।
- प. इस मामले में प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से बिक्री खर्चों को हटाने का निर्णय लेते हैं, अतः उन्हें भी पहुंच कीमत से कम किया जाना चाहिए।
- फ. यदि संबद्ध कंपनियों के बीच अंतरण कीमत को अंतिम बिक्री कीमत माना जाता है तो इससे भविष्य में कानून का दुरुपयोग होगा जिसमें घरेलू उत्पादक क्षति का दावा करने के लिए संबद्ध पक्षकारों को बिक्री के माध्यम से उत्पाद की कीमतों का कृत्रिम रूप से न्यूनीकरण कर सकते हैं।
- ब. पाटनरोधी जांचों में भारत में और वैश्विक रूप से संबद्ध पक्षकारों को एकल आर्थिक कंपनी माना जाता है। दो या अधिक कंपनियां प्रतिस्पर्धी कानूनों के लिए भी एकल कंपनी बना सकते हैं।
- भ. ग्लास फाइबर के मामले में, प्राधिकारी ने एकल आर्थिक कंपनी की संकल्पना लागू की और दो संबद्ध घरेलू उत्पादकों को एकल आर्थिक कंपनी के रूप में माना गया था। यही सिद्धांत इस मामले में भी अपनाया जाना चाहिए।
- म. प्राधिकारी विदेशी उत्पादक और संबद्ध आयातक को एकल आर्थिक कंपनी मानते हैं और निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए उनके बीच लेन-देन की कीमत की अनदेखी करते हैं।
- य. यहां तक कि संबद्ध उत्पादक और निर्यातक पाटनरोधी जांच में एकल आर्थिक कंपनी माने जाते हैं और एकल शुल्क प्रदान किया जाता है।
- कक. एकल आर्थिक कंपनी का सिद्धांत घरेलू उद्योग की परिभाषा में ही स्पष्ट है जिसमें पृथक कानूनी कंपनी होने के बावजूद यह माना जाता है कि घरेलू उत्पादक के संबद्ध आयातक अथवा निर्यातक के व्यापार में निहित स्वार्थ हैं और इस प्रकार, वह घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग से बाहर किया जा सकता है।
- खख. यद्यपि आयातों से डब्ल्यूजीबीएल की कीमतें प्रभावित हुई हैं, तथापि डब्ल्यूएफएल बाजार कीमत से अंतर-निहित हुआ है। डब्ल्यूएफएल के लिए मार्जिन का निर्धारण यह दर्शाता है कि लेन-देन स्वतंत्र पक्षकारों के बीच का नहीं है।

- गग. उत्पादक शब्द आवश्यक रूप से एकल कानूनी कंपनी दर्शाने वाला नहीं बन सकता। कानून को उस तरीके में पढ़ा जाना चाहिए जिससे कानून के आशय की पराजय ना हो। यदि डब्ल्यूजीबीएल को घरेलू उद्योग के क्षेत्र से अलग किया जाता है तो इससे आयातों के कारण हुई क्षति से डब्ल्यूजीबीएल की सुरक्षा करने के लिए कानून का उद्देश्य पराजित होगा।
- घघ. यदि डब्ल्यूजीबीएल को घरेलू उद्योग के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं माना जाता है तो क्षति विश्लेषण बेकार हो जाएगा क्योंकि उसे उत्पादन और बिक्री के आधार पर होना चाहिए। कीमत कटौती, बिक्री और बाजार हिस्से का मूल्यांकन डब्ल्यूजीबीएल के आंकड़ों के आधार पर ही किया जा सकता है। कीमत न्यूनीकरण/ह्रास, लाभ, निवेश पर आय, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और नियोजित पूंजीगत आय जुटाने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए डब्ल्यूजीबीएल और डब्ल्यूएफएल दोनों के आंकड़ों पर विचार किया जाना है।
- इइ. चूंकि केवल डब्ल्यूजीबीएल आयातों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, अतः क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क का मूल्यांकन डब्ल्यूजीबीएल के लिए आंकड़ों के आधार पर ही किया जा सकता है।
- चच. घरेलू उद्योग की परिभाषा बिक्री पर विचार किए बिना सामानों के उत्पादन में लगी हुई कंपनी को ही मानने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता। जैसाकि लौह अयस्क मेटलर्जिकल कोक के मामले में माना गया है।
- छछ. डब्ल्यूएफएल और डब्ल्यूजीबीएल ने उत्पादन और बिक्री की प्रक्रिया के संबंध में तुलनीय खर्च (खरीद को छोड़कर) किए हैं और इस प्रकार प्रक्रिया में योगदान किया है।
- जज. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, डब्ल्यूएफएल की वार्षिक रिपोर्टों में टंकण की त्रुटि है। डब्ल्यूएफएल व्यापार में नहीं लगा हुआ है बल्कि संबद्ध सामान के उत्पादन में है।
- झझ. डब्ल्यूजीबीएल को घरेलू उद्योग के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करना आवश्यक है क्योंकि संबद्ध कंपनियां व्यापार उपचारों के लिए एकल आर्थिक कंपनी मानी जाती हैं।
- ञञ. याचिकाकर्ताओं के अलावा भारत में संबद्ध सामानों के दो अन्य उत्पादक हैं, मिंगल प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड (पोलीलीफ) और थाउजेंड ओक इनोवेशन एलएलपी (ग्लाट फ्लोर)। सभी उत्पादकों ने क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया।
- टट. यद्यपि रेस्पांसिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पहचान संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादक के रूप में की गई थी, तथापि वह संबद्ध सामानों का विनिर्माण नहीं करता परंतु समान वस्तुओं का विनिर्माता है।
- ठठ. आरएमजी पोलिविनाइल इंडिया लिमिटेड ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया और उल्लेख किया कि वह समान वस्तु के उत्पादन में नहीं लगा हुआ है।
- डड. याचिकाकर्ताओं ने क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है जो आवश्यक थे क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया था। तथापि, जांच की अवधि के दौरान कोई आयात नहीं किए गए हैं।
- ढढ. याचिकाकर्ताओं का भारत में घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है और संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से वे संबद्ध नहीं हैं और इस प्रकार, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग हैं।
- णण. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 1 दिसंबर, 2022 को आयोजित बैठक याचिकाकर्ता बनने के लिए तीन कानूनी कंपनियों के लिए आवश्यकता के संबंध में याचिका में किए गए दावों को स्पष्ट करने के लिए याचिकाकर्ताओं को दिया गया पहला अवसर था।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि रिसपोंसिव इंडस्ट्रीज लि०, मिंगल प्लास्ट प्रा० लि० और आरएमजी पॉलीविनाइल इंडिया लि० 2015 से संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। तथापि, किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दिया गया है। पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए उक्त कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट दिए हैं कि 2015 से पीयूसी का उत्पादन हो रहा था। तथापि, इन स्क्रीनशॉट में वार्षिक रिपोर्ट में दी गई उत्पाद सूची में पीयूसी का वर्णन नहीं दर्शाया गया है।

22. प्राधिकारी ने थाउजेंड ओक इनोवेशन एलएलपी, मिंगल प्लास्ट प्रा० लि० और रिसपोंसिव इंडस्ट्रीज लि०, अन्य ज्ञात भारतीय उत्पादकों को आवेदन का प्रपत्र भेजा था ताकि संगत सूचना मंगाई जा सके। किसी भी अन्य ज्ञात भारतीय उत्पादक ने अनुरोध करके उत्तर नहीं दिया है।
23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आरएमजी पॉलीविनाइल इंडिया लि० ने घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रश्न नहीं उठाया है। वास्तव में उसने याचिका का समर्थन किया है और अनुरोध किया है कि 2.5 मिलीमीटर से कम मोटाई को भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।
24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। तथापि, याचिकाकर्ताओं ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद संबद्ध वस्तु का आयात किया है। यह भी नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है। याचिकाकर्ताओं का भारत में घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है।
25. डब्ल्यूजीबीएल को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में शामिल करने या नहीं करने के मुद्दे के संबंध में आवेदक का यह तर्क कि 1 दिसंबर, 2022 को हुई बैठक याचिका में किए गए दावों को स्पष्ट करने का पहला अवसर थी, गलत है क्योंकि इस मुद्दे को मौखिक सुनवाई तथा उसके बाद लिखित अनुरोधों और खंडन अनुरोधों में उठाया गया था।
26. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ डब्ल्यूएफएल और डब्ल्यूजीबीएल दोनों को घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए और यह दावा किया गया है कि समस्त क्षति मापदंड तथा क्षति मार्जिन को डब्ल्यूएफएल और डब्ल्यूजीबीएल दोनों के लिए आकलित किया जाना चाहिए। इस दावे के समर्थन में याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तर्क दिए हैं (क) डब्ल्यूजीबीएल केवल एक “विपणन कंपनी” नहीं है बल्कि एक ऐसी कंपनी है जो अनेक कार्यकलाप करती है जिनमें उत्पादन गतिविधियां शामिल हैं और (ख) डब्ल्यूएफएल और डब्ल्यूजीबीएल संयुक्त रूप से “एकल आर्थिक कंपनी” का गठन करती हैं।
27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी से संबंधित है और न कि वास्तविक क्षति से। आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध आयातों के परिणामस्वरूप भारत में उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी आई है। वास्तविक मंदी से संबंधित जांच में घरेलू उद्योग की वास्तविक और अनुमानित कार्य निष्पादन की तुलना को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि उद्योग को आरंभिक अवस्था में माना जाता है और विकसित के बजाय विकासशील माना जाता है और इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादक के वास्तविक और अनुमानित निष्पादन की तुलना द्वारा क्षति का निर्धारण किया है। वास्तविक मंदी की जांच में प्राधिकारी द्वारा आकलित किये जाने वाले कुछ कारक यह हैं कि क्या घरेलू उद्योग ने अपनी लक्ष्य कीमत, लक्ष्य क्षमता, लक्ष्य बिक्रियां आदि हासिल की हैं। डब्ल्यूएफएल और डब्ल्यूजीबीएल का वास्तविक कार्य निष्पादन वर्तमान जांच में संगत नहीं हो सकता है क्योंकि फोकस उसके अनुमानित कार्य निष्पादन पर है। यह भी नोट किया जाता है कि डब्ल्यूएफएल ने हाल में विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण शुरू किया है और उत्पादन की आरंभिक अवस्था में है। तथापि, डब्ल्यूजीबीएल बाजार में एक स्थापित कंपनी है और काफी समय से बाजार में प्रचालन कर रही है। डब्ल्यूजीबीएल के संबंध में वास्तविक मंदी का कोई दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि डब्ल्यूजीबीएल कोई आरंभिक या अस्थापित उद्योग नहीं है। इसलिए के केवल डब्ल्यूएफएल से संबंधित आंकड़ों/सूचना पर वास्तविक मंदी के दावे की जांच के लिए विचार किया गया है। अतः वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी विधिक मुद्दे का समाधान करना आवश्यक नहीं समझते हैं ताकि संबंधित गैर-उत्पादक कंपनी को घरेलू उद्योग की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है अथवा नहीं।
28. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि उत्पादक/निर्यातक उनके व्यापारियों या संबंधित आयातकों के साथ निर्यात कीमत या पहुंच मूल्य की गणना के लिए “एकल आर्थिक कंपनी” माने गए हैं और इसलिए डब्ल्यूएफएल और डब्ल्यूजीबीएल को इसी सिद्धांत पर विचार करने के लिए एनआईपी और क्षति विश्लेषण हेतु “एकल आर्थिक कंपनी” माना जाना चाहिए। आवेदकों ने दलील दी है कि पाटनरोधी कानून में एकल आर्थिक कंपनी के आवेदन के अनेक उदाहरण हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि (क) दो संबंधित विदेशी उत्पादकों; (ख) विदेशी उत्पादक और संबंधी निर्यातक; (ग) विदेशी उत्पादक और संबंधित आयातक के मामले में पक्षकारों की संबंधित प्रकृति के लिए निर्यात कीमत में समायोजन किए गए हैं। इसके अलावा, आवेदकों ने संबंधित कंपनियों के लिए एकल शुल्क दर प्रदान करने के उदाहरण का उल्लेख किया है जो एकल आर्थिक कंपनी का दूसरा उदाहरण है। आवेदकों ने पाटनरोधी कानून के अंतर्गत एकल आर्थिक कंपनी के रूप में धारा 9क(1)(ख) का उदाहरण भी दिया है।

29. इस संबंध में, यह नोट किया गया है कि यदि विदेशी उत्पादक/निर्यातक द्वारा अन्य था सिद्ध नहीं किया जाए तो निर्यात कीमत को एसोसिएशनों या उत्पादक/निर्यातक और आयातक या तीसरे पक्षकार के बीच कीमत की प्रतिपूर्ति व्यवस्था के कारण अविश्वसनीय माना जाता है, धारा 9क(1)(ख) विशिष्ट रूप से निर्यात कीमत में समायोजन पर विचार की अनुमति देती है। धारा 9क(1)(ख) निम्नानुसार है:-

किसी वस्तु के संबंध में निर्यात कीमत का अर्थ वह कीमत है जिस पर निर्यातक देश या क्षेत्र से वस्तु का निर्यात किया गया है और ऐसे मामलों जिनमें कोई निर्यात कीमत नहीं है या जहां निर्यात कीमत निर्यातक और आयातक या किसी तीसरे पक्षकार के बीच एसोसिएशन या प्रतिपूर्ति व्यवस्था के कारण अविश्वसनीय है वहां निर्यात कीमत को उस कीमत के आधार पर परिकलित किया जाए जिस पर आयातित वस्तुओं को किसी स्वतंत्र क्रेता को पहली बार पुनः बेचा गया है या यदि वस्तु को किसी स्वतंत्र क्रेता को पुनः बेचा नहीं गया है या उपधारा (6) के अंतर्गत भी दिए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित रूप में किसी तर्क संगत आधार पर आयातित स्थिति में पुनः बेचा नहीं गया है।

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-I के पैरा 6 और धारा का 9क(1)(ख) के अंतर्गत समायोजन केवल सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं। इसके अलावा, लागू शुल्कों की प्रवंचना की घटना को रोकने के लिए संबंधित पक्षकारों के लिए शुल्क की एकल दर प्रदान करने हेतु प्राधिकारी आवेदकों द्वारा यथा उल्लिखित प्रक्रिया अपनाते हैं। धारा 9क(1)(ख) और अनुबंध-I के पैरा 6 का प्रयोजन पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III से बिल्कुल अलग है और इसलिए इन दोनों को समान स्तर पर समतुल्य नहीं किया जा सकता है। भले ही, तर्क के प्रयोजन के लिए, एकल आर्थिक इकाई के दावे के तहत आवेदकों के तर्क को स्वीकार किया जाए, उक्त कथन इस आधार पर अपनी योग्यता खो देता है कि आवेदकों द्वारा किया गया दावा एक उद्योग की स्थापना के लिए भौतिक मंदता का है और किसी स्थापित उद्योग को भौतिक क्षति का नहीं। वर्तमान जांच के तथ्यों में डब्ल्यूएफएल आरंभिक अवस्था में है और विचाराधीन उत्पाद के लिए एक विकासशील उद्योग है जबकि डब्ल्यूजीबीएल काफी समय से बाजार में प्रचालन करता रहा है और इसलिए उसे वास्तविक मंदी के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अस्थापित या आरंभिक या विकासशील उद्योग नहीं माना जा सकता है। अतः एकल आर्थिक कंपनी के तर्क को संबद्ध जांच के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर विचार में नहीं दिया जा सकता है।

31. आवेदकों द्वारा उद्धरित ग्लास फाइबर मामले में वह यह माना था जिसमें दो उत्पादकों पर विचार किया गया जो संबद्ध जांच के तथ्यों से बिल्कुल अलग है। अतः यह मामला आवेदकों के तर्कों को आगे नहीं बढ़ाता है। उत्पादक/आयातक/व्यापारी के उत्तरों से संबंधित संदर्भित मामलों के बारे में आवेदकों द्वारा उल्लिखित सभी मामले उनके इस दावे को सही सिद्ध करने में विफल रहते हैं कि कैसे वर्तमान मामले के लिए नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग की परिभाषा के आलोक में एकल आर्थिक कंपनी का सिद्धांत कैसे लागू होता है। यह नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1)(ख) और तत्पश्चात नियमों में ऐसे मामलों में निर्यात कीमत में समायोजन परिकल्पित है जहां निर्यातक और आयातक या तीसरे पक्ष के बीच एसोसिएशन या किसी प्रतिपूर्ति व्यवस्था के कारण निर्यात कीमत अविश्वसनीय हो।

32. डब्ल्यूआईएल, डब्ल्यूएफएल और डब्ल्यूजीबीएल की धारक कंपनी है। डब्ल्यूआईएल और डब्ल्यूजीबीएल विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन या विनिर्माण में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि संबद्ध जांच किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी के दावे से संबंधित है और न कि वास्तविक क्षति से। वर्तमान जांच के तथ्यों और परिस्थितियों में डब्ल्यूएफएल ने हाल में पीयूसी का उत्पादन शुरू किया है और वह आरंभिक या विकासशील अवस्था में है। जबकि डब्ल्यूजीबीएल पहले से स्थापित है क्योंकि वह काफी समय से बाजार में प्रचालन कर रही है और इसलिए संबद्ध जांच के तथ्यों और परिस्थितियों में वास्तविक मंदी के निर्धारण के प्रयोजनार्थ केवल डब्ल्यूएफएल को आरंभिक उद्योग माना जाना चाहिए। चूंकि डब्ल्यूजीबीएल को आरंभिक या अस्थापित उद्योग नहीं माना जा सकता है। इसलिए डब्ल्यूजीबीएल वर्तमान वास्तविक मंदी जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। संबद्ध जांच के उक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध वास्तविक मंदी जांच के लिए घरेलू उद्योग डब्ल्यूएफएल है। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी घरेलू उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत गैर-उत्पादक संबंधित कंपनी को शामिल करने के कानूनी मुद्दे का समाधान करना आवश्यक नहीं समझते हैं। चूंकि प्राधिकारी निर्धारित किया है कि डब्ल्यूएफएल घरेलू उद्योग है इसलिए क्षतिरहित कीमत तदनुसार, एडी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार डब्ल्यूएफएल की सूचना पर विचार करते हुए परिकलित की गई है।

ड. गोपनीयता**ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

33. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क. सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार जारी की गई व्यापार सूचनाएं सीमा शुल्क प्राधिकारियों पर बाध्यकारी हैं। तथापि, याचिकाकर्ताओं ने व्यापार सूचनाओं का पालन नहीं किया है।
- ख. याचिकाकर्ताओं ने आर्थिक मानदंडों के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा कर व्यापार सूचना 10/2018 का पालन नहीं किया है। यह डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान बोर्ड और भारतीय न्यायालयों के असंगत है। संस्थापित क्षमता, उत्पादन, बिक्री मात्रा और मूल्य, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादकता, मालसूची, आरएंडडी खर्चों, जुटाई गई निधियों, लाभप्रदता, व्याज/वित्त लागत और मूल्यहास के वास्तविक आंकड़े नहीं दिए गए हैं।
- ग. याचिकाकर्ताओं ने व्यापार सूचना 01/2013 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है क्योंकि याचिका के भाग VI के अगोपनीय रूपांतर में कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- घ. याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई औचित्य तालिका निर्धारित प्रपत्र के अनुसार नहीं है।
- ड. याचिकाकर्ताओं ने परियोजना रिपोर्ट को गोपनीय होने का दावा करने के लिए कोई अच्छा कारण विवरण नहीं दिया है। उसका सार्थक अगोपनीय सार नहीं दिया गया है।

ड.2 आवेदकों के विचार

34. गोपनीयता के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत याचिकाकर्ताओं ने व्यापार सूचनाओं के तहत निर्धारित अपेक्षाओं का पालन किया है।
- ख. क्षति संबंधी आंकड़ों में वास्तविक आंकड़े साझा नहीं किए जा सकते क्योंकि वे आंकड़े केवल एक कंपनी से संबंधित हैं।
- ग. खंड VI में निहित सूचना व्यापार स्वामित्व सूचना से संबंधित है, यह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की जा सकती।
- घ. याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार औचित्य तालिका दी गई है।
- ड. अच्छा कारण विवरण और सूचना का अगोपनीय सार याचिका के साथ दिया गया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

35. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:-

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

36. प्राधिकारी मानते हैं कि कोई भी सूचना जो प्रकृति में गोपनीय है (उदाहरण के लिए क्योंकि इसका प्रकटन किसी प्रतिस्पर्धी के लिए काफी प्रतिस्पर्धी लाभ का होगा अथवा इसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव

पड़ेगा अथवा उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे उस व्यक्ति ने सूचना प्राप्त की है) अथवा किसी जांच में पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर जो सूचना दी गई है, अच्छे कारण दर्शाकर, प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी जाएगी। यह सूचना उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशेष अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जा सकती।

37. प्राधिकारी ने आवेदकों और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और इस संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता संबंधी दावे की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।

38. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने लागत संबंधी सूचना साझा नहीं की है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह सूचना प्रकृति में गोपनीय है और इसीलिए उसका प्रकटन घरेलू उद्योग के प्रतिस्पर्धी हितों के प्रति पूर्वाग्रही होगा।

39. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि न्याय संगतता तालिका विहित प्रपत्र में नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त गोपनीयता के कारण दर्शाने वाली न्याय संगतता तालिका व्यापार सूचना सं. 10/2018, दिनांक 7 सितंबर, 2018 की अपेक्षाओं के अनुसार है।

40. परियोजना रिपोर्ट और उसके अगोपनीय सारांश के संबंध में प्राधिकारी मानते हैं कि परियोजना रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं की व्यावसायिक स्वामित्व संबंधी सूचना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है। तथापि, घरेलू उद्योग ने एक सार्थक अगोपनीय सारांश और उसके संबंध में कारणों का विवरण शेयर किया है। प्राधिकारी इस संबंध में गोपनीयता के दावे को स्वीकार करते हैं।

41. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दलील दी है कि याचिकाकर्ताओं ने वास्तविक आंकड़े नहीं दिए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार सूचना 10/2018 में गोपनीयता के लिए सामान्य दिशा-निर्देश निर्धारित हैं। वर्तमान मामले चूंकि आंकड़े एक एकल कंपनी से संबंधित हैं। इसलिए घरेलू उद्योग पर लागू होने वाले दिशा-निर्देश किसी एकल कंपनी द्वारा याचिका के अनुसार होंगे। तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि वास्तविक आंकड़ों के प्रकटन से याचिकाकर्ताओं की व्यावसायिक स्वामित्व की सूचना प्रकट हो जाएगी। इसलिए प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं द्वारा गोपनीयता के दावे को स्वीकार करते हैं।

च. विविध मुद्दे

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

42. अन्य मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार हैं:-

- क. जांच को नियम 5 के प्रावधान के अंतर्गत शुरू नहीं करना चाहिए था क्योंकि याचिका सटीकता और पर्याप्तता के परीक्षण को पास नहीं करती है।
- ख. याचिकाकर्ताओं ने यह नहीं बताया है कि क्या परियोजना रिपोर्ट अंतरिक रूप से तैयार की गई है या बाहरी एजेंसी के परामर्श से।
- ग. याचिकाकर्ताओं से आयात आंकड़ों की सॉफ्ट प्रति हितबद्ध पक्षकारों को देने के लिए कहना चाहिए।

च.2. आवेदकों के विचार

43. अन्य मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं:-

- क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं बताया है कि याचिका कैसे सटीकता और पर्याप्तता की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है।
- ख. परियोजना रिपोर्ट किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा तैयार की गई है और बैंकों ने उसकी विधिक्षा की है।
- ग. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत याचिकाकर्ताओं ने व्यापार सूचना 07/2018 के अनुसार पीडीएफ प्रारूप में आयात आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। किसी पक्ष के हित से कोई पक्षपात नहीं हुआ है, क्योंकि प्राधिकारी सभी पक्षकारों को डीजीसीआई एंड एस से आंकड़े लेने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

44. वर्तमान जांच आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/सूचना के आधार पर और दायर याचिका की पर्याप्तता और सत्यता से स्वयं को प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट करने के बाद शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने प्रथमदृष्ट्या इस निष्कर्ष के बाद कि पाटन क्षति

और कारणात्मक संबंध का पर्याप्त साक्ष्य है, वर्तमान जांच शुरू की थी। यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट होने के बाद ही याचिका में जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने वाले पर्याप्त साक्ष्य हैं, वर्तमान जांच की शुरुआत करने का निर्णय दिया है। इसके अलावा, जांच शुरुआत के बाद आवश्यक समझी गई सीमा तक याचिकाकर्ताओं से सूचना मांगी गई थी और याचिकाकर्ताओं ने उसे प्रदान किया था।

45. परियोजना रिपोर्ट के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने वेल्सपुन फ्लोरिंग लि० की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रदान की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने परियोजना रिपोर्ट की प्रमाणिकता पर प्रश्न उठाया है। जबकि आवेदक ने दावा किया है कि परियोजना रिपोर्ट एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा तैयार की गई है और बैंकों द्वारा जांची गई है। तथापि, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने दावे को सही ठहराने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिए हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने परियोजना रिपोर्ट के अनुसार और वर्तमान कीमतों पर घरेलू उद्योग के संभावित निष्पादन के आधार पर घरेलू उद्योग के अनुमानित कार्य निष्पादन के अनुसार क्षति विश्लेषण किया है।

46. डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार सूचना 07/2018, दिनांक 15 मार्च, 2018 ने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों को प्राप्त करने की प्रक्रिया दी गई है। इस प्रकार, हितबद्ध पक्षकारों के पास व्यापार सूचना के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करके डीजीसीआई एंड एस के आंकड़े प्राप्त करने का विकल्प था। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अब अपनाई गई प्रक्रिया संगत, सभी पक्षकारों और जांचों के लिए एक समान, समतुल्य है और हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा करने का पर्याप्त अवसर देती है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने सौदावार आयात आंकड़ों की पूरी सूची प्रदान की है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

47. सामान्य मूल्य, कीमत या पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:-

- क. सामान्य मूल्य के प्रयोजनार्थ कच्ची सामग्रियों एफओबी मूल्य और घरेलू उद्योग द्वारा आयातित घटकों पर विचार होना चाहिए। शुल्कों और उपकर के प्रभाव को हटाया जाना चाहिए।
- ख. निर्यातकों ने अपने निर्यातों की कम मात्रा के कारण भाग नहीं लिया है।
- ग. घरेलू उद्योग की स्थिर लागतों और वित्त लागत को परिकलित सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उचित ढंग से समायोजित किया जाना चाहिए।

छ.2. आवेदकों के विचार

48. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

- क. चूंकि किसी उत्पादक ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। इसलिए सामान्य मूल्य को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ख. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा निर्यातों की मात्रा को कम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ऐसी मात्रा से भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में बाधा पहुंची है। निर्यातकों के असहयोग को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए और असहयोगी निर्यातकों द्वारा आयात के विरुद्ध अधिकतम संभव शुल्क लगाया जाना चाहिए।
- ग. चीन जन. गण. को चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1, नियम 7 के अनुसार निर्धारित करना चाहिए।
- घ. चूंकि कोरिया गणराज्य से भारत में भारी आयात हुए हैं और कोरिया गणराज्य से पाटन का कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए ऐसे आयातों की कीमत का चीन जन. गण. से सामान्य मूल्य के निर्धारण में प्रयोग करना चाहिए। यह बात कुइतुन जिन्जियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लि० बनाम भारत संघ में न्यायाधिकरण के विचार से भी संगत है।

- ड. चूंकि सामान्य मूल्य भारत को उचित तीसरे देश से निर्यातों की कीमत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए किसी अन्य तर्कसंगत आधार का संदर्भ नहीं दिया जा सकता है क्योंकि अनुबंध-I का पैरा 7 स्पष्ट क्रम निर्धारित करता है। यह बात शेनयांग मस्ट्सुशिता एस. बैट्री कंपनी लि० बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लि० मामले में उच्चतम न्यायालय के विचार से संगत है।
- च. ताइवान और वियतनाम के उत्पादकों ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। सामान्य मूल्य को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने स्वयं की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य परिकलित किया है। चूंकि उत्पादन की ईष्टतम लागत को अपनाया निर्यातक को उसके असहयोग के लिए पुरस्कृत करता है। इसलिए याचिकाकर्ता प्राधिकारी से वास्तविक लागत पर विचार करने का अनुरोध करते हैं।
- छ. याचिकाकर्ताओं ने *** प्रतिशत क्षमता उपयोग पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है।
- ज. आयातक उनके द्वारा प्रस्तुत पीसीएन वार सूचना परिचालित करने में विफल रहे हैं। आयातकों के लिए उनके द्वारा अभिज्ञात पीसीएन की सटीकता सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित होना चाहिए।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वियतनाम से आयात की मात्रा न्यूनतम सीमा से कम है। इसलिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(घ) के अनुसार वियतनाम को संबद्ध देशों से बाहर रखा गया है।

50. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सस्मिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

51. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेशन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने विहित प्रपत्र और ढंग से प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इसलिए सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित करना अपेक्षित है

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

52. चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है और नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में यथा उल्लिखित मान्यताओं का खंडन करने के लिए पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए इन परिस्थितियों में प्राधिकारी के नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करनी होगी जो निम्नानुसार है :

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के पूर्वोक्त चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो आवेदकों और न ही अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण को सक्षम बनाने के लिए कोई सूचना या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या सामान्य मूल्य को ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यातों की कीमत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि आवेदकों ने दावा किया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य भारत को कोरिया गणराज्य से निर्यातों पर आधारित होना चाहिए जो काफी अधिक हैं, तथापि, घरेलू उद्योग प्राधिकारी को कोई सत्यापन योग्य सूचना नहीं दे सका है। अतः चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

55. उपर्युक्त के मद्देनजर, भारत में चीन जन. गण. से आयातित विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य, बिक्री, सामान्य प्रशासनिक व्यय तथा लाभ मार्जिन के लिए तर्कसंगत योग सहित घरेलू उद्योग के लिए यथा ईष्टतम उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है। तदनुसार, जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए चीन जन. गण. में उत्पादकों और निर्यातकों हेतु सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिए गए अनुसार परिकलित किया गया है।

ताइवान के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। तदनुसार, ताइवान के लिए सामान्य मूल्य व निर्यात कीमत पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

57. उपर्युक्त के मद्देनजर, भारत में ताइवान से आयातित विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य, बिक्री, सामान्य प्रशासनिक व्यय तथा लाभ मार्जिन के लिए तर्कसंगत योग सहित घरेलू उद्योग के लिए यथा ईष्टतम उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है। तदनुसार, जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए ताइवान में उत्पादकों और निर्यातकों हेतु सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिए गए अनुसार परिकलित किया गया है।

चीन और ताइवान के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

58. चूंकि चीन जन. गण. और ताइवान से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इसलिए उन सभी को असहयोगी माना गया है। उन सभी के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

पाटन मार्जिन

59. वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य	कुल निर्यात	पाटन	पाटन	पाटन
		मूल्य	कीमत	मार्जिन	मार्जिन	मार्जिन
		(यूएस डॉलर/वर्ग मीटर))	(यूएस डॉलर/वर्ग मीटर))	(यूएस डॉलर/वर्ग मीटर))	(%)	(रेंज)
चीन जन. गण.						
1	सभी निर्यातक	***	***	***	***	50-60
ताइवान						
1	सभी निर्यातक	***	***	***	***	40-50

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

60. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग उचित ढंग से स्थापित है और वास्तविक मंदी के प्रावधानों का अनुरोध नहीं कर सकता है। मिंगल प्लास्ट प्रा० लि०, रिसपोसिव इंडस्ट्रीज लि० और आरएमजी पॉलीविनाइल इंडिया लि० की 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट दर्शाती है कि 2015 से विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं। तदनुसार, जैसा प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांचों में माना है। वास्तविक मंदी का दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उद्योग पहले से भारत में मौजूद है।

ख. मंदी की स्थिति कार्य निष्पादन के पिछड़ने या उसमें देरी होने को दर्शाती है जबकि वर्तमान मामले में काफी अच्छा कार्य निष्पादन स्पष्ट है और क्षति संबंधी सभी मापदंडों ने क्षति अवधि में तथा पीओआई के भीतर अत्यधिक वृद्धि दर्शाई है।

ग. यह जांच करने के लिए कि क्या उद्योग स्थापित है, उत्पादन की शुरूआत के समय, उत्पादन की प्रकृति यदि उत्पादक किसी मौजूदा उद्योग में नई उत्पादन लाइन है, उत्पादन के आकार बनाम घरेलू बाजार के आकार तथा

उत्पादन की स्थिरता की जांच करना आवश्यक है। इन मापदंडों के आधार पर घरेलू उद्योग दो वर्षों से प्रचालन में है और 50 प्रतिशत का हिस्सा होना स्थापना की प्रक्रिया वाला उद्योग नहीं दर्शाता है।

- घ. वास्तविक मंदी के लिए पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए कि क्या याचिकाकर्ताओं को अब भी बाजार में जगह बनानी है या पहले से स्थापित हैं।
- ड. घरेलू उद्योग का मामला उस श्रेणी में नहीं आता है जहां घरेलू उद्योग ने वाणिज्यिक उत्पादन नहीं शुरू किया है या आरंभिक अवस्था में है। पाटनरोधी करार और सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपाय संबंधी करार के मसौदा समेकित पीठ पाठों के अनुसार कोई उत्पादक केवल तभी वास्तविक रूप से बाधित हो सकता है जबकि उत्पादन न शुरू हुआ हो या उत्पादक ने वाणिज्यिक मात्राएं हासिल न की हों।
- च. याचिकाकर्ता ने मंदी के आर्थिक संबंधी अपने दावे के समर्थन में कोई कानूनी प्राधिकार या तर्क प्रस्तुत नहीं किया है।
- छ. वास्तविक मंदी के निर्धारण के लिए कोई तंत्र नहीं है। इसलिए जांच केवल तभी शुरू की जाए जब प्राधिकारी ऐसा तंत्र तैयार कर लें।
- ज. डीजीटीआर को प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट वास्तविक मंदी को सिद्ध करने के लिए मनगढ़ंत है।
- झ. परियोजना रिपोर्ट की वास्तविक मापदंडों से तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि वे कोविड-19 महामारी से प्रभावित हैं। परियोजना रिपोर्ट अलग बाजार स्थिति के आधार पर तैयार की गई है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
- ञ. आयातों में 2019-20 की तुलना में गिरावट आई है और इसलिए उनसे क्षति नहीं हो सकती है।
- ट. कंपनी के सभी मुख्य आर्थिक मापदंड जिनमें क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा उत्पादकता और लाभप्रदता शामिल है, में आधार वर्ष तथा पूर्ववर्ती वर्ष से बहुत अच्छा निष्पादन देखा गया है।
- ठ. याचिकाकर्ता अपनी स्थापना के समय से ही बिक्री और बाजार हिस्से में तत्काल सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।
- ड. याचिकाकर्ताओं का कार्य निष्पादन स्टार्ट अप लागत और कच्ची सामग्री की कीमत के कारण प्रभावित हुआ है।
- ढ. याचिकाकर्ता को इसलिए घाटा हो सकता है क्योंकि उन्होंने अब तक गुणवत्ता मानक और ब्रांड प्रतिष्ठा नहीं बनायी है।
- ण. घरेलू उद्योग ने यह नहीं दर्शाया है कि उनके प्रचालन कैसे कोविड-19 से प्रभावित नहीं हुए हैं।
- त. घरेलू उद्योग को हुई क्षति उनके अपने कुप्रबंधन और अक्षमता के कारण हुई है जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि उन्होंने घरेलू मांग से अधिक क्षमता स्थापित की है।
- थ. इस पर विचार किया जाना चाहिए कि एक अलग कानूनी कंपनी जो व्यापार कंपनी है, के खर्चों को इस हद तक पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और क्षति विश्लेषण में ध्यान में दिया जा सकता है।
- द. यह नोट करना संगत है कि वर्तमान मामले में वितरक/व्यापारी ने स्वयं को घरेलू उद्योग की भूमिका में बताकर घरेलू उद्योग की भूमिका को हड़पने का प्रयास किया है जो कानून में परिकल्पित नहीं है।
- ध. वित्त व्यय, कर्मचारी लाभ व्यय और अन्य व्यय जिन्हें समूह स्तर पर विभाजित किया गया है, की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए।
- न. गैर-प्रचालन खर्चों और संबद्ध वस्तु से असंबंधित खर्चों को क्षतिरहित कीमत के परिकलन से बाहर रखना चाहिए।
- प. डब्ल्यूजीवीएल के खर्च को क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ ध्यान में नहीं लिया जा सकता है।
- ज.2. आवेदकों के विचार**
61. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदकों के अनुरोध निम्नानुसार है:-

- क. परियोजना रिपोर्ट एक विश्वसनीय दस्तावेज है, क्योंकि इसे निदेशक बोर्ड तथा बैंकर और ऋणदाताओं को प्रस्तुत किया जाता है। बैंकों ने इस रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित परियोजना का वित्तपोषण किया है।
- ख. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की दलील के विपरीत परियोजना रिपोर्ट को केवल राहत लेने के लिए तैयार नहीं किया जाता है, क्योंकि इस दस्तावेज को आयात में वृद्धि और विचाराधीन उत्पाद की कीमत में गिरावट से काफी पहले एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा तैयार किया गया था।
- ग. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के विपरीत जांच अवधि कोविड-19 महामारी से प्रभावित नहीं थी और इसलिए परियोजना रिपोर्ट की तुलना वास्तविक कार्य निष्पादन से की जा सकती है।
- घ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए उद्योग लंबे समय से मौजूद नहीं हैं क्योंकि आरएमजी पॉलीविनाइल इंडिया लि० ने स्वयं बताया है कि वह संबद्ध वस्तु का उत्पादक नहीं है। मिंगल प्लास्ट ने 2018-19 में उत्पादन शुरू किया है। थाउजेंड ओक एलएलपी ने दिसंबर, 2019 उत्पादन शुरू नहीं किया था और बाजार सूचना के अनुसार रिसर्पोसिव इंडस्ट्रीज लि० संबद्ध वस्तु का उत्पादक नहीं है।
- ङ. वास्तविक मंदी का दावा सही है क्योंकि उत्पाद केवल नई उत्पाद लाइन नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए नया संयंत्र स्थापित किया है। घरेलू उद्योग का घरेलू मांग की तुलना में उत्पादन तथा क्षमता उपयोग अधिक है क्योंकि याचिकाकर्ता भारी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं।
- च. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की दलील के विपरीत पाटनरोधी नियमावली प्राधिकारी को इस बात की जांच के लिए प्राधिकृत करती है कि क्या संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी आयी है। प्राधिकारी ने पूर्व में घरेलू उद्योग की वास्तविक मंदी की जांच की है।
- छ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के विपरीत तुर्की से कतिपय हॉट रोलड स्टील पर मोरक्को – पाटनरोधी उपाय में पैनल ने माना था कि पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 3 इस आकलन के लिए कोई विशेष पद्धति निर्धारित नहीं करता है कि क्या घरेलू उद्योग स्थापित हो गया है।
- ज. भारत में क्षमताओं की स्थापना से पहले कुल मांग को आयातों से पूरा किया जाता था। तथापि, उत्पादन शुरू होने के बाद भी संबद्ध आयातों की मात्रा में जांच अवधि में वृद्धि हुई है।
- झ. आयातों की मात्रा में 2018-19 और 2019-20 में वृद्धि हुई है और महामारी तथा बाजार में नए घरेलू उत्पादक के प्रवेश के कारण 2020-21 में गिरावट आई है।
- ञ. खपत और कुल आयात के संबंध में आयातों में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ट. घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त क्षमताओं के बावजूद संबद्ध आयातों का भारत में मांग में अधिकांश हिस्सा है।
- ठ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत यदि बाजार में उचित अप्रभावित कीमत को बहाल करना है तो याचिकाकर्ता को उच्चतर बिक्रियां तथा बाजार हिस्सा प्राप्त होगा।
- ड. जांच अवधि में मांग में वृद्धि के बावजूद संबद्ध आयातों की कीमत में गिरावट आई है।
- ढ. घरेलू उद्योग ने कुशन बेकिंग के बिना उत्पाद के लिए *** रूपए प्रति एसक्यूएम की कीमत अनुमानित की थी। तथापि, कुशन बेकिंग सहित उत्पादन की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की अनुमानित कीमत से *** प्रतिशत कम थी। घरेलू उद्योग को कीमतों में कटौती करने और बाजार में जगह बनाने के लिए घाटे में बिक्री करने को बाध्य होना पड़ा था।
- ण. संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग के *** प्रतिशत क्षमता उपयोग पर वर्तमान बिक्री लागत और संभावित बिक्री लागत से कम है।
- त. संबद्ध आयातों का 85 प्रतिशत जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की परिवर्तनशील लागत से कम कीमत पर हुए हैं।
- थ. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

- द. यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, परंतु भारत में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण उसके पास मांग में कम हिस्सा है।
- ध. उत्पादन के आकार बनाम घरेलू बाजार के आकार अधिक हो सकते हैं क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा भारी मात्रा में निर्यात किया गया है। तथापि, बाजार में उनका हिस्सा केवल *** प्रतिशत अर्थात् काफी कम है। इसी प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने केवल अपने निर्यातों के कारण क्षमता उपयोग का उच्चतर स्तर प्राप्त किया है। यदि निर्यातों को बाहर रखा जाए तो याचिकाकर्ताओं का शेष उत्पादन केवल 8 प्रतिशत क्षमता उपयोग करने के लिए पर्याप्त होगा।
- न. काफी निर्यात करने के बाद भी घरेलू उद्योग की मालसूची उसकी घरेलू बिक्रियों का *** प्रतिशत रही थी।
- प. वर्तमान कीमतों पर घरेलू उद्योग को घाटा, नगद घाटा होगा और *** प्रतिशत क्षमता उपयोग पर नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय दर्ज होगी।
- फ. वर्तमान कीमतों पर घरेलू उद्योग अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाएगा। लागत वसूलने के लिए उसे अपनी क्षमता और भारत में मांग की तुलना में काफी अधिक मात्रा की आपूर्ति करनी पड़ेगी।
- ब. चूंकि घरेलू उद्योग भारत में नया स्थापित हुआ है। इसलिए मात्रा मापदंडों में वृद्धि हुई है। तथापि, यह वृद्धि धीमी रही है। जिसका अर्थ है कि संबद्ध आयातों ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में बाधा पहुंचायी है।
- भ. अतः वास्तविक “मंदी” शब्द का अर्थ यह है कि उद्योग ने कुछ वृद्धि या विकास किया है। किंतु वृद्धि या विकास इतना तेज नहीं है जितना अन्य था होना चाहिए था। “मंदी” शब्द का यह अर्थ नहीं लगाया जाता है और नहीं लगाया जा सकता है कि कोई वृद्धि या नकारात्मक वृद्धि है। अतः प्रतिवादी का तर्क बिल्कुल असंगत है।
- म. घरेलू उद्योग को क्षति अत्यधिक क्षमताओं के कारण नहीं हुई है। जैसा कि मामला है। घरेलू उद्योग को आपूर्ति का बड़ा हिस्सा स्वयं द्वारा देना चाहिए था।
- य. घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध आयातों के कारण हुई है और किसी अन्य ज्ञात कारक की वजह से नहीं हुई है।
- कक. जांच अवधि कोविड-19 से प्रभावित नहीं थी, क्योंकि भारत में मांग, संबद्ध आयात, अन्य देशों से आयात और घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई थी।
- खख. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के विपरीत उत्पादन लागत स्टार्ट अप लागत से प्रभावित नहीं है, क्योंकि ऐसी लागत की गणना नहीं की जाती है और उसे उत्पादन लागत का हिस्सा नहीं माना जाता है।
- गग. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कच्ची सामग्री के कारण क्षति होने के संबंध में अपने अनुरोधों को साबित नहीं किया है। यद्यपि घरेलू उद्योग निर्यात में सक्षम था, वह उसी कच्ची सामग्री का प्रयोग करके भी घरेलू बाजार में जगह बनाने में असमर्थ था।
- घघ. घरेलू उद्योग को क्षति गुणवत्ता मानकों की वजह से नहीं हुई है जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि वह निर्यात में समर्थता किंतु घरेलू बाजार में बिक्री में असमर्थ था। इसके अलावा, उसे ओईको-टेक्स स्टैंडर्ड 100, आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2004, आईएसओ 45001 आदि सहित गुणवत्ता के लिए प्रमाणन प्राप्त हुए हैं।
- डड. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत चूंकि डब्ल्यूएफएल और डब्ल्यूजीबीएल संबंधित कंपनी है। इसलिए सभी प्रशासनिक और वित्तीय व्यय एकल कंपनी के मामले में किए गए माने जाने चाहिए। प्रशासनिक वित्त और स्थिर बिक्री व्यय आंशिक रूप से डब्ल्यूएफएल और आंशिक रूप से डब्ल्यूजीबीएल द्वारा किए गए थे।
- चच. स्थिर बिक्री व्यय, कारखाना व्यय पश्चात नहीं हैं और उन पर उत्पादन लागत तथा क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के समय विचार किया जाना चाहिए। पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध-III और प्रचालन प्रक्रिया नियम पुस्तिका में उल्लेख है कि क्षतिरहित कीमत के निर्धारण हेतु स्थिर बिक्री व्ययों पर विचार किया जाना चाहिए।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

62. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामला उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी का मामला है और न कि वास्तविक क्षति का। क्षति

विश्लेषण की कार्रवाई करने से पहले किसी उद्योग की स्थापना के लिए “वास्तविक मंदी” की अवधारणा संबंधी कतिपय कानूनी पहलुओं का समाधान करना आवश्यक है।

ज.3.1 घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी

63. गैट के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी डब्ल्यूटीओ के करार के अनुच्छेद 3 में “वास्तविक मंदी” के लिए कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अनुच्छेद 3 के फुटनोट 9 में केवल निम्नानुसार उल्लेख है:-

“इस करार के अंतर्गत “क्षति” शब्द यदि अन्य था विनिर्दिष्ट नहीं होगा तो उसका अर्थ किसी घरेलू उद्योग उद्योग को वास्तविक क्षति होगा, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे या ऐसे किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी के रूप में लिया जाएगा और उसकी व्याख्या इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार होगी।”

64. इसी प्रकार सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के मामले में जिसमें अनुबंध II केवल वास्तविक क्षति, वास्तविक क्षति के खतरे और वास्तविक मंदी को क्षति की परिभाषा के अंतर्गत शामिल करता है। इसका आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी क्या होती है।

65. तथापि, यह स्पष्ट है कि वास्तविक मंदी केवल अस्थापित उद्योगों पर लागू होती है और उन उद्योगों पर नहीं जो पूर्णतः स्थापित हैं। यह सत्य है क्योंकि प्राधिकारी के लिए यह मानना तर्कसंगत नहीं है कि कोई घरेलू उद्योग पाटित आयातों द्वारा क्षतिग्रस्त हो रहा है (जो पहले से माना गया है कि ऐसा कोई उद्योग पहले से स्थापित था) और इसी के साथ यह कि घरेलू उद्योग की स्थापना में उन आयातों के कारण वास्तविक मंदी आई है। “अस्थापित उद्योगों” का अर्थ पाटनरोधी करार या अधिनियम और नियमावली में भी दिया गया है। तथापि, डब्ल्यूटीओ में पाटनरोधी करार में संशोधन के लिए प्रस्ताव है जो वास्तविक मंदी तथा उद्योग की स्थापना के अर्थ के संबंध में थोड़ी स्पष्टता लाता है। मसौदा प्रस्ताव का संगत हिस्सा निम्नानुसार है:-

“3.9. किसी घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा और न कि केवल आरोप, अनुमान या सुदूर संभावना पर। कोई उद्योग तब स्थापित माना जाए जबकि समान उत्पाद के घरेलू उत्पादन में संसाधनों का कोई वास्तविक या पर्याप्त प्रतिबद्धता की गई हो जिसे आयातक सदस्य के क्षेत्र में पहले उत्पादित न किया गया हो, परंतु उत्पादन अभी शुरू न हुआ हो या अब तक वाणिज्यिक मात्राओं के स्तर पर न पहुंचा हो। ऐसे निर्धारण में कि क्या कोई उद्योग स्थापना में है और उस उद्योग की स्थापना पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में प्राधिकारियों को अन्य बातों के साथ-साथ स्थापित क्षमता किए गए निवेशों और पर्याप्त वित्तपोषण तथा व्यावहार्यता अध्ययन, निवेश योजनाओं या बाजार अध्ययन से संबंधित साक्ष्य पर विचार करना चाहिए।”

66. यद्यपि उक्त उद्धरण केवल एक प्रस्ताव है और प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है, तथापि, यह वास्तविक मंदी की जांच करने में एक मार्गदर्शक का कार्य करेगा।

67. यूएस हैंडबुक में उल्लिखित परिपाटी इस प्रकार है:

“याचिकाकर्ता यह आरोप लगा सकता है कि संयुक्त राज्य में किसी उद्योग की स्थापना आयातों के कारण या संबद्ध वस्तु के आयात के लिए बिक्री (या बिक्री की संभावना) के कारण वास्तविक रूप से बाधित हुई है। इस कानून में “वास्तविक मंदी” परिभाषित नहीं है, तथापि, पूर्व मामलों में इस मुद्दे पर विचार में आयोग ने इस बात की जांच शुरू की है कि क्या यूएस उद्योग “स्थापित” है। यदि यूएस के उत्पादक ने उत्पाद का उत्पादन शुरू किया है तो उद्योग को स्थापित माना जाएगा। यदि यूएस के उत्पादकों ने अपने प्रचालन को “स्थिर” कर दिया है। इस आकलन में आयोग ने निम्नलिखित कारकों की जांच की है: (1) यूएस उद्योग ने उत्पादन कब शुरू किया; (2) क्या उत्पादन निरंतर या रुक-रुक कर रहा है; (3) समग्र रूप से घरेलू बाजार के आकार की तुलना में घरेलू उत्पादन का आकार; (4) क्या यूएस उद्योग एक तर्कसंगत लागत वसूली बिंदु पर पहुंच गया है और (5) क्या कार्यकलाप वास्तव में कोई नये उद्योग हैं या केवल किसी स्थापित फर्म की नई उत्पाद लाइन है। यदि उद्योग स्थापित नहीं है तो आयोग विचार करता है कि क्या उद्योग का निष्पादन सामान्य स्टार्ट-अप कठिनाइयों को दर्शाता है या क्या संबद्ध वस्तु का आयात उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से बाधित कर रहा है।”

68. तुर्की से कतिपय हॉट रोलड स्टील संबंधी मोरक्कों - पाटनरोधी उपाय मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह निर्धारित करने के लिए कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं कि क्या किसी उद्योग की स्थापना हुई है। पैनल ने संसुक्ति की है कि अनुच्छेद 3.1 में यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति विहित नहीं है कि क्या कोई उद्योग स्थापित हुआ है। प्राधिकारी को किसी तर्कसंगत पद्धति के प्रयोग की अनुमति है जो धारणाओं और अनुमानों पर आधारित हो। तथापि, ये अनुमान तथ्यों और सकारात्मक साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए।

69. पैनल के समक्ष मुद्दा “वास्तविक मंदी” के निर्धारण के प्रयोजनार्थ किसी उद्योग की स्थापना से संबंधित था। पैनल ने यह संसुक्ति की कि प्राधिकारी के पास यह निर्णय करने का विवेकाधिकार है कि किसी नये उद्योग की स्थापना के निर्धारण के लिए कौन से कारक संगत हैं। पैनल द्वारा संगत माना गया एक मापदंड यह था कि क्या उत्पादन किसी मौजूदा कंपनी की नई उत्पादन लाइन है। यदि कोई मौजूदा उद्योग/कंपनी केवल किसी नई उत्पाद लाइन की शुरुआत करता है तो उसे “अस्थापित उद्योग” नहीं माना जा सकता है। इस कारक की जांच के लिए प्राधिकारी को उत्पादक (उपभोक्ता संपर्क वितरण चैनल मौजूदा उत्पादकता वाणिज्यिक, अनुसंधान और प्रशासनिक परिसंपत्तियां आदि सहित) की समग्र अवसंरचना के प्रयोग में अति व्यापन की मात्रा की जांच करनी होगी। पुरानी अवसंरचना के अति व्यापन की अधिक मात्रा का अर्थ होगा कि इस बात की कम संभावना है कि कोई नया उद्योग स्थापित हुआ है। पैनल की संसुक्ति का संगत हिस्सा निम्नानुसार है:-

“7.211. आरंभ में हम नोट करते हैं कि हम इन कारकों के संबंध में स्वयं निर्णय नहीं लेते हैं या क्या ये इस बात के निर्धारण के लिए निर्देशक या निश्चयात्मक हैं कि क्या घरेलू उद्योग अस्थापित है, का निर्धारण नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि संगत कारक यह हो सकता है कि क्या घरेलू उद्योग बाजार में विचाराधीन समान उत्पाद का एक मात्र उत्पादक है। इसी के साथ हम नोट करते हैं कि यद्यपि बाजार में उस उत्पाद का केवल कोई एक उत्पादक हो सकता है जहां वह उत्पाद किसी मौजूदा उद्योग की केवल एक नयी “उत्पाद लाइन” बनता हो और मौजूदा उत्पादन, विपणन और अन्य प्रचालनों से लाभ प्राप्त करता हो। ऐसे साझे प्रचालन यह निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं कि क्या कोई अलग नया उद्योग स्थापित हुआ है। यदि कोई मौजूदा उद्योग वर्तमान में उत्पादित किसी अन्य उत्पाद से इतर कोई नया उत्पाद शुरू करने का चयन करता है तो उस नये उत्पाद की शुरुआत आवश्यक रूप से किसी नये उद्योग के सृजन में परिणत नहीं होगी। अब भी यह मौजूदा उद्योग में किसी नयी उत्पाद लाइन की शुरुआत मानी जा सकती है जो मौजूदा उद्योग की समग्र अवसंरचना (उत्पादक, वाणिज्यिक अनुसंधान और प्रशासनिक परिसंपत्तियों सहित) की मात्रा पर निर्भर होगा। समग्र अवसंरचना के प्रयोग में अति व्यापन की अधिक मात्रा होने पर इस अवधारणा की संभावना कम होगी कि नये उत्पाद की शुरुआत किसी नये उद्योग की स्थापना दर्शाती है। यह तथ्य कि किसी घरेलू उद्योग को समान उत्पाद के संदर्भ में पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 में परिभाषित किया गया है और यह कि घरेलू बाजार में उस समान उत्पाद के कोई पूर्व मौजूद उत्पादक नहीं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा मौजूदा अवसंरचना जैसे ग्राहक संपर्क और वितरण चैनल का घरेलू बाजार में उस समान उत्पाद की शुरुआत में, के प्रयोग की संभावना का निराकरण नहीं करता है।”

70. अतः यह निर्धारित करने में एक पहलू यह है कि क्या उद्योग मौजूद है अथवा नहीं है या क्या उत्पाद केवल मौजूदा उद्योग के भीतर कोई नया उत्पाद है। यदि ऐसा मामला है तो प्राधिकारी को नयी उत्पाद लाइन में मौजूदा अवसंरचना के समग्र उपयोग के साथ अति व्यापन के स्तर का विश्लेषण करना चाहिए।

71. क्षति आकलन के संबंध में डब्ल्यूटीओ पैनल ने निम्नलिखित मार्गदर्शन दिया है:

“7.233. इसके अलावा, हम मानते हैं कि 15 सूचीबद्ध क्षति कारकों में से प्रत्येक के मूल्यांकन के लिए अनुच्छेद 3.4 में दायित्व में वास्तविक मंदी के रूप में क्षति की जांच भी उतनी ही लागू होती है क्योंकि उसमें वास्तविक क्षति या वास्तविक क्षति का खतरा भी शामिल है। ऐसा निम्नलिखित कारण से है: पाटनरोधी करार के फुटनोट 9 के आलोक में पठित अनुच्छेद 3.1 में अपेक्षित है कि वास्तविक मंदी का निर्धारण अन्य बातों के साथ-साथ “घरेलू उत्पादकों पर (पाटित) आयातों के परिणामी प्रभाव” के सकारात्मक साक्ष्य और वस्तुनिष्ठ जांच के आधार पर वास्तविक मंदी का निर्धारण किया जाए। जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच तदनुसार, अनुच्छेद 3.4 के अनुसार होनी चाहिए जिसमें इस प्रावधान में सूचीबद्ध 15 क्षति संबंधी कारकों सहित सभी संगत कारकों का मूल्यांकन शामिल हो। इसका अर्थ है कि वास्तविक मंदी का निर्धारण घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर जांच आधारित होना चाहिए और यह कि इस जांच में अनुच्छेद 3.4 में

सूचीबद्ध क्षति संबंधी 15 कारकों का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण मिस्र- स्टील रिबार मामले में पैनल द्वारा इस निष्कर्ष से संगत है कि “अनुच्छेद 3.4 के कारकों की प्रत्येक मामले में जांच की जानी चाहिए चाहे वह किसी भी विशेष प्रदर्शन का हो या किसी दी गई जांच में क्षति के किसी मुद्दे का कोई रूप हो।” अनुच्छेद 3 के पाठ की कोई भी बात मोरक्को के इस तर्क का समर्थन नहीं करती है कि किसी जांचकर्ता प्राधिकारी के लिए वास्तविक मंदी विश्लेषण में “उसी गंभीरता के साथ” अनुच्छेद 3.4 के कारकों पर ध्यान देना चाहिए, अपेक्षित नहीं है। जैसा वास्तविक क्षति विश्लेषण में होता है।”

ज.3.2 वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में उत्पादन की शुरुआत से पहले भारत में संबद्ध वस्तु की पूरी मांग को आयातों से पूरा किया जा रहा था। भारतीय उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया। घरेलू उद्योग ने सितंबर, 2019 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। घरेलू उद्योग के अलावा भारत में संबद्ध वस्तु के दो अन्य घरेलू उत्पादक हैं। इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग एक अस्थापित उद्योग है या मौजूदा उद्योग है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित कारकों की जांच की है।

क. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की शुरुआत

73. घरेलू उद्योग (यानी डब्ल्यूएफएल) और अन्य ज्ञात भारतीय उत्पादकों ने क्षति अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। यद्यपि संबद्ध वस्तु का उत्पादन भारत में शुरू है फिर उनका कार्य निष्पादन अनुमानित आंकड़े से काफी कम है। वर्ष 2020-21 के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन वर्ष 2021 की परियोजना रिपोर्ट में यथाप्रदत्त अनुमानित उत्पादन का *** प्रतिशत था। घरेलू उद्योग ने पीओआई में 2020-21 के उत्पादन में अनुमानित आंकड़े को भी प्राप्त नहीं किया है। इसी प्रकार, डीआई की घरेलू बिक्रियां 2020-21 और 2021-22 के लिए अनुमानित घरेलू बिक्रियों का 2020-21 में *** प्रतिशत और पीओआई में *** प्रतिशत रही थी।

ख. क्या संबद्ध वस्तु का उत्पादन मौजूदा उद्योग में केवल नयी उत्पादन लाइन है?

74. डब्ल्यूटीओ पैनल ने संमुक्ति की है कि यदि उद्योग का उत्पादन किसी मौजूदा उद्योग में केवल एक नयी उत्पादन लाइन है तो यह वास्तविक मंदी का मामला नहीं बनता है। तथापि, पैनल ने इस बात पर जोर दिया है कि यह बात महत्वपूर्ण है कि विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन के लिए इतनी मात्रा में मौजूदा अवसंरचना का उपयोग किया जा रहा है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु के लिए एक नये विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की थी और सितंबर 2019 वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था।

75. ऊपर नोट किए गए अनुसार डब्ल्यूटीओ पैनल संमुक्ति की है कि केवल किसी नई उत्पाद लाइन की शुरुआत करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उद्योग की मौजूदा अवसंरचना में अति व्यापन की मात्रा महत्वपूर्ण है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चूंकि संबद्ध वस्तु के विनिर्माण के लिए एक नये संयंत्र/उत्पादन लाइन की स्थापना की जा रही है इसलिए उद्योग की मौजूदा अवसंरचना के बीच कोई अति व्यापन नहीं है और नया संयंत्र स्थापित किया गया है।

ग. समग्र रूप से घरेलू बाजार के आकार की तुलना में उत्पादन का आकार

76. भारत में घरेलू उत्पादकों ने क्षति अवधि के दौरान क्षमताएं स्थापित की हैं। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा *** प्रतिशत है जबकि भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा *** प्रतिशत है। तथापि, *** लाख वर्ग मीटर के उत्पादन के मुकाबले घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में केवल *** लाख वर्ग मीटर की बिक्री करने में सक्षम रहा है। घरेलू उद्योग का उत्पादन बाजार के काफी बड़े हिस्से की पूर्ति करने में के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के पास *** लाख वर्ग मीटर की मालसूचियां भी हैं। पीओआई के अंत में घरेलू उद्योग के पास मालसूची ही बाजार के अतिरिक्त *** प्रतिशत की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त थी। यह दर्शाता है कि आयातों ने घरेलू उद्योग को बाजार में अपना उत्पादन आपूर्ति करने से रोका है। संबद्ध आयातों का भारत में बाजार में अधिकांश हिस्सा है और संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा 42 प्रतिशत है।

घ. उत्पादन में स्थिरता

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का उत्पादन क्षति अवधि के दौरान शुरू हुआ। घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री के विश्लेषण से पता चलता है कि वह अनुमानित बाजार हिस्सा और उत्पादन प्राप्त करने में विफल रहा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने पीओआई के दौरान पूर्ण क्षमताओं की स्थापना भी नहीं की थी। *** लाख वर्ग मीटर की अनुमानित क्षमता के मुकाबले पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग ने केवल *** लाख वर्ग मीटर की क्षमता स्थापित की थी।

78. यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम रहा है। आंशिक क्षमता स्थापना के बाद भी घरेलू उद्योग उस क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं कर सका है।

79. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग के उत्पादन क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से और बिक्री में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में वृद्धि हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस बात पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार की उम्मीद है कि उसने हाल ही में संबद्ध वस्तु का उत्पादन शुरू किया है। कोई भी उत्पादक कुछ अवधि में अपने उत्पादन और बिक्री संबंधी कार्य निष्पादन में सुधार करने की उम्मीद रखता है। इसके परिणामस्वरूप, क्षमता उपयोग में धीरे-धीरे सुधार होता है। इस प्रकार क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री में वृद्धि बाजार में स्वयं को स्थापित करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रयासों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। तथापि, क्षमता उपयोग अनुमानित स्तर से काफी कम रहा है।

80. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मंदी के शब्द का अर्थ कोई बात होने या किसी वृद्धि की धीमी प्रक्रिया का होना भी है। इस प्रकार, यह जांच करने के लिए कि क्या आयातों ने उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी की है, संगत कारक यह नहीं है कि क्या उद्योग ने कुछ प्रगति दर्शाई है या लाभ कमाया है। बल्कि संगत पहलू परियोजना रिपोर्ट में किए गए अनुमानों के मुकाबले उसका कार्य निष्पादन है। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के वास्तविक कार्य निष्पादन की तुलना उसके अनुमानित कार्य निष्पादन के साथ की है।

ज.3.3 मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

81. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
घरेलू उद्योग	एसक्यूएम	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	1415	1806
अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	एसक्यूएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	167	1840	1840
संबद्ध आयात	एसक्यूएम	2,04,123	4,92,221	2,18,861	3,49,237
अन्य आयात	एसक्यूएम	80,467	76,464	56,169	66,806
मांग	एसक्यूएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	207	211	289

ज.3.4 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

82. पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों और अन्य देशों से वर्ष वार आयात आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं।

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
संबद्ध आयात	एसक्यूएम	2,04,123	4,92,221	2,18,861	3,49,237
चीन	एसक्यूएम	1,71,333	4,47,893	2,07,875	3,24,617
ताइवान	एसक्यूएम	32,790	44,328	10,986	24,620
अन्य आयात	एसक्यूएम	80,467	76,464	56,169	66,806
कुल	एसक्यूएम	2,84,590	5,68,685	2,75,030	4,16,043

निम्न के संबंध में संबद्ध आयात					
घरेलू उत्पादन	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	2.50	0.13	0.11
खपत (डब्ल्यूएफएल)	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	51	59

83. यह नोट किया गया है कि:

- क. संबद्ध आयातों में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कमी आई है। तथापि, जांच अवधि में संबद्ध आयातों में एक बार फिर वृद्धि हुई है।
- ख. खपत की दृष्टि से संबद्ध आयात भारत में सितंबर, 2019 में घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद भी अधिक रहे हैं।
- ग. संबद्ध आयातों का भारत में आयातों में अधिकांश हिस्सा है।

ज.3.5 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

84. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्य था कीमतों में भारी कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्य था काफी अधिक बढ़ गई होती।

क) कीमत कटौती

85. कीमत कटौती का आकलन आयातों की पहुंच कीमत के साथ उस कीमत की तुलना द्वारा किया गया है जिस पर घरेलू उद्योग द्वारा इस उत्पाद को बेचा गया है या भारत में बिक्री के लिए पेश किया गया है। कीमत कटौती का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	राशि
चीन जन. गण.		
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/एसक्यूएम	***
पहुंच कीमत	₹/एसक्यूएम	640
कीमत कटौती	₹/एसक्यूएम	***
कीमत कटौती	%	***%
कीमत कटौती	रेंज	20-30
ताइवान		
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/एसक्यूएम	***
पहुंच कीमत	₹/एसक्यूएम	685
कीमत कटौती	₹/एसक्यूएम	***
कीमत कटौती	%	***%
कीमत कटौती	रेंज	20-30
संबद्ध देश		

निवल बिक्री प्राप्ति	₹/एसक्यूएम	***
पहुंच कीमत	₹/एसक्यूएम	643
कीमत कटौती	₹/एसक्यूएम	***
कीमत कटौती	%	***%
कीमत कटौती	रेंज	20-30

प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत कटौती सकारात्मक और काफी अधिक है।

86. चूंकि घरेलू उद्योग आरंभिक अवस्था में है। इसलिए कीमत कटौती का आकलन घरेलू उद्योग की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य कीमतों के आधार पर भी किया गया है।

विवरण	इकाई	राशि
परियोजना रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य कीमत	₹/कि.ग्रा.	***
पहुंच कीमत (पीओआई के दौरान)	₹/कि.ग्रा.	643
कीमत कटौती	₹/कि.ग्रा.	***
कीमत कटौती	%	***%
कीमत कटौती	रेंज	40-50

87. यह नोट किया गया है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग लक्ष्य बिक्री कीमत से काफी कम है। कीमत कटौती घरेलू उद्योग की वास्तविक बिक्री कीमत तथा घरेलू उद्योग की लक्ष्य कीमत की तुलना में सकारात्मक और काफी अधिक है।

ख) आयात कीमतों में गिरावट

88. प्राधिकारी आयातों की पहुंच कीमत के रुझान को निम्नानुसार नोट करते हैं:

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
संबद्ध आयात	₹/एसक्यूएम	680	711	634	643
अन्य आयात	₹/एसक्यूएम	883	1,109	1,102	1,042
तीसरे देश के कीमत के प्रतिशत रूप में संबद्ध आयात कीमत	%	77	64	58	62

89. संबद्ध देशों से आयातों की कीमतों में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान गिरावट आई है जबकि अन्य देशों से आयात की कीमतें बढ़ी हैं। यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध आयातों की कीमतें तीसरे देश के आयात कीमतों की तुलना में काफी कम रही हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि तीसरे देशों से आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और लक्ष्य कीमत से अधिक रही हैं। संबद्ध आयातों की कीमतें काफी कम हैं जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ता है।

ग) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

90. चूंकि घरेलू उद्योग आरंभिक अवस्था में है। इसलिए यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों में ह्रास हो रहा है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में काफी अधिक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो सामान्य प्रक्रिया में हो गई होती। निम्नांकित तालिका में पीओआई के दौरान पीयूसी की बिक्री लागत, बिक्री कीमत और पहुंच कीमत दर्शायी गई है।

विवरण	इकाई	राशि
बिक्रियों की लागत	₹/एसक्यूएम	***
पहुंच कीमत	₹/एसक्यूएम	643
बिक्री कीमत	₹/एसक्यूएम	***
परियोजना रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य बिक्री कीमत	₹/एसक्यूएम	***

यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत पीयूसी की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम थी। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत घरेलू उद्योग की लक्ष्य कीमत से कम है। पहुंच कीमत के कारण घरेलू उद्योग की कीमत पर दबाव पड़ रहा है और घरेलू उद्योग अपने लक्ष्य कीमत को प्राप्त नहीं कर पाएगा।

ज.3.6 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

91. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादकों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी अपेक्षित है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सांकेतिकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, नियोजित पूंजी पर आय या क्षमता उपयोग पर वास्तविक और संभावित गिरावट शामिल हैं; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव भी शामिल है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्राएं

92. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है:-

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	POI	अनुमानित (2021-22)
क्षमता	एसक्यूएम	-	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	450	675	1,191
उत्पादन	एसक्यूएम	-	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	1571	3046	7,292
क्षमता उपयोग	एसक्यूएम	-	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	363	472	612
घरेलू उद्योग						
घरेलू बिक्रियां	एसक्यूएम	-	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	1415	1806	24,579

93. यह नोट किया गया है कि:

क. चूंकि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया है। इसलिए क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

- ख. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन घरेलू उद्योग की बिक्री से 7 गुना है। घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन के निपटान के लिए निर्यातों पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपने उत्पाद की बिक्री करने में असमर्थ है।
- ग. घरेलू उद्योग पीओआई के दौरान *** प्रतिशत का अनुमानित क्षमता उपयोग प्राप्त नहीं कर पाया है। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम बना रहा है। यह ऐसा इस तथ्य के बाजवूद है कि घरेलू उद्योग ने वह पूर्ण क्षमता स्थापित नहीं की थी जिसका उसे अनुमान था।
- घ. वर्ष 2020-21 के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन परियोजना रिपोर्ट में यथा प्रदत्त *** एसक्यूएम के अनुमानित उत्पादन से काफी कम है। यह अनुमानित उत्पादन का *** प्रतिशत है। पीओआई में भी घरेलू उद्योग वर्ष 2020-21 के लिए उत्पादन के अनुमानित आंकड़े को प्राप्त नहीं कर पाया है।

ख) बाजार हिस्सा

94. जांच अवधि में घरेलू उद्योग और संबद्ध आयातों के डब्ल्यूजीबीएल का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया था।

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
संबद्ध आयात	%	71%	83%	36%	42%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	51	59
अन्य आयात	%	28%	13%	9%	8%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	46	33	29
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	%	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध		100	1390	1294
अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	%	***%	***%	***%	***%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	954	572

95. यह नोट किया गया है कि संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों ने भारत में बाजार का काफी हिस्सा कब्जा रखा है। चूंकि पूर्व में कोई उत्पादन नहीं था। इसलिए संबद्ध देशों और अन्य स्रोतों से आयात संपूर्ण मांग को पूरा कर रहे थे। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन शुरू करने के बाद भी संबद्ध आयातों का भारतीय बाजार में काफी अधिक हिस्सा रहा है।

ग) वस्तुसूची

96. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और डब्ल्यूजीबीएल की वस्तुसूचियों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
प्रारंभिक वस्तुसूची	एसक्यूएम	-	***	***	***
अंतिम वस्तुसूची	एसक्यूएम	-	***	***	***
औसत वस्तुसूची	एसक्यूएम	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	211	118

97. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत वस्तुसूचियों में वर्ष 2020-21 में वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में गिरावट आई है। वस्तुसूची के आंकड़ों में वस्तुसूचियों की स्टॉक पाइलिंग दर्शायी गई है, जिसमें औसत वस्तुसूचियां करीब 6 माह से अधिक की घरेलू बिक्रियों की हैं।

घ) लाभप्रदता, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी

98. चूंकि घरेलू उद्योग शुरूआती अवस्था में है, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकदी लाभों और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का विश्लेषण करने के लिए, प्राधिकारी ने जांच की अवधि में घरेलू उद्योग और डब्ल्यूएफएल व डब्ल्यूजीबीएल के निष्पादन के साथ अनुमानित लाभप्रदता की तुलना की है।

विवरण	यूनिट	जांच की अवधि	वर्ष (2021-22) की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार	परियोजना रिपोर्ट की तुलना में जांच की अवधि में निष्पादन (%)
बिक्री की गई मात्रा एसक्यूएम	घरेलू	***	***	-93%
बिक्रियों की लागत	₹/ एसक्यूएम	***	***	14%
बिक्री कीमत	₹/ एसक्यूएम	***	***	-12%
लाभ/ (हानि)	₹/ एसक्यूएम	***	***	-87%
लाभ/ (हानि)	लाख ₹	***	***	-99%
नकदी लाभ	लाख ₹	***	***	-99%
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	-89%

99. यह नोट किया जाता है कि:

क. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर काफी प्रभाव पड़ा है क्योंकि उसने वर्ष 2021-22 के लिए [***%] के परियोजना आंकड़ों की तुलना में नियोजित पूंजी पर बहुत ही कम प्रतिफल [***%] प्राप्त किया है।

ख. पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग ने अनुमानित लाभों और नकदी लाभों का केवल 1% अर्जित किया है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

100. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में सूचना की जांच की है, जो इस प्रकार है:

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	123	119
उत्पादकता प्रतिदिन	एसक्यूएम/दिन	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	827	1,603
मजदूरी	लाख ₹	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	738	831

101. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में उत्पादन शुरू किया है और तदनुसार, कर्मचारियों की संख्या, मजदूरी और उत्पादकता प्रतिदिन में वृद्धि हुई है।

च) वृद्धि

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20 (क)	2020-21	जांच की अवधि
क्षमता	%	-	-	144	50
उत्पादन	%	-	-	751	94
घरेलू बिक्रियां	%	-	-	1240	28
लाभ/हानि प्रति यूनिट	%	-	-	100	859
नकदी लाभ	%	-	-	101	48
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	-	-	124	64

102. (क) यद्यपि वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के मापदंड सकारात्मक है, लेकिन घरेलू उद्योग को वर्ष 2019-20 के दौरान हानियां, नकदी हानियां हुई हैं और नियोजित पूंजी पर एक नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।

(ख) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अनुमान से काफी कम है क्योंकि इसने वर्ष 2021-22 के लिए ***% के परियोजना आंकड़े की तुलना में नियोजित पूंजी पर केवल ***% मामूली रिटर्न दिया है।

(ग) पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग ने अनुमानित लाभों और नकदी लाभों का केवल 1% ही अर्जित किया है।

छ) पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता

103. लाभप्रदता कम है और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल तथा बाजार अंश की स्थिति भी ऐसी ही है। यह दर्शाता है कि नए पूंजीगत निवेशों को जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता पर संबद्ध आयातों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ज) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारण

104. घरेलू उद्योग पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद लक्ष्य कीमतें लाने में असमर्थ है। संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

झ. पाटन की मात्रा

105. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुएं भारत में पाटित की जा रही हैं और पाटन मार्जिन सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण हैं।

ज.3.7 क्षति मार्जिन की मात्रा

106. प्राधिकारी ने यथासंशोधित नियमावली के अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत को, जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत के संबद्ध में सत्यापित सूचना/डेटा को अपनाकर निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए, क्षति अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्रियों का सर्वोत्तम उपयोग किए जाने पर विचार किया गया है। यूटिलिटीज के साथ भी ऐसा ही किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन की लागत के लिए कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्यय नहीं लिया गया है। औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां एवं औसत कार्यशील पूंजी) पर एक तर्कसंगत रिटर्न (प्री-टेक्स @22%) विचाराधीन उत्पाद के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में शामिल किया गया था ताकि नियमावली के अनुबंध III में यथानिर्धारित क्षति रहित कीमत निकाली जा सके और इसका अनुसरण किया जा रहा है।

107. उपरोक्तानुसार यथानिर्धारित पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है और और इसे नीचे तालिका में प्रदान किया गया है।

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	क्षतिरहित कीमत	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		(यूएसडॉलर/वर्ग मी.)	(यूएसडॉलर/वर्ग मी.)	(यूएसडॉलर/वर्ग मी.)	(%)	(रेंज %)
चीन जन.गण.						
1	सभी निर्यातक	***	***	***	***	20-30
ताईवान						
1	सभी निर्यातक	***	***	***	***	10-20

ज 3.8 क्षति का समग्र आकलन

108. विचाराधीन उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि:

- क्षति अवधि के दौरान आयात अधिक रहे हैं और उनमें वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
- भारत में खपत के संदर्भ में आयात अधिक रहे हैं।
- घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किए जाने के बावजूद, संबद्ध आयातों की मात्रा में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- घरेलू उद्योग की वास्तविक और लक्ष्य कीमत की तुलना में कीमत कटौती सकारात्मक है।
- संबद्ध देशों से आयातों की कीमत में इस अवधि के दौरान गिरावट आई है, जबकि अन्य देशों से आयातों की कीमत में वृद्धि हुई है।
- चूंकि पहुंच कीमत बिक्री की वास्तविक लागत से कम है, इसलिए आयात कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव डाल रही है।
- चूंकि घरेलू उद्योग ने हाल ही में उत्पादन शुरू किया है। अतः जांच की अवधि के दौरान क्षमता, क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्रियों में वृद्धि हुई है।
- संबद्ध आयातों का भारतीय बाजार में पर्याप्त हिस्सा है।
- घरेलू उद्योग की वस्तुसूचियों में वर्ष 2020-21 में वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में कमी आई है। तथापि, वस्तुसूची धारण अवधि काफी अधिक है।
- अनुमानित लाभों, नकदी लाभों तथा नियोजित पूंजी पर सकारात्मक प्रतिफल की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का वर्तमान निष्पादन नीचे की तरफ काफी अधिक है।
- संबद्ध आयात भारत में पाटित किए जा रहे हैं और पाटन मार्जिन सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण है।
- आयातों से घरेलू उद्योग की पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- वर्तमान कीमतों पर, घरेलू उद्योग अपने लक्ष्य निष्पादन को हासिल करने में समर्थ नहीं होगा।

झ. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

109. क्षति की मौजूदगी, उसकी मात्रा और घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत संबंधी प्रभावों की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति नियमावली के तहत यथासूचीबद्ध पाटित आयातों के अलावा, किसी अन्य कारक के कारण हो सकती है।

क) अन्य देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

110. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों के अलावा प्रमुख आयात कोरिया गणराज्य से होते हैं। तथापि, ऐसे आयातों की कीमत संबद्ध आयातों की कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी अधिक होती है। संबद्ध देशों और

कोरिया गणराज्य के अलावा अन्य देशों से आयातों की मात्रा नगण्य है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य देशों से आयातों के कारण क्षति हो रही है।

ख) मांग में संकुचन

111. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग में कोई संकुचन नहीं है, क्योंकि देश में संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ग) खपत की पद्धति

112. यह नोट किया जाता है कि खपत की पद्धति में अनुकूल बदलाव हुआ है, जिसके कारण संबद्ध वस्तुओं की खपत में काफी वृद्धि हुई है।

घ) प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंध प्रक्रियाओं की स्थितियां

113. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच में यह नहीं दर्शाया गया है कि प्रतिस्पर्धा या व्यापार प्रतिबंध प्रक्रियाओं की स्थितियों में बदलाव आया है।

ड) प्रौद्योगिकी में बदलाव

114. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं था।

च) उत्पादकता

115. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

छ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

116. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण केवल घरेलू निष्पादन तक ही सीमित है और निर्यात निष्पादन का प्रभाव इससे अलग किया गया है।

ज) अन्य उत्पादों का निष्पादन

117. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन के संबंध में केवल डेटा पर ही विचार किया है।

झ) कोविड-19

118. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति कोविड-19 के कारण हो सकती है और घरेलू उद्योग की परियोजना रिपोर्ट की, घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन के साथ तुलना नहीं की जा सकती। घरेलू उद्योग की मांग, संबद्ध आयातों और घरेलू बिक्रियों में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय बाजार पर कोविड-19 का प्रभाव पड़ा था।

ञ) स्टार्टअप लागत और कच्ची सामग्री की कीमत

119. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किए हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति स्टार्टअप लागत और कच्ची सामग्री की कीमत के कारण है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि स्टार्टअप लागत पूंजीकृत है और इसे उत्पादन की लागत में शामिल नहीं किया गया है।

कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

120. यद्यपि नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण से है।

क. भारत में संबद्ध वस्तुओं का काफी पाटन हुआ है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पाद शुरू किए जाने के बाद भी पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों की मात्रा भारत में खपत के संदर्भ में अधिक रही है।

ग. संबद्ध आयातों का भारत में पर्याप्त बाजार हिस्सा है।

घ. घरेलू उद्योग की वास्तविक और लक्ष्य कीमत की तुलना में कीमत कटौती सकारात्मक है।

ड. पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की वास्तविक लागत से कम है।

- च. घरेलू उद्योग की वस्तुसूचियों में वर्ष 2020-21 में वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में कमी आई है। तथापि, वस्तुसूची धारण अवधि काफी अधिक है।
- छ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता काफी हद तक प्रभावित हुई है क्योंकि इसने ***% के परियोजना आंकड़े के मुकाबले ***% की पूंजी पर बहुत कम रिटर्न दिया है। वर्ष 2021-22 के लिए।
- ज. आयातों से घरेलू उद्योग की पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- झ. वर्तमान कीमतों पर, घरेलू उद्योग अपने लक्ष्य निष्पादन को हासिल करने में समर्थ नहीं होगा।
- ञ. **भारतीय उद्योग के हित और अन्य मामले**

ञ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

121. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भारतीय उद्योग के हित के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

क. देश में मांग आपूर्ति अंतराल को पूरा करने के लिए आयात किए गए हैं।

ञ.2. आवेदकों के विचार

122. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

- क. संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों, घरेलू ग्राहकों, अपस्ट्रीम और डाउस्ट्रीम उद्योग सहित विभिन्न पक्षकारों और आम जनता के हितों के परिप्रेक्ष्य से लोक हित की जांच की जानी चाहिए।
- ख. चूंकि भारतीय उद्योग शुरुआती अवस्था में है, अतः इसे अपना ग्राहक आधार विकसित करने की जरूरत है। यदि यह बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ नहीं है, तो इसे बंद करना होगा।
- ग. घरेलू उद्योग में एक नया संयंत्र स्थापित करने के लिए *** करोड़ रु. की निवेश किया है, ऐसी स्थिति में निवेश अलाभकारी हो जाता है, तो इससे उत्पाद में आगे निवेश हतोत्साहित हो गया। इससे भारत पूरी तरह से आयातों पर निर्भर होगा।
- घ. पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि घरेलू उत्पादकों के पास देश में पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता और उत्पादन है।
- ड. विगत में मेटिरियल रिटार्डेशन के मामलों में, घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद स्थापित होने के लिए समर्थ था।
- च. भारतीय उद्योग के बंद होने के मामले में, उपभोक्ताओं को निर्यातकों की दया पर छोड़ दिया जाएगा, जिससे कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि आयात कीमत भारत में उत्पादन शुरू होने से पूर्व काफी अधिक थी।
- छ. घरेलू उद्योग के समक्ष ऐसे उत्पादकों से अनुचित प्रतिस्पर्धा आती है, जो चीन जन.गण. सरकार से काफी सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी सहायता से भारत में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों पर खराब प्रभाव पड़ा है।

ञ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

123. रिकार्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, घरेलू उद्योग के पास भारत में समग्र मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग का उत्पादन भारत में मांग से अधिक है, तथापि, वह घरेलू बाजार में अपनी वस्तुओं की बिक्री करने में असमर्थ है। इस प्रकार, भारत में मांग आपूर्ति को कोई अंतर नहीं है।

124. प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी उपायों को लगाए जाने से कोई कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पाटन प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को दूर किया जा सकेगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार आएगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्पों की उपलब्धता को बनाकर रखा जा सकेगा। सामान्यतः पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन है। अनुचित व्यापार पाटन प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनः स्थापना हो सके, जो कि देश के सामान्य हित में है। अतः पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने से, उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लगाए जाने से किसी भी

तरह से संबद्ध देश से आयात सीमित नहीं होंगे, और इसीलिए उपभोक्ताओं को विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ट प्रकटीकरण के उपरांत टिप्पणियां

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- i. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली कीमत (एनसीआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों हैं, कटौती और क्षति मार्जिन समान रेंज में हैं। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग, संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने में समर्थ है।
- ii. प्राधिकारी निरंतर किसी ऐसे शुल्क की सिफारिश नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि घरेलू उद्योग परिकलित एनआईपी से अधिक प्राप्त कर रहा है। (अर्थात् जब एनएसआर, एनआईपी में अधिक है।) चूंकि घरेलू उद्योग एनआईपी से अधिक प्राप्त कर रहा है, अतः घरेलू उद्योग पर कीमत के किसी प्रतिकूल प्रभाव का प्रश्न नहीं उठता। घरेलू उद्योग, कीमत से अधिक अर्जित कर रहा है। जो प्राधिकारी के अनुसार क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त है।
- iii. आवेदक उद्योग का वित्तीय निष्पादन, कोविड के बाद बाजार के सामान्य होने के उपरांत काफी मजबूत हो गया है।
- iv. घरेलू उद्योग के दायरे में एक गैर-उत्पादक कंपनी अर्थात् डब्ल्यूजीबीएल पर विचार करने और उसके बाद क्षति विश्लेषण के लिए विचार करने का प्रस्ताव न तो नियमावली के अनुसार अनुमत है और न ही माननीय प्राधिकारी की प्रक्रिया के अनुसार है।
- v. यह मामला कि समग्र क्षति विश्लेषण डब्ल्यूजीबीएल के बिना नहीं किया जा सकता, यह नोट किया जाता है कि मामले की यूरोपीय संघ, जापान, यूएसए और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कोटेड/प्लेटेड टिन मिल प्लेट रोलड स्टील उत्पादों [फा. सं. 6/9/2019-डीजीटीआर, दिनांक 17.06.2019] मामले में अंतिम जांच परिणामों के खंड 'क्षति और कारणात्मक संबंध' में विस्तार से जांच की गई है। हितबद्ध पक्षकारों ने टीसीआईएल और टाटा स्टील के बीच हॉट रोलड स्टील उत्पादों की अंतरण कीमतों की गहन जांच की जरूरत के संबंध में अनुरोध किए हैं। इस संबंध में प्राधिकारी ने जेसीडब्ल्यू वल्लभ और टीसीआईएल, दोनों के लिए हॉट रोलड स्टील उत्पादों की अंतरण कीमत की विस्तार से जांच की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि टाटा स्टील और टीसीआईएल के बीच तथा साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू वल्लभ के बीच भी हॉट रोलड स्टील उत्पादों की कीमत को उपयुक्त और आर्म्स लेंथ कीमत पर किया गया है।
- vi. आवेदकों की ओर से व्यापार संस्था पर विचार करने के लिए आवेदकों द्वारा दी गई निर्यात कीमत में समायोजन का संदर्भ गलत है और कानून के प्रावधानों के प्रतिकूल है।
- vii. आवेदक द्वारा निर्मित नहीं किए गए उत्पादों को बाहर किया जाना चाहिए। आवेदक लगजरी विनाइल टाइल्स का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्टोन प्लेट कास्टिंग का उत्पादन कर रहे हैं। अतः एलवीटी को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए।
- viii. सामान्य मूल्य और एनआईपी की गणना पीसीएन-वार आधार पर की जानी चाहिए और भारत में आयातों का विभाजन घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री किए गए उत्पाद या आयातकों द्वारा दाखिल किए गए पीसीएन-वार आंकड़ों की कीमत रेंज के आधार पर की जानी चाहिए।
- ix. यह नोट किया जाना है कि क्षति के सभी प्रमुख मापदंड ऊपर की ओर रहे हैं या एक सशक्त स्तर दर्शाया है और ऐसी प्रवृत्तियों को किसी भी तरीके से मैटिरियल रिटार्डेशन की स्थिति के रूप में नहीं माना जा सकता।
- x. यहां इस बात पर बल दिया जाता है कि घरेलू उद्योग ने हितबद्ध पक्षकारों को इसके लिए कोई प्रभावी खंडन करने या टिप्पणियां देने के लिए अनुमति देने एवं परियोजना रिपोर्ट को कोई सार्थक अगोपनीय स्तर प्रदान नहीं किया है।
- xi. परियोजना रिपोर्ट बैंक से ऋण लेने के लिए एक आंतरिक दस्तावेज है और इसे आवेदक के वास्तविक निष्पादन के आकलन के लिए एक मापदंड के रूप में नहीं माना जा सकता है।

- xii. मैटिरियल रिटार्डेशन की ऐसी स्थिति में जांच की जाएगी, जहां नया स्थापित उद्योग कंपनी नहीं है। वर्तमान जांच में, उद्योग पहले से वर्ष 2015 से मौजूद है।
- xiii. मिंगल प्लास्ट प्रा. लि., रेस्पॉसिव इंडस्ट्री लिमिटेड और आरएमजी पॉलिविनाइल इंडिया लि. वर्ष 2015 से ही विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं।
- xiv. एक मैटिरियल रिटार्डेशन मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता को अभी बाजार में अपना मार्ग तलाशना था या पहले से स्थापित था। मैटिरियल रिटार्डेशन के दावे को स्पष्ट करने के लिए कोई पर्याप्त आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं।
- xv. वर्तमान जांच में, इस बात की अत्यधिक संभावना है कि इसमें बाजार में प्रभुत्व होगा और बाजार में प्रवेश के लिए बाधा उत्पन्न होगी, जो कि प्रतिस्पर्धी वातावरण और भारत में उद्योग को उपयुक्त विकास के लिए नुकसानदेह है।
- xvi. एनआईपी के निर्धारण में, प्राधिकारी के घरेलू उद्योग को नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल लागू करके अनुचित संरक्षक प्रदान कर रहे हैं, जिसे 1987 में डिजाइन किया गया था।

ट.2. आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

- i. आयातों की मात्रा में विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में पहले ही 60% तक वृद्धि हो गई है। तथापि, अक्तूबर, 2021 से मई, 2022 के बीच आयातों में आगे 236% तक की और भी वृद्धि हो गई।
- ii. पाटन मार्जिन की मात्रा और वर्तमान आयात कीमत, घरेलू उद्योग की लक्ष्य बिक्री कीमत से तुलनात्मक है। यह नोट किया जाएगा कि घरेलू उद्योग केवल पाटन के कारण अपनी लक्ष्य बिक्री कीमत हासिल नहीं कर सका है।
- iii. चूंकि वर्तमान मामला मैटिरियल रिटार्डेशन का है न कि वास्तविक क्षति का है, अतः घरेलू उद्योग को लक्ष्य कीमत से इंकार किया गया है, जो यदि भारत में पाटन नहीं होता, तो हासिल कर ली गई होती।
- iv. घरेलू उद्योग का खराब निष्पादन केवल पाटन के कारण है। यदि भारत में कोई पाटन नहीं होता, तो घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण उच्च बिक्रियां अर्जित करने, उत्पादन, क्षमता उद्योग, लाभ और प्रतिफल की अनुमति मिल गई होती।
- v. संबद्ध आयातों की कीमत और अन्य आयातों की कीमत का अनुपात कम हुआ है, जिसका अर्थ है कि पाटित आयात की कीमतों में अपाटित स्रोतों से आयातों की कीमत के संदर्भ में कमी आई है।
- vi. वर्तमान आयातों से घरेलू उद्योग के लिए हानि रहित व्यापार करना असंभव हो गया है।
- vii. यदि डब्ल्यूएफएल और डब्ल्यूजीबीएल, दोनों के लिए आंकड़ों पर विचार किया जाता है, तो दर्शाएगा कि घरेलू उद्योग को अपने निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल मिल रहा है।
- viii. उत्पादक दायरे को सहनशीलता के संदर्भ में पारिभाषित किया जाए ताकि प्रवंचना से बचा जा सके। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाए कि उत्पाद की मोटाई की गणना आईएक्सपीई को छोड़कर या किसी अन्य प्रकार के फोम से की गई है।
- ix. जबकि याचिकाकर्ताओं ने यह स्पष्ट किया था कि क्यों विपणन कंपनी को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं पता चला कि प्राधिकारी ने इसे स्पष्ट किया था।
- x. वर्तमान दृष्टिकोण से तात्पर्य यह होगा कि क्षति मार्जिन और कीमत कटौती का निर्धारण करने में एक उचित तुलना आवश्यक नहीं है। किसी भी तरह से, प्राधिकारी पहुंच कीमत के निर्धारण के लिए भी संगत आयातक को बिक्री की कीमत को अस्वीकार करते हैं, जो धारा 9क (1) (ख) के प्रावधानों द्वारा या उचित तुलना द्वारा स्थापित नहीं होती।
- xi. जब डब्ल्यूएफएल द्वारा डब्ल्यूजीबीएल को वस्तुएं भेजी जाती हैं, तो ऐसा कोई वास्तविक बदलाव नहीं होता। वस्तुएं फैक्ट्री गेट के भीतर बेयरहाउस में रहती हैं। केवल तभी, जब वस्तुएं डब्ल्यूजीबीएल द्वारा किसी स्वतंत्र ग्राहक को बेची जाती हैं, तभी वस्तुएं फैक्ट्री गेट से बाहर जाती हैं। डब्ल्यूजीबीएल उसके परिसर में वस्तुओं को रखने के लिए किराए का भुगतान करता है।

- xii. डब्ल्यूजीबीएल द्वारा किए गए वास्तविक क्रियाकलापों की प्रकृति से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे मात्र एक विपणन संस्था के रूप में नहीं माना जा सकता है। व्ययों का महत्वपूर्ण भाग डब्ल्यूजीबीएल द्वारा खर्च किया गया है और यह उत्पादन और बिक्री प्रक्रिया के लिए अधिक कुशल विशेषज्ञता प्रदान करता है।
- xiii. याचिकाकर्ताओं ने यूरोपीय आयोग द्वारा की गई दो जांचों पर भरोसा किया है। (काउंसिल विनियम (ईसी) सं. 1683/2004, दिनांक 24 सितंबर, 2004 और प्रारंभिक जांच परिणाम- कार्यान्वयन विनियमन आयोग (ईयू) 2015/1559, दिनांक 18 सितंबर, 2015)। ऐसी प्रारंभिक जांच परिणामों की ईसी द्वारा कार्यान्वयन विनियमन आयोग (ईयू) 2016/388, दिनांक 17 मार्च, 2016 के तहत जारी अंतिम जांच परिणामों में पुष्टि की गई थी, जिसके द्वारा यह दावा किया गया है कि घरेलू उत्पादों के संगत पक्षकारों को घरेलू उद्योग का एक हिस्सा माना गया था।
- xiv. यदि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं की बिक्री अन्य देशों से आयातों की कीमत के समान कीमत पर अथवा संबद्ध देशों की अपाटित पहुंच कीमत पर करने में समर्थ है, तो इसका उत्पादन काफी अधिक होगा।
- xv. उत्पाद की लक्ष्य कीमत, क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए आधार होना चाहिए।
- xvi. आयातों की कीमतों में डब्ल्यूएफएल द्वारा उत्पादन की शुरुआत किए जाने के बाद गिरावट आई।
- xvii. प्राधिकारी संगत निर्यातकों के संदर्भ में घरेलू उत्पादों की पात्रता का भी मूल्यांकन करते हैं, जिसमें एक एकल आर्थिक संस्था के रूप में ऐसी संस्थाओं पर विचार करना शामिल है, जो अन्य के व्यापार पर नियंत्रण रख रही है।
- xviii. उत्पादक को कच्ची सामग्री से तैयार उत्पाद बनाने में लगी एक संस्था तक सीमित नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग की परिमाण को निर्यात में लगी एक उत्पादक तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें उससे जुड़े किसी क्रियाकलाप में लगा उत्पादक शामिल है।
- xix. यहां तक कि यदि डब्ल्यूजीबीएल को वर्तमान मामले में एक निर्यात के रूप में विचार नहीं किया जाता है, तो यह उत्पादन से जुड़े क्रियाकलापों से भली-भांति संबद्ध है और इसे वर्तमान जांच के लिए घरेलू उद्योग का एक हिस्सा माना जाना चाहिए।
- xx. इस बात पर भी बल दिया गया था कि डब्ल्यूएफएल द्वारा डब्ल्यूजीबीएल को हस्तांतरण किया जाना एक उत्पादक द्वारा कैप्टिव खपत के समान है।
- xxi. एकल आर्थिक संस्था की संकल्पना, वर्तमान जांच के लिए याचिकाकर्ता द्वारा विकसित की गई कोई नई संकल्पना नहीं है, बल्कि यह भारत में विभिन्न विधियों का एक हिस्सा है। जिसमें कि यह आवश्यक है कि संगत पक्षकार को उनके संबंध की विशिष्ट प्रकृति के कारण एक संस्था के रूप में माना जाए।
- xxii. समूह कंपनी की खाता बाहियों में कीमत अंतरण करने के व्यवहार पर विचार करना आवश्यक है। डब्ल्यूआईएल भी वर्तमान मामले में एक याचिकाकर्ता है। जबकि समेकित खाता बाहियों का विश्लेषण एक व्यापक और अधिक वास्तविक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- xxiii. पहुंच कीमत प्रायः सीमाशुल्क स्तर पूर्ण निर्धारित नहीं की जाती। निर्यातक के एक संगत आयातक द्वारा आयात के मामले में, पहुंच कीमत को आयातक की पुनः बिक्री कीमत या संगत आयातक की हानि के लिए समायोजित कीमत के आधार पर माना जाता है।
- xxiv. भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों पर विचार किए जाने की जरूरत है, जिसमें यह अपेक्षित है कि यहां तक कि जब कोई पक्षकार किसी संगत पक्षकार को वस्तुएं अंतर्गत करता है, तो उसे राजस्व के रूप में दर्ज करना चाहिए। तथापि, ऐसा राजस्व अन्ततः अमान्य हो जाता है, जब सभी संगत पक्षकारों के खातों को समेकित किया जाता है।
- xxv. इसके अलावा, प्रकटीकरण विवरण अन्यत्र की तरह स्वयं ही विरोधाभासी है, अतः प्राधिकारी ने ही याचिकाकर्ताओं को एक एकल संस्था के रूप में माना है।
- xxvi. याचिकाकर्ता निर्यात कीमत के लिए किए गए समायोजनों के प्रकटन का अनुरोध करते हैं।
- xxvii. जैसा कि प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण विवरण में नोट किया गया है, आयातों में जांच की अवधि के दौरान ही वृद्धि हुई थी। तथापि, बाद की अवधि में, आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई।

- xxviii. याचिकाकर्ता यह अनुरोध करते हैं कि इस समय, उन्हें नियम 2(ख) में घरेलू उत्पादों के प्रसंग में घरेलू उद्योग को परिभाषित किए अनुसार माना जा रहा है। तथापि, कानून की भाषा में उत्पादक बनने के लिए संस्था के दर्जे या प्रकृति का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा, यहां तक कि निर्दिष्ट प्राधिकारी की विगत प्रक्रिया में भी यह उल्लेख नहीं है कि घरेलू उत्पादक को एक विधिक संस्था होना चाहिए। विगत में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के भाग के रूप में घरेलू उत्पादकों के रूप में भागीदारी फर्मों पर विचार किया है। तथापि, एक भागीदारी फर्म अपने आप में एक कानूनी संस्था नहीं होती, यद्यपि यह एक आर्थिक संस्था होती है।
- xxix. घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि दिनांक 23 नवंबर, 1995 और दिनांक 25 अक्टूबर, 1995 की अधिसूचना द्वारा वेनेजुएला और हांगकांग ने डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार में उल्लिखित परिभाषा के अलावा "और उससे संबंधित किसी कार्यकलाप" को शामिल करने हेतु अर्थ और कारण के संबंध में क्रमशः स्पष्टीकरण मांगा है। इसके उत्तर में भारत ने बताया है कि "इसका आशय समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को समग्र रूप से शामिल करना है चाहे वे विनिर्माण या उससे संबंधित किसी कार्यकलाप में शामिल हों" इस प्रकार ऐसी दोनों कंपनियां नियम 2(ख) और नियमावली के अनुबंध-III के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग होंगी।
- xxx. उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार के अनुसार इस प्रश्नगत क्रियाकलाप में "उत्पादन" शामिल है, जिसकी सेवा गोवा के मामले में इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय की राय पर कोई संदेह नहीं है। इस न्यायालय द्वारा यह पाया गया था कि "उत्पादन" शब्द इसके दायरे में व्यापक है और इसमें "निर्माता" शब्द भी अपेक्षा व्यापक निहितार्थ है। यह पाया गया था कि जबकि प्रत्येक निर्माता उत्पादन कर सकता है, लेकिन प्रत्येक उत्पादन निर्माण नहीं होता।
- xxxi. इसके अलावा, प्रकटीकरण विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों की स्थिति धारा 9क (1)(ख) के अंतर्गत उनकी स्थिति के संबंध में भिन्न है। तथापि, यह सत्य नहीं है। धारा 9क(1)(ख) के प्रावधान किसी निर्यातक और किसी संगत आयातक के बीच केवल सौदे के संदर्भ में है। तथापि, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित के संबंध में साक्ष्य प्रदान किए हैं:
- क. दो संगत विदेशी उत्पादक
 - ख. विदेशी उत्पादक और संगत निर्यातक
 - ग. विदेशी उत्पादक और संगत आयातक
 - घ. कंपनियों के एक समूह को एक पाटन मार्जिन प्रदान करना
- xxxii. डब्ल्यूएफएल की अंतरण कीमत के आधार पर कीमत कटौती का निर्धारण वर्तमान जांच में उपयुक्त नहीं है। यह इस तथ्य के कारण है कि डब्ल्यूएफएल से डब्ल्यूजीबीएल के अंतरण की कीमत पर बाजार प्रतिस्पर्धा का प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसे मामले में, डब्ल्यूएफएल की अंतरण कीमत के आधार पर कीमत कटौती से कीमतों पर पाटन का प्रभाव नहीं दिखाई देगा।
- xxxiii. एनआईपी के संबंध में, यह कहा गया है कि वास्तविक क्षमता उपयोग, वास्तविक कच्ची सामग्री की खपत और वास्तविक यूटिलिटी खपत को क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए अपनाया जाना चाहिए। वेतन एवं मजदूरी जैसे व्यय, अन्य निर्माण खर्च, अन्य प्रशासनिक खर्च, जो कंपनी के संबंध में हैं न कि उत्पाद के संबंध में हैं, इन व्ययों को उत्पाद के संबंध में निर्धारण व्यय नहीं माना जाना चाहिए। डब्ल्यूजीबीएल द्वारा किए गए व्यय को विचार में लिया जाना चाहिए। कतिपय आय को घरेलू उद्योग द्वारा अपने दावे में लागत से गलत कम किया गया है। वर्तमान में, क्षतिरहित कीमत को सकल रूप से अधिक बताया गया है। अतः क्षतिरहित कीमत का पुनः निर्धारण करने की जरूरत है।
- xxxiv. घरेलू उद्योग का उत्पादन स्टार्टअप प्रचालनों के कारण से नहीं है। घरेलू उद्योग का उत्पादन पाटन के कारण कम है।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

125. प्राधिकारी ने अन्य हितवद्ध पक्षकारों और आवेदकों द्वारा प्रकटीकरण के बाद किए गए निवेदनों की जांच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां दोहराई गई हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम जांच परिणाम के प्रासंगिक पैरा में पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है।

126. प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए मुद्दे इच्छुक पार्टियों और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक मानी गई जांच नीचे की गई है।

127. इस दावे के संबंध में कि प्राधिकारी किसी शुल्क की सिफारिश नहीं करते, जिनमें कि घरेलू उद्योग परिकल्पित एनआईपी से अधिक प्राप्त कर रहा है, अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान मामला घरेलू उद्योग की स्थापना के मैटिरियल रिटार्डेशन का मामला है। ऐसी सकारात्मक और महत्वपूर्ण कीमत कटौती है, जिसके कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करने, घरेलू उद्योग की स्थापना की हानि के लिए मजबूर हुआ। वास्तविक क्षति की मौजूदगी या गैर-मौजूदगी का निर्धारण इस तथ्य के आधार पर नहीं है कि क्या निवल बिक्री प्राप्ति क्षति रहित कीमत से कमतर या अधिक है, बल्कि अन्य कारक भी हैं। वास्तव में, कमतर शुल्क नियम के अनुसार, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन से कमतर के समान पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। इस वर्तमान मामले में, जैसा कि उपरोक्त विश्लेषण में उल्लिखित किया गया है, यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक है। घरेलू उद्योग को अपनी लक्ष्य कीमत पर उत्पाद की बिक्री से रोका गया है। ऐसे पाटन आयतों के संबंध में कीमत संबंधी प्रभाव और घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव के संबंध में उपरोक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि आयतों से भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना का मैटिरियल रिटार्डेशन हुआ है।

128. जहां तक सामान्य मूल्य की गणना के लिए अपनाई गई प्रविधि का संबंध है, इसकी समुचित रूप से जांच की गई है और उसे अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

129. सामान्य मूल्य और पीसीएन आधारित एनआईपी की गणना न करने के संबंध में, इसकी समुचित जांच की गई है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में समुचित रूप से शामिल किया गया है।

130. इस अनुरोध के संबंध में कि उत्पाद के दायरे को संवेदनशीलता के आधार पर परिभाषित किया जाए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस अवस्था में उत्पाद के दायरे को बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्पाद की मोटाई की गणना आईएक्सपीई के अलावा या किसी अन्य प्रकार के फोम को निकालने के बाद की गई है।

131. आवेदकों के दावे के संबंध में कि प्रकटीकरण विवरण स्व-विरोधी है क्योंकि प्राधिकारी ने स्वयं ही याचिकाकर्ताओं पर गोपनीयता के खंड में एक सिंगल संस्था स्थापित करने के लिए विचार किया है। अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि 'एकल संस्था' शब्द का प्रयोग केवल डब्ल्यूएफएल के लिए किया गया है।

132. आवेदकों द्वारा निर्यात कीमतों के समायोजनों के प्रकटन के लिए किए गए अनुरोध के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया है। समुद्री मालभाड़ा, बैंक प्रभारों, स्वदेशी मालभाड़ा और कमीशन के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समायोजन किया गया है।

133. आवेदकों के इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी की विगत की प्रथा के अनुसार, एक भागीदार फर्म को घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है, यद्यपि भागीदारी फर्म के कतिपय सदस्य संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। चूंकि यह मामला एक विपणन कंपनी को नियम 2(ख) को देखते हुए, घरेलू उद्योग के रूप में मानने के संबंध में है, अतः याचिकाकर्ता का तर्क असंगत है।

134. जहां तक घरेलू आवेदकों के इस तर्क का संबंध है कि वस्तुएं डब्ल्यूजीबीएल को बेचे जाने पर डब्ल्यूएफएल के फैक्ट्री परिसर में ही रहती हैं, प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया जाता है कि डब्ल्यूएफएल वस्तुएं डब्ल्यूजीबीएल को बेचने पर बिक्री इनवॉयस जारी कर रहा है। डब्ल्यूजीबीएल द्वारा डब्ल्यूएफएल को वेयरहाउस के स्वामित्व के कारण उसे किराए का भुगतान किए जाने का यह अर्थ नहीं है कि वस्तुएं स्थानांतरित नहीं हुई हैं और स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हुआ है।

135. आवेदकों के इस तर्क के संबंध में कि विदेशी उत्पादकों, संबंधित निर्यातक और संबंधित आयात के बीच सौदों के लिए प्राधिकारी द्वारा किए गए समायोजन धारा 9क(1)(ख) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम के संगत हिस्से में उक्त तर्कों का समाधान किया है। इसके अलावा, संबंधित कंपनियों के समूह को एक साझा पाटन मार्जिन देने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मुद्दे पर भी अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग में ध्यान दिया गया है।

136. एनआईपी पर टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-III में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर डेटा/सूचना और घरेलू उद्योग के अन्य अनुरोधों के आधार पर एनआईपी की गणना की थी।

137. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल को लागू करके घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण दे रहे हैं, यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी जांचों में प्राधिकारी की यह सतत प्रक्रिया रही है।

138. आवेदकों द्वारा उल्लित यूरोपीय संघ की दो जांचों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि डीजीटीआर विदेशी प्राधिकारियों द्वारा किए गए निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि संबंधित नियम और प्रक्रियाएं समान भी होती हैं तो भी उनका केवल कुछ अनुरोध संबंधी महत्व हो सकता है, परंतु वह बिल्कुल बाध्यकारी नहीं हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदकों द्वारा उल्लिखित दो जांचें पहले से स्थापित उद्योग को वास्तविक क्षति से संबंधित हैं जबकि संबद्ध जांच वास्तविक मंदी के दावे के निर्धारण के लिए की गई है। अतः ये दोनों मामले समान आधार पर वास्तविक क्षति के मामले से समान नहीं बताये जा सकते हैं क्योंकि संबद्ध जांच वास्तविक मंदी के मुद्दे की जांच के लिए है।

139. जहां तक डब्ल्यूआईएल द्वारा तैयार समेकित लेखों का संबंध है, यह कानून की अपेक्षा है कि धारित कंपनी को समेकित लेख तैयार करने चाहिए। समेकित लेख तैयार करने का यह अर्थ नहीं है कि समूह के भीतर कंपनियां अलग कानूनी संस्था नहीं है।

ठ. निष्कर्ष और सिफारिशें

140. दिए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना, किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपरोक्त जांच परिणामों में दर्ज है, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- क. विचाराधीन उत्पाद को भारत में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है। पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- ख. संबद्ध वस्तुओं का पाटन होने से भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना का मैटिरियल रिटार्डेशन हुआ है।
- ग. संबद्ध आयातों की मात्रा में, भारत में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के बाद भी वृद्धि हुई है।
- घ. आयातों की कीमत में इस अवधि के दौरान गिरावट आई है और इससे घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।
- ड. ये आयात घरेलू उद्योग की लक्ष्य कीमतों से कम कीमत पर हैं और घरेलू उद्योग को अपनी लक्ष्य कीमत हासिल करने से रोकते हैं।
- च. वर्तमान कीमतों पर, घरेलू उद्योग अपनी लक्ष्य निष्पादन हासिल करने में भी समर्थ नहीं है।
- छ. घरेलू उद्योग की क्षमता का कम उपयोग हुआ है।
- ज. क्षमता कम उपयोग के बावजूद घरेलू उद्योग, यहां तक कि अपने उत्पादन की कीमत के स्तर पर भी बेचने में समर्थ नहीं है। घरेलू उद्योग के समक्ष, यहां तक कि महत्वपूर्ण निर्यातों को करने के बाद भी काफी वस्तुसूचियां हैं।
- झ. घरेलू उद्योग का निष्पादन, इसके लाभों, नकदी लाभों और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में, इसके द्वारा लगाए गए अनुमान से काफी कम है।
- ञ. पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- ट. भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना का मैटिरियल रिटार्डेशन पाटित आयातों के कारण है।
- ठ. ऐसे कोई साक्ष्य नहीं हैं, जो यह दर्शाते हो कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग या व्यापक जनता या उपभोक्ताओं पर वास्तविक प्रभाव पड़ेगा।
- ड. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना और की गई जांच के आधार पर, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से यह जन हित के खिलाफ नहीं होगा।

141. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलु पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करके और जांच पूरी करके, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की जरूरत है। प्राधिकारी संबद्ध देशों

के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना अवश्यक समझते हैं।

142. कमतर शुल्क नियम का पालन करते हुए, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन के कमतर के समान पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के समान पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3918	लगजरी विनाइल टाइल्स*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित, कोई भी देश	कोई भी	2.05	वर्ग मीटर	यूएस डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. या ताइवान के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन.गण.	कोई भी	2.05	वर्ग मीटर	यूएस डॉलर
3	-वही-	-वही-	ताइवान	ताइवान सहित, कोई भी देश	कोई भी	1.44	वर्ग मीटर	यूएस डॉलर
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. या ताइवान के अलावा अन्य देश	ताइवान	कोई भी	1.44	वर्ग मीटर	यूएस डॉलर

*रोल या शीट के अलावा अन्य रूप में विनाइल टाइलों, जिनकी न्यूनतम टाइल मोटाई 2.5 मि.मी है और न्यूनतम टाइल की मोटाई 8 मि.मी. है (कुशन पर विचार किए बिना), 0.15 मिमी से 0.7 मि.मी. की रेंज की मोटाई वाली संरक्षण परत के साथ; जिसे बाजार में लगजरी विनाइल टाइलों, लगजरी विनाइल फ्लोरिंग, स्टोन प्लास्टिक कंपोजिट, एसपीसी, पीवीसी फ्लोरिंग टाइल्स, पीवीसी टाइल, कठोर विनाइल टाइल या कठोर विनाइल फ्लोरिंग के रूप में जाना जाता है।

143. इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्कों का लागू स्तर होगा।

ड. आगे की प्रक्रिया

144. इस सिफारिश से उत्पन्न होने वाले केंद्र सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd January, 2023

FINAL FINDINGS**(CASE No. - AD (OI) - 16 /2021)**

Subject: Anti-dumping investigation (Material-Retardation) concerning imports of “Vinyl Tiles other than in roll or sheet form” originating in or exported from China PR, Taiwan and Vietnam.

F. No. 6/17/2021-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Anti-Dumping Rules” or “the Rules”) thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) received a petition from Welspun Flooring Limited (“WFL”), Welspun Global Brands Limited (“WGBL”) and Welspun India Limited (“WIL”) (hereinafter also referred to as the “petitioners” or “applicants”) in accordance with the Act and the Anti-Dumping Rules for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of the Vinyl Tiles other than in roll or sheet form (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”) from China PR, Taiwan and Vietnam (hereinafter also referred to as the “subject countries”).
2. And whereas, in view of the duly substantiated petition filed by the petitioners and sufficient prima facie evidence submitted by the applicants, the Authority initiated the anti-dumping investigation vide Notification No. 6/17/2021-DGTR dated 24th January 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
 - a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping petition before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Anti-Dumping Rules.
 - b. The Authority issued a public notice dated 24th January 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning the import of subject goods from the subject countries.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the subject countries, through Embassy in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers / users and the domestic industry as well as other interested parties and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the petition to the known producers/exporters and to the Governments of the subject countries, through these Embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the petition was circulated to other interested parties, wherever requested, through e-mails.
 - e. The Authority sent Exporter’s Questionnaire to the following known producers/exporters in the subject countries to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. CFL Flooring (China) Company Limited
 - ii. Chin Yang Chemical Corporation
 - iii. Dare Jiangsu Flooring Products
 - iv. Florq Company Limited

- v. Jae Young Chemical Company Limited
 - vi. Jinka Flooring Technology Company Limited
 - vii. LG Hausys Limited
 - viii. SS Floor Company Limited
 - ix. Vinyl Tech Enterprises Company Limited
 - x. VPP Chemical Company Limited
 - xi. Zhejiang Kingdom Plastics Industry
- f. The Embassies of the subject countries in India were requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the Embassies along with the list of the known producers/ exporters from the subject countries.
- g. In response to the initiation notification of the subject investigation, none of the producers/exporters from the subject countries have responded by filing questionnaire response.
- h. The Authority also sent the application proforma to the following known other Indian producers:
- Thousand Oak Innovation LLP
 - Mingle Plast Private Limited
 - Responsive Industries Limited
- i. In response to the initiation of the subject investigation, none of the known other Indian producer have responded by making any submission.
- j. The Authority sent importer's / user's questionnaire to the following known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
- i. Responsive Industries Limited
 - ii. Rosetta Products
 - iii. Square Foot Flooring
 - iv. Surface India Flooring Private Limited
- k. The Authority sent the questionnaire to the following known Associations of the subject goods in India for circulation and calling necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- i. Builders Association of India
 - ii. Confederation of Real Estate Developers' Association of India
 - iii. CREDAI-MCHI
- l. In response to the initiation of the subject investigation, none of the known importers/users/associations have responded by filing questionnaire response.
- m. In response to the initiation of the subject investigation, the following importers have made submissions:
- i. Al Anwar Marketing Company
 - ii. ATM Enterprises
 - iii. Bhalla's Carpets
 - iv. Classic Floorings & Interiors Private Limited
 - v. Consolidated Carpet Industries Limited
 - vi. Designerz
 - vii. Excel Import Private Limited
 - viii. Floor Solutions
 - ix. Greenwood Inc
 - x. Indiana International Corporation Flooring Private Limited
 - xi. Raj Agencies

- xii. RKP Trading Company Private Limited
- xiii. S C Seth and Sons
- xiv. Seth Enterprises
- xv. ATA Enterprises
- n. In response to the subject investigation, submissions have been made by RMG Polyvinyl India Limited, and China National Forest Products Industry Association.
- o. Changzhou Dege Decorative Material Co., Ltd, Win Ton Plastics Industry Co., Ltd. and Taipei Economic and Cultural Centre in India registered themselves as interested parties.
- p. Due to the worldwide outbreak of COVID-19 and consequent restrictions on physical movement imposed by different countries, including India, the Authority circulated the non-confidential version of the evidence presented by the domestic industry and the various interested parties to the other interested parties for inspection by the other interested parties.
- q. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and DG System to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and the period of investigation. The Authority has relied upon the DG System data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- r. The non-injurious price (NIP) has been determined based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India as per information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules. Such non-injurious price has been considered to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- s. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st October 2020 to 30th September 2021 (12 months). The injury analysis period covers 1st April 2018 – 31st March 2019, 1st April 2019 – 31st March 2020, 1st April 2020 – 31st March 2021 and the period of investigation.
- t. Information was sought from the petitioners to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- u. The Authority, in accordance with Rule 6(6) of the Rules and Trade Notice No. 01/2020 dated 10th April 2020, conducted an oral hearing through video conferencing on 18th July 2022 to provide an opportunity to the interested parties to present their views orally before the Authority.
- v. All the parties who had attended the above-mentioned oral hearing were advised to file the written submissions of the views expressed orally, followed by the rejoinders, if any. The arguments made in such written submissions and the rejoinders received from the interested parties have been considered, to the extent deemed necessary, for the purpose of this investigation.
- w. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in the final findings.
- x. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- y. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- z. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which forms the basis of the present final finding was issued to the interested parties on 06.01.2023. The post disclosure statement submissions received from the applicants and other interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final finding notification.
- aa. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.

- bb. “***” in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- cc. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 74.53.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under:

“4. The product under consideration for the present investigation is "Vinyl Tiles, other than in roll or sheet form". In the market parlance, the product under consideration is known as luxury vinyl tiles, luxury vinyl flooring, stone plastic composite, SPC, PVC flooring tiles, PVC tiles or rigid vinyl tiles, rigid vinyl flooring and in the present petition, has been referred to as Luxury Vinyl Tiles or LVT. Luxury Vinyl Tiles may be with or without the click and lock mechanism. Luxury vinyl tiles is a commonly used industry term for a type of vinyl that realistically mimics the appearance of the natural materials with an added layer to improve the wear and the performance. The product under consideration is used for covering the floors in the residential and the commercial buildings.

5. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act under the heading 3918. The product under consideration does not have a dedicated customs classification. While the product under consideration is classifiable under 39181090, the applicants have claimed that the product is also being imported under the Codes 39181010, 39189010, 39189020 and 39189090. The customs classification, however, is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration in the present investigation.”

C.1. Views of the other interested parties

5. The submissions of the other interested parties with regard to product under consideration and like article are as follows:
- a. The product under consideration is confusing and contradicting and clarification is required on whether both PVC and Calcium Carbonate are necessary for the product under consideration.
 - b. Newer attributes added to the product under consideration must be identified.
 - c. Clarification is required on whether vinyl tiles can be rolled, and the type of tiles produced and sold in roll form and if the petitioners is manufacturing the same. The nature of such product must be explained.
 - d. It should be clarified whether Calcium Carbonate CaCO_3 above 10% is excluded or included in the scope of the product under consideration.
 - e. There were producers of the Vinyl Flooring in India in the past also. Further, Vinyl Flooring Tiles were also produced in India before the applicant Domestic Industry commenced their operations. The product that started recently is Stone Plastic Composite Tile (SPC) which is a superior variant of vinyl tiles. Therefore, it would neither be permissible nor appropriate to categorize complete Vinyl Flooring Tile as new product.
 - f. Since all tiles cannot be manufactured using the same manufacturing process, information relating to the same is required from the domestic industry.
 - g. There is a need to clarify whether Vinyl Tiles having thicknesses below 2.5mm and above 8mm, tiles which do not require cushioning at the back, tiles which require glue to install, tiles which do not require click and lock system while installation and PVC floor covering click vinyl plank 4.20 mm are included in the scope of the product under consideration.
 - h. The petitioners have not clarified whether vinyl tiles manufactured using both virgin and recycled PVC are included in the scope of the product under consideration.
 - i. Flexible vinyl tiles should be excluded from the product scope as the domestic industry is not producing the same. Such tiles do not require cushion and require adhesive while laying. The petitioners produce rigid tiles.
 - j. The meaning of soft flooring and whether it forms part of product under consideration is unclear.
 - k. Vinyl tiles having thickness below 4 mm should be excluded as they are not produced by the domestic industry, and do not require cushion while laying.
 - l. Vinyl tiles that require adhesive while laying should be excluded from product scope. They are not manufactured by the domestic industry since the domestic industry is producing only rigid Vinyl Tiles that require cushion while laying.

- m. The website of the domestic industry clearly states that it is not producing any other form of Vinyl Tiles except the one with Click and Lock mechanism.
- n. The domestic industry should provide invoices for all the products that for which exclusion from the product scope product under consideration has been requested. In accordance with the various decisions of Tribunal and past findings of the Authority in various cases, only products sold by the domestic industry can be included in product scope.
- o. It is submitted that the thickness below 2.5 mm should be included in the scope of the product under consideration as the definition of the product under consideration does not restrict the scope in any manner whatsoever. Excluding range of thickness below 2.5mm will do nothing but facilitate a scope of circumvention of customs duties by way of misdeclaration and ultimately cause injury to Domestic Producers like us.

C.2. Views of the applicants

6. The submissions of the applicants with regard to product under consideration and like article are as follows:
 - a. The product under consideration is vinyl tiles, other than in roll or sheet form, having tile thickness of between 2.5 mm to 8 mm (without the cushion), with protective layer having thickness between 0.15 mm to 0.7 mm.
 - b. Since there may be a little variation during the production process in thickness of the tiles, there is a need to consider 5% tolerance.
 - c. Contrary to the submissions by the other interested parties, the petitioners have sold substantial quantity of tiles with thickness 2.5mm. Hence, there is no need for exclusion of tiles with less than 4 mm thickness.
 - d. The product under consideration may or may not have a cushion. Such cushion may be in form of IXPE foam, PU, Cork, EVA, non-woven, SBR etc.
 - e. The product under consideration includes vinyl tiles with or without click and lock mechanism. Vinyl tiles without click and lock mechanism may require glue or other adhesives for installation and thus, these are included within the scope of the product under consideration.
 - f. The product under consideration in market parlance is called rigid vinyl tiles due to its inability to be folded or rolled. However, rigid does not imply that the product is completely inflexible. Flexibility depends upon the thickness and length of the tiles. Both flexible and rigid tiles are part of product under consideration. Flexible and rigid are relative terms and cannot be used to define the scope of the product under consideration.
 - g. Contrary to the submissions of other interested parties, a bifurcation between use of recycled and virgin PVC for the purpose of PCN is not required. Use of recycled PVC is not advisable as composition of PVC is necessary in order to achieve the desired quality. While the producers recycle their own scrap, they do not buy from market since the quality and composition of such material is not known.
 - h. The product under consideration is produced using PVC and calcium carbonate in any form such as dolomite, marble powder, stone powder, lime stone, calcite etc. The other interested parties have not identified any product which is imported into India and which does not have calcium carbonate or fly ash.
 - i. Contrary to the claims of the other interested parties, the petitioners have stated in the petition that the product under consideration may be produced with calcium carbonate or fly ash.
 - j. Since the product is at a nascent stage, newer attributes such as cushion, self-adhesive, sound absorption / noise reduction, hi-gloss, matte and fill matte surface, anti-microbial, anti-viral and anti-odour properties as well as use of material which make the subject goods easier to clean have been added based on consumer preferences. These attributes are not exhaustive and constant R&D is being undertaken. These are just to define the product and not binding on the scope of the product under consideration.
 - k. Subject goods manufactured using PVC in any form are included within the scope of the product under consideration. Use of virgin or recycled material does not render the final product different.
 - l. For the purpose of import segregation, the petitioners have excluded the transactions with CaCo3 content below 10% as the petitioners are not aware of such product. In case there are products falling under the scope of the product under consideration having CaCo3 less than 10%, the interested parties should identify the same in order for the petitioners to furnish relevant comments.
 - m. Production process is not relevant in order to decide the scope of the product under consideration. The Authority has held that the product produced using different production process may still be part of

product under consideration if it has comparable properties. The other interested parties have not provided any information with regard to possible different process leading to the same product under consideration.

- n. Soft flooring comprises of products such as carpet tiles, wall-to-wall, artificial grass. These are manufactured using yarn, woven and non-woven with latex backing and are not including within the scope of the product under consideration.
- o. Vinyl planks are vinyl tiles in rectangular shape and thus, planks with thickness between 2.5 mm – 8 mm are included within the scope of the product under consideration.
- p. The subject goods produced by the domestic industry and imported are the like article. There is no known difference in the product under consideration by the petitioners and those imported from the subject countries.

C.3. **Examination by the Authority**

7. The product under consideration is Vinyl Tiles, other than in roll or sheet form, having minimum tile thickness of 2.5 mm and a maximum tile thickness of 8 mm, with protective layer having thickness in range of 0.15 mm to 0.7 mm, originating in or exported from the subject countries. The thickness of the tile does not include thickness of cushion. The product under consideration is classified under the HS Codes 39181090. However, the product under consideration is also imported under 39181010, 39189010, 39189020 and 39189090. The custom classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.
8. The Authority on the basis of submissions made by the applicants and various other interested parties, devised the following PCN methodology:

S. No	Parameters	Range	Code
1	Thickness of tile (Two digits)	2.5mm to 3mm	23
		Above 3mm to 4mm	34
		Above 4mm to 5mm	45
		Above 5mm to 6mm	56
		Above 6mm to 7mm	67
		Above 7mm to 8mm	78
2	Thickness of Protection / Wear Layer(Three Digits)	0.15mm to 0.2mm	152
		Above 0.2mm to 0.3mm	203
		Above 0.3mm to 0.5mm	305
		Above 0.5mm to 0.7	507
3	Style of print layer /digital printing(Two Digit)	Direct printing on tile	DP
		Print layer pasted on tile	PL
4	Type of Cushion (Two Digits)	With Cushion	WC
		No Cushion	NC
5	Type of Click & lock Mechanism(Two Digits)	Yes	CY
		No	CN
6	Virgin PVC used or recycled(One Digit)	Virgin PVC used	V
		Re-cycled PVC used	R

However, during investigation, it is noted that the transaction-wise data of DG System does not mention complete description of PCNs in all the transactions. The purpose of PCNs is to have apple to apple comparison of DI's production with the exports made by exporters. In this case, producer/exporter from the subject countries have not participated. Further, even though certain importers submitted some PCN-wise

information, it does not constitute a sufficient share of the total imports. In view of above constraints, PCN-wise analysis has not been carried out.

9. The scope of the product under consideration in the present investigation includes vinyl tiles with or without click and lock mechanism and cushion. Some of the interested parties have sought clarification on whether vinyl tiles which require glue for installation are included within the scope of the product under consideration. The Authority notes that use of glue is not an attribute of the product but comes into play only at the stage of installation. As per the information on record, vinyl tiles without click and lock technology requires adhesive for installation. Vinyl tiles without click and lock technology are included within the scope of the product under consideration.
10. The Authority notes that the vinyl tiles other than in roll or sheet form are a new product in the Indian market. The product is at a nascent stage and the production for the subject goods have commenced in India only during the injury period. The demand for the subject goods in India was met by imports of the product under consideration before the commencement of domestic production in India.
11. The product under consideration is manufactured using PVC and calcium carbonate in some form. Some of the interested parties have sought clarification on whether vinyl tiles manufactured using recycled PVC are included within the scope of the product under consideration. The Authority notes that while the domestic industry uses virgin PVC and recycled in PVC in the form of its own waste, it does not source recycled PVC from the market. In any case, it is noted that the use of different raw material does not render the product different and hence, in the present case, subject goods manufactured using recycled as well as virgin PVC are included within the scope of the product under consideration. Soft flooring is excluded from the scope of the product under consideration as it is not manufactured using PVC and calcium carbonate.
12. The interested parties have claimed that the petitioners should be asked to explain the newer attributes being added to the product. In response, the petitioners have explained that the product is still at a nascent stage, due to which its attributes are evolving over a period of time. For instance, while earlier the product was being sold without a cushion, now cushioned products are being supplied. The Authority notes that the interested parties have not claimed any specific product attribute based on which exclusion has been sought, and thus, the product scope does not require any modification on this account.
13. Some of the interested parties have sought clarification on whether vinyl planks are included within the scope of the product under consideration. The Authority notes that vinyl planks are tiles in rectangular shape and hence, are covered within the scope of the product under consideration.
14. Some of the interested parties have contended that flexible tiles should be excluded from the scope of the product under consideration. The Authority notes that no information has been filed by the other interested parties regarding the flexible tiles. The Authority notes that there is an element of flexibility in rigid tiles as well and the flexibility is an attribute that comes from thickness and length of vinyl tiles. Vinyl tiles of 2.5 mm thickness is more flexible than vinyl tiles of 8 mm thickness. The information on record shows that the subject goods are known as rigid vinyl tiles in market parlance only due to its inability of being folded or rolled. Thus, no exclusion is warranted based on flexibility of the tiles.
15. None of the interested parties has provided any evidence that the technical characteristics of the product requested for exclusion, cannot be produced by the Domestic Industry.
16. With regards to the contention on whether the petitioners are manufacturing products in roll form, the Authority notes that the product under consideration excludes vinyl tiles in roll or sheet form. The petitioners have submitted that the subject goods cannot be in rolled form as rolling or folding of product will lead to development of crack in the product. The Authority further notes that the petitioners produce only vinyl tiles other than in roll or sheet form and hence, these are excluded from the scope of the product under consideration.
17. On the basis of information on record, the Authority notes that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject countries. The two are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Authority notes that the product manufactured by the petitioners constitutes like article to the product under consideration being imported into India from the subject countries in terms of Rule 2(d) of the Rules.
18. Therefore, the product under consideration for the present investigation is "Vinyl Tiles, other than in roll or sheet form" having minimum tile thickness of 2.5 mm and a maximum tile thickness of 8 mm, with protective layer having thickness in range of 0.15 mm to 0.7 mm, originating in or exported from the subject countries. The thickness of the tile does not include thickness of cushion. In the market parlance, the product under consideration is known as luxury vinyl tiles, luxury vinyl flooring, stone plastic composite, SPC, PVC flooring

tiles, PVC tiles or rigid vinyl tiles, rigid vinyl flooring and in the present findings, has been referred to as Luxury Vinyl Tiles or LVT. Luxury Vinyl Tiles may be with or without the click and lock mechanism. Luxury vinyl tiles is a commonly used industry term for a type of vinyl that realistically mimics the appearance of the natural materials with an added layer to improve the wear and the performance. The product under consideration is used for covering the floors in the residential and the commercial buildings. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act under the heading 3918. The product under consideration does not have a dedicated customs classification. While the product under consideration is classifiable under 39181090, the applicants have claimed that the product is also being imported under the Codes 39181010, 39189010, 39189020 and 39189090. The customs classification, however, is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration in the present investigation.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Views of the other interested parties

19. The following submissions were made by the other interested parties with regards to domestic industry and standing:
 - a. It is not clear how WGBL as a trader can be included in the scope of domestic industry under Rule 2(b). In this regard, the details of business operations of WGBL, whether it has exclusive rights to sell the product of the WFL, and whether it sells other products must be considered.
 - b. It is reiterated that as per Rule 2(b) of the AD Rules, only a producer is entitled to become part of the domestic industry. Since Rule 2(b) does not envisage a “trader” as a part of domestic industry, any attempt of the applicant industry (WFL) to consider the trading arm (WGBL) of their parent company (WIL) as a part of the Domestic Industry is frivolous, ill-conceived and without the support of law and, therefore, it ought to be outrightly rejected.
 - c. In relation to case cited by the Domestic Industry, it is submitted that the cited case has no bearing on the case, as Rule 2(b) deals with the scope of Domestic Industry, wherein, the cited case deals with the situation of complete response from an exporter under Single Economic entity. Therefore, the cited case has no bearing on the case. On the contrary, Domestic Industry failed to provide a single incidence, where the Authority has considered a trader as part of the Domestic Industry or included its expenses for injury analysis or injury margin. In view of the aforesaid, it is humbly submitted that WFL and WGBL cannot be considered as single economic entity in the instant investigation. Respondents humbly request the Hon’ble Authority to kindly reject the submission of the Domestic Industry.
 - d. Without prejudice to the above and the legally unsustainable submission of the Domestic Industry, it is submitted that the claim of the applicant industry that the trading company should be considered as Domestic Industry, is also without any merit on facts also. In this context, kind attention of the Authority is invited to their Annual Report wherein it has been categorically mentioned that all their transactions with related parties are priced on arm’s length basis. That being the case, there is absolutely no ground for the applicant, legally or conceptually, to request the Authority to consider any data relating to WGBL either for non-injurious price computation or for injury analysis.
 - e. It is submitted that since the WFL is selling the subject goods to its related entity at arms-length (as mentioned in their annual report), the Authority ought to consider the prices at which WFL has sold the subject goods to WGBL.
 - f. It is further submitted that the applicant industry has incorrectly equated the scope of Rule 2(b), which is meant solely to decide the scope of the Domestic Industry, with the concept of “Single Economic entity” which is relevant only in the context of an exporter.
 - g. While the petition can be filed by a third party on behalf of the domestic industry, the third party cannot become a part of the domestic industry.
 - h. Mingle Plast Private Limited, Responsive Industries Limited and RMG Polyvinyl have been producing the subject goods since 2015.
 - i. The annual report of WFL shows that the company is undertook only trading sales during 2019-20.

D.2. Views of the applicants

20. The following submissions have been made by the petitioners with regard to the domestic industry and standing:
 - a. The petition has been filed by the Welspun Group which includes manufacturing entity, WFL, and selling entity, WGBL. WIL is the holding entity of both WFL and WGBL.

- b. WFL is the manufacturer of subject goods and has entered into an agreement whereby only WGBL will sell its products. As the transfer price between the two companies is based on cost plus formula, there is a need to consider data of WGBL, in order to ascertain actual information on domestic sales, market share, selling price, profit, cash profits and return on investment.
- c. WIL, WFL and WGBL act as a single economic entity. WIL is the holding company, WFL is engaged in production and WGBL acts as an extended arm of WFL by undertaking marketing and selling functions of WFL.
- d. WGBL performs functions incidental and necessary for production such as [***].
- e. WGBL incurs substantial expense towards [***]
- f. The activities performed by WFL include [***].
- g. Since the selling price of WFL to WGBL is based on transfer pricing, it does not reflect the actual selling price in the market.
- h. The selling price of WGBL and expenses incurred by WGBL have to be considered in order to evaluate the actual selling price / market price.
- i. The transfer price of WFL to WGBL is determined according to the agreement between them and is not impacted by the market forces. The import price has impacted the price of WGBL, and no impact has been faced by WFL.
- j. Further, there is no impact of transfer price of WFL and WGBL in the consolidated accounts of WIL, the holding company. The concept of single legal entity is observed by the Companies Act and Listing Agreement and accordingly, the transaction between WFL and WGBL is not reflected in the consolidated books of accounts.
- k. Transfer price at arm's length basis does not mean that the price is determined as per market forces. Under the Income Tax Act, arm's length prices can be determined according to various methodologies. While existence of competition is pre-requisite for a price in anti-dumping investigations, transfer price can exist even in absence of competition.
- l. Considering only WFL as domestic industry will not be appropriate as significant expenses with regards to production and sales are also incurred by WGBL.
- m. Price considered as arm's length under Companies Act need not be accepted by the Authority. Even when procurement of raw material at arm's length is declared by a producer, the Authority conducts its own examination in this regard. The valuation under different laws has been considered irrelevant by the Authority as well as by CESTAT in GFL vs. Designated Authority.
- n. Since Authority considers that the price between related parties cannot form basis for determination of dumping, the same cannot form basis of determination of injury and injury margin.
- o. Since both net export price and non-injurious price are determined at ex-factory level, treatment of related parties for the purpose of dumping margin and constitution of domestic industry cannot differ.
- p. The Authority considers price to independent buyer, despite price paid by a related importer being subject to Income Tax Act, Companies Act, SEBI Regulations, Customs Act and transfer pricing laws of exporting country. The same practice should be applicable for domestic industry.
- q. The Manual of SOP states that in case of single economic entities, indirect SGA expenses of related trading entity shall be added to COP for OCT Test because COP would be compared with the SP of the related trading entity.
- r. Fixed selling expenses are considered for determination of non-injurious price as per Annexure III and past practice of the Authority. The cost to make and sell can also be determined only by considering the data of WGBL.
- s. Selling expenses incurred by the exporter are not reduced in the determination of export price or normal value although they are determined at ex-factory level. The same should also be included while determining the non-injurious price.
- t. Since the Authority is not reducing the selling expenses incurred by the exporters in order to determine the landed price, for a fair comparison the selling expenses of the domestic industry also cannot be reduced from non-injurious price.
- u. In case the Authority decides to remove selling expenses from the non-injurious price of the domestic industry, the same should also be reduced from the landed price.

- v. In case transfer price between related entities is considered as the final selling price, it would lead to abuse of law in future wherein domestic producers may artificially depress prices of the product through sales to related parties in order to claim injury.
- w. In anti-dumping investigations, in India and globally, related parties are considered as single economic entity. Two or more entities may form a single entity for the purposes of competition laws as well.
- x. In the case of Glass Fibre, the Authority applied the concept of single economic entity, and two related domestic producers were considered as constituting a single economic entity. The same principle should be followed in this case.
- y. The Authority considers a foreign producer and related importer as a single economic entity and disregards the price of transaction between them, in order to determine net export price.
- z. Even related producers and exporters are considered as a single economic entity in anti-dumping investigation and single duty is conferred.
- aa. The doctrine of single economic entity is also implicit in the definition of the domestic industry wherein despite being a separate legal entity, it is considered that a domestic producer has vested interest in the business of a related importer or exporter, and thus, such a domestic producer may be excluded from domestic industry.
- bb. While the imports have impacted the prices of WGBL, WFL is insulated from market price. Fixation of margin for WFL demonstrates that the transaction is not that between independent parties.
- cc. The term producer cannot be construed as necessarily referring to a standalone legal entity. The law must be read in a manner that does not defeat the intention of the law. In case WGBL is excluded from the scope of the domestic industry, it would defeat the objective of law to protect WGBL from injury suffered due to imports.
- dd. In case WGBL is not considered within the scope of domestic industry, the injury analysis would be flawed as the same should be based on production and sales. Price undercutting, sales and market share can be evaluated only based on the data of WGBL. In order to evaluate price suppression / depression, profits, return on investment, cash flow, inventories, employment, wages, growth and ability to raise capital employed, the data of both WGBL and WFL have to be considered.
- ee. Since only WGBL is competing with imports, causal link between injury and dumped imports can be evaluated only based on the data for WGBL.
- ff. The definition of domestic industry cannot be read to mean only an entity engaged in production of goods, without considering sales, as held in case of Low Ash Metallurgical Coke.
- gg. WFL and WGBL have incurred comparable expenses (barring procurement) in relation to the process of production and sale, and thus, have contributed to the process.
- hh. Contrary to the submissions of the other interested parties, there is a typographical error in the annual reports of WFL. WFL is not engaged in trading but production of subject goods.
- ii. It is necessary to include WGBL under in the scope of the domestic industry as related entities are treated as a single economic entity for trade remedies.
- jj. Apart from the petitioners, there are two other producers of subject goods in India, Mingle Plast Private Limited (Polyleaf) and Thousand Oak Innovation LLP (Glatt Floor). All producers started production during the injury period.
- kk. While Responsive Industries Limited was identified as a domestic producer of the subject goods, it does not manufacture subject goods but is a manufacturer of like articles.
- ll. RMG Polyvinyl India Limited participated in the oral hearing and stated that it is not engaged in production of like article.
- mm. The petitioners have imported the product under consideration from the subject countries during the injury period which were necessary as the petitioners did not commence commercial production. However, no imports have been made during the period of investigation.
- nn. The petitioners account for a major proportion of the domestic production in India and are not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or any importers in India and thus, constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.

- oo. The Petitioner claimed that the meeting held on 1st December 2022 was the first opportunity provided to the petitioners to clarify the claims made in the petition with regard to the need for the three legal entities to constitute petitioners.

D.3. Examination by the Authority

21. Some of the interested parties have contended that Responsive Industries Limited, Mingle Plast Private Limited and RMG Polyvinyl India Limited have been producing the subject goods since 2015. However, no reliable evidence was produced by any interested party in this regard. The parties have provided screenshots of the annual reports of the above companies to demonstrate that production of PUC was taking place since 2015, however these screenshots do not show PUC's description in the products' list contained in the annual reports.
22. The Authority sent the application proforma to Thousand Oak Innovation LLP, Mingle Plast Private Limited and Responsive Industries Limited, the other known Indian producers to elicit relevant information. None of the other known Indian producers responded by making any submission.
23. The Authority notes that the RMG Polyvinyl India Limited did not contest the standing of the domestic industry. In fact, it has supported the petition and requested that the thickness below 2.5 mm should also be included in the scope of the product under consideration.
24. The Authority notes that the petitioners have imported the subject goods from the subject countries during the injury period. However, the petitioners have not imported the subject goods after commencing commercial production. It is further noted that the petitioners are not related to any exporter of subject goods in the subject countries or any importer in India. The petitioners account for a major proportion of domestic production in India.
25. With regards to the issue of inclusion or exclusion of WGBL as part of the domestic industry, the contention of the applicants that the meeting granted on December 1, 2022, was the first opportunity to clarify the claims made in the petition is incorrect as this issue was raised in the oral hearing and subsequent written submissions and rejoinder submissions.
26. The petitioners have submitted that for the purpose of the present investigation, both WFL and WGBL must be treated as the domestic industry, and it has been claimed that all injury parameters as well as the injury margin must be assessed for both WFL and WGBL. In support of this claim, the petitioners have *inter alia* made the following arguments: (a) WGBL is not merely a "marketing entity", but is an entity that is undertaking a range of activities that constitute production activities; and (b) WFL and WGBL collectively constitute a "single economic entity".
27. The Authority notes that the present investigation pertains to material retardation to the establishment of an industry and not material injury. The applicants have claimed that the subject imports are resulting in material retardation to the establishment of the industry in India. In investigations concerning material retardation, a comparison of the actual and projected performances of the domestic industry gets a higher degree of importance as the industry is considered to be nascent and developing apposite developed and therefore the Authority has based the determination of injury by comparing the actual and projected performance of the domestic producer. Some of the factors the Authority must assess in material retardation investigations is whether the domestic industry has achieved its target price, target capacity, target sales, etc. The actual performance of WFL and WGBL may not be as relevant in the present investigation, since the focus is on its projected performance. It is further noted that WFL has started manufacturing the product under consideration recently and is at a nascent stage of production. However, WGBL is an established player in the market and has been operating in the market for a considerable period of time. No claim of material retardation can be made in respect of WGBL since WGBL is not a nascent or unestablished industry. Hence, the data/information pertaining to WFL alone is taken into consideration to examine the claim of material retardation. Therefore, for the present investigation, the Authority does not find it necessary to address the legal issue as to whether or not a related-non-producing company can be included in the definition of the domestic industry.
28. The applicants have submitted that producer/exporter, with their traders or related importers are considered as "single economic entity" for calculation of export price or landed value and therefore, WGBL and WFL should be considered as "single economic entity" for NIP and injury analysis purpose considering the same principle. The applicants have contended that anti-dumping law has several instances of application of "single economic entity". The Applicants have claimed that in the case of: (a) two related foreign producers; (b) foreign producer and related exporter; (c) foreign producer and related importer – adjustments are made to the export price on account of the related nature of the parties. Further, the applicants have cited the example of providing a single duty rate for related entities as another example of single economic entity. The applicants also gave the example of Section 9A(1)(b) as "single economic entity" treatment under the anti-dumping law.
29. In this relation, it is noted that unless otherwise proved by the foreign producer/exporter the export price is held to be unreliable because of associations or compensatory arrangement price between producer / exporter and

importer or third party, Section 9A (1) (b) specifically allows consideration of adjustment in export price. Section 9A (1) (b) is placed as under:

“export price”, in relation to an article, means the price of the article exported from the exporting country or territory and in cases where there is no export price or where the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported articles are first resold to an independent buyer or if the article is not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as may be determined in accordance with the rules made under sub-section (6).

30. The Authority notes that the adjustments under para 6 to Annexure-I and under Section 9A(1)(b) are done solely for the purpose of ensuring a fair comparison between normal value and export price. Further, to grant a single rate of duty to the related parties in order to prevent instances of circumvention of duties imposed, the Authority carries out such an exercise as stated by the applicants. The purpose of Section 9A(1)(b) and para 6 of Annexure-I is very different from Annexure-III of the anti-dumping Rules and therefore both of them cannot be equated on the same footing. Even if, for the purpose of argument, the contention of the applicants is accepted under the claim of single economic entity, the said averment loses its merit on the ground that the claim made by the applicants is that of material retardation to the establishment of an industry and not of material injury to an established industry. In the facts of the present investigation WFL is at nascent stage and is a developing industry for the product under consideration whereas WGBL has been operating in the market for a considerable period of time and hence cannot be considered to be unestablished or nascent or developing industry for the purpose of determining material retardation. Therefore, the argument of single economic entity can't be taken into account in view of the facts and circumstances of the subject investigation.
31. In Glass Fibre case quoted by the applicants, it was the case where two producers were considered which is quite different from the facts of the subject investigation. Therefore, this case does not advance the arguments of the applicants. In relation to referred cases relating to responses of producer / importer / trader, all the cases referred by the applicants, fails to substantiate their claim as to how “single economic entity” principle is applicable in light of definition of domestic industry in rule 2(b) for the present case. It is noted that the Section 9A (1) (b) of Customs Tariff Act and subsequent rules envisage adjustment in export price in cases where the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or third party.
32. WIL is the holding company of WFL and WGBL. WIL and WGBL are not engaged in the production or manufacture of the product under consideration. Moreover, it is noted that the subject investigation pertains to the claim of material retardation to the establishment of an industry and not the material injury. In the facts and circumstances of the present investigation, it is WFL, which has started the production of the PUC recently, and is at nascent or developing stage whereas WGBL is already established as it has been operating in the market for a considerable period of time and therefore WFL alone is considered as a nascent industry for the purpose of determination of material retardation in the facts and circumstances of the subject investigation. Since WGBL cannot be considered as a nascent or unestablished industry, WGBL cannot be considered as a part of the ‘domestic industry’ for the purpose of the present material retardation investigation. In view of the above facts and circumstances of the subject investigation, the Authority holds that domestic industry for the subject material retardation investigation is WFL. In view of the above, the Authority does not consider it necessary to address the legal issue of inclusion of non-producing related company under the definition of the domestic industry. Since the Authority has determined that WFL is the domestic industry, the non-injurious price has accordingly been calculated considering the information of WFL, in accordance with the principles laid down in Annexure III of AD Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Views of the other interested parties

33. The submission of other interested parties with regard to confidentiality are as follows:
 - a. The Supreme Court has held that trade notices, once issued, are binding on Customs authorities. However, the petitioners have not adhered to the trade notices.
 - b. The petitioners have not adhered to Trade Notice 10/2018 by claiming excessive confidentiality regarding economic parameters. This is inconsistent with WTO Dispute Settlement Board and Indian Courts. Actual figures for installed capacity, production, sales quantity and value, number of employees, productivity, inventory, R&D expenses, funds raised, profitability, interest/finance cost and depreciation have not been provided.
 - c. The petitioners have violated the provisions of Trade Notice 01/2013 as nothing has been submitted in the non-confidential version of Section VI of the petition.

- d. The justification table provided by the petitioners is not as per the prescribed format.
- e. The petitioners have not provided a good cause statement for claiming the project report confidential. Meaningful non-confidential summary of the same has not been provided.

E.2. Views of the applicants

34. The following submissions have been made by the applicants with regards to confidentiality:
- a. Contrary to the claims of the other interested parties, petitioners have adhered to the requirements laid down under Trade Notices.
 - b. Actual figures in the injury data cannot be shared as such data pertains to only one company.
 - c. Information contained in Section VI relates to business proprietary information, it cannot be disclosed to the other interested parties.
 - d. Justification table has been provided by the petitioners as per the prescribed format.
 - e. Good cause statement and non-confidential summary of the information has been provided along with the petition.

E.3. Examination by the Authority

35. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Anti-dumping Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

36. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by the parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the Authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.
37. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the petitioners and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claims on confidentiality. The Authority made available to all the interested parties the non-confidential version of the evidence submitted by the various interested parties for inspection.
38. The interested parties have contended that the domestic industry has not shared the costing information. However, the Authority notes that such information is confidential in nature, and therefore, disclosure thereof would be prejudicial to the competitive interests of the domestic industry.
39. Some of the interested parties have claimed that the justification table is not in the prescribed format. The Authority notes that justification table indicating reasons of confidentiality provided by the domestic industry is as per the requirements of Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018.
40. With respect to the project report and the non-confidential summary of the same, the Authority holds that the project report is a confidential business proprietary information of the petitioners and cannot be disclosed to the other interested parties. However, the domestic industry has shared a meaningful non-confidential summary and a good cause statement regarding the same. The Authority accepts the claim of confidentiality in this regard.
41. Some of the interested parties have contended that actual figures have not been provided by the petitioners. The Authority notes that Trade Notice 10/2018 lays down the general guidelines for confidentiality. In the present case, as the data submitted pertains to a single entity, the guidelines which will apply to the domestic industry

will be that of a petition by a single entity. Accordingly, the Authority holds that disclosure of actual figures will lead to disclosure of business proprietary information of the petitioners. Hence, the Authority accepts the claim of confidentiality by the petitioners.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

F.1. Views of the other interested parties

42. The submissions of other interested parties with regards to other issues are as follows:

- a. The investigation should not have been initiated under the provision of Rule 5 as the petition does not pass accuracy and adequacy and sufficiency test.
- b. The petitioners have not stated whether the project report has been prepared internally or in consultation with an outside agency.
- c. The petitioners should be asked to provide the soft copy of import data to the interested parties.

F.2. Views of the applicants

43. The submissions of the applicants with regards to other issues are as following:

- a. The other interested parties have not stated how the petition does not fulfil the requirement of adequacy and accuracy.
- b. The project report has been prepared by an independent agency and has been vetted by the banks.
- c. Contrary to the claim of the other interested parties, the petitioners provided import data in PDF format as per Trade Notice 07/2018. No prejudice has been caused to the interest of any party as the Authority authorizes all parties to collect data from DGCI&S.

F.3. Examination by the Authority

44. The present investigation was initiated based on the data/information provided by the applicants and by prima facie satisfying itself of the adequacy and accuracy of the petition filed. The Authority after prima facie concluding that there is sufficient evidence of dumping, injury and causal link initiated the present investigation. It is noted that, the Authority, only after satisfaction that petition contained sufficient evidence to justify initiation of the investigation decided to initiate the present investigation. Further, subsequent to initiation, information has been sought from the petitioners to the extent deemed necessary and the same has been provided by the petitioners.
45. With regard to the project report, the Authority notes that the petitioners have provided a detailed project report of Welspun Flooring Limited. The other interested parties questioned the authenticity of the project report, whereas, the applicant claimed that the project report has been prepared by an independent agency and has been vetted by the banks. However, the other interested parties did not provide any evidence to substantiate their claim. Accordingly, the Authority has undertaken injury analysis based on the projected performance of the domestic industry as per the project report and the potential performance of the domestic industry at current prices.
46. With regard to the DGCI&S data, the Authority notes that Trade Notice 07/2018 dated 15th March 2018, prescribes the procedure for collecting DGCI&S data for the domestic industry as well as other interested parties. The interested parties, thus, had access to procure DGCI&S data by following the procedure prescribed as per the Trade Notice. The Authority, thus, notes that the procedure now being applied is consistent, uniform across parties and investigations, equitable and provides adequate opportunity to the interested parties to defend their interests. Further, the petitioners have provided a complete list of transaction-wise import data.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1. Views of the other interested parties

47. The submissions made by the other interested parties with regard to determination of normal value, export price or dumping margin are as follows:

- a. For the purpose of normal value, the FOB value of raw materials and components imported by the domestic industry should be considered. Impact of duties and cess should be eliminated.
- b. The exporters have not participated in view of the low volume of their exports.
- c. The fixed costs and finance cost of the domestic industry should be appropriately adjusted for determination of constructed normal value.

G.2. Views of the applicants

48. Following submissions have been made by the applicants with regard to the normal value, export price and dumping margin are as follows:
- Since no producer has filed information with regard to determination of normal value and export price, normal value should be determined on the basis of facts available.
 - Contrary to the submissions of the other interested parties, the volume of exports by the producers in subject countries cannot be considered low as such volume has materially retarded the establishment of the domestic industry in India. Non-cooperation of the exporters should not be excused and highest possible duties should be levied against imports by non-cooperative exporters.
 - China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the Anti-Dumping Rules.
 - Since significant imports have been made into India from Korea RP and there is no evidence of dumping from Korea RP, the price of such imports should be used to determine the normal value from China PR. This is consistent with the view of the Tribunal in Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. V. Union of India.
 - Since normal value can be determined based on price of exports from an appropriate third country to India, no reference can be made to any other reasonable basis as Para 7 of the Annexure I provides clear hierarchy. This is also consistent with the view of the Supreme Court in Shenyang Mastsushita S. Battery Co. Ltd. V. Exide Industries Limited.
 - The producers from Taiwan and Vietnam have not cooperated in the present investigation. The normal value should be determined based on the facts available. The petitioners have constructed the normal value based on its own cost of production. Since adoption of optimized cost of production rewards, the exporter for their non-cooperation, the petitioners request the Authority to kindly consider the actual cost.
 - The petitioners have constructed the normal value at ****% capacity utilization.
 - The importers have failed to circulate the PCN-wise information filed by them. Importers must be required to provide necessary documentation to establish the accuracy of the PCN identified by them.

G.3. Examination by the Authority

49. The Authority notes that the volume of imports from Vietnam is *de minimis*. Therefore, in terms of Rule 14(d) of the Anti-Dumping Rules, Vietnam is excluded from the subject countries.
50. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows.

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ('Anti-Dumping Agreement') and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should

adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

51. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) have expired on 11th December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15(a)(i) of the Accession protocol require the criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/ exporters from China PR have not submitted a response to the questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.

Determination of normal value for China PR

52. As none of the producers from China PR have cooperated in the present investigation and have filed the supplementary questionnaire response to rebut the presumptions as mentioned in para 8 of Annexure – I of the Rules. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with para 7 of Annexure – I of the Rules which reads as under:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

53. The Authority notes that neither the applicants nor the other interested parties have provided any information and evidence to enable determination of the normal value on the basis of price or constructed value in market economy third country. The Authority accordingly examined whether the normal value can be determined based on the price of the exports from such a third country to other countries, including India.
54. The Authority notes that whereas the applicants have claimed that the normal value for China PR should be based on exports from Korea RP to India which are substantial, the domestic industry could not provide the verifiable information to the Authority. The export price for China PR, therefore, has been determined on the basis of fact available in terms of Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules.
55. In view of the above, the normal value for the product under consideration imported from China PR into India is determined based on the cost of production, as optimized for the domestic industry, with reasonable additions for selling, general & administrative expenses and profit margin. Accordingly, the normal value has been constructed for the producers and exporters in China PR for the product under consideration during the period of investigation as given in the dumping margin table below.

Determination of normal value for Taiwan

56. The Authority notes that none of the producers/exporters have cooperated in the present investigation. Accordingly, the normal value and export price for Taiwan has been determined on the basis of fact available in terms of Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules.
57. In view of the above, the normal value for the product under consideration imported from Taiwan into India is determined based on the cost of production, as optimized for the domestic industry, with reasonable additions for selling, general & administrative expenses and profit margin. Accordingly, the normal value has been

constructed for the producers and exporters in Taiwan for the product under consideration during the period of investigation as given in the dumping margin table below.

Determination of export price for China PR and Taiwan

58. Since none of the producers/exporters from China PR and Taiwan have submitted exporter's questionnaire response, all have been treated as non-cooperative. The export price for all of them has been determined as per facts available. The same has been mentioned in the dumping margin table.

Dumping Margin

59. The normal value, export price and dumping margin determined in the present investigation are as follows: -

SN	Name of Producer	Normal	Net Export	Dumping	Dumping	Dumping
		Value	Price	Margin	Margin	Margin
		(USD/ Sq. Mtrs))	(USD/ Sq. Mtrs))	(USD/ Sq. Mtrs))	(%)	(Range)
China PR						
1	All exporters	***	***	***	***%	50-60
Taiwan						
1	All exporters	***	***	***	***%	40-50

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Views of the other interested parties

60. The submissions made by other interested parties with regard to injury and causal link are as follows:

- The domestic industry is fairly established and cannot invoke the provisions of material retardation. The annual report of 2015-16 of Mingle Plast Private Limited, Responsive Industries Limited and RMG Polyvinyl India Limited shows that they have been producing product under consideration since 2015. Accordingly, as held by the Authority in previous investigations, material retardation cannot be claimed as the industry already existed in India.
- A situation of retardation signifies the performance being held back or delayed whereas in the present case exuberant performance is evident and all the injury parameters have shown exponential growth over the injury period and within the POI.
- In order to check if the industry is established, there is a need to examine the time of commencement of production, the nature of production, if the product is merely a new product line in an existing industry, size of production versus size of domestic market and stability of production. Based on these parameters, the domestic industry having been in operation for 2 years and having a share of 50% is not an establishing industry.
- Sufficient data for material retardation has not been submitted. The Authority must examine whether the petitioners are yet to find a way in the market or are already established.
- The case of the domestic industry does not fall in the category where the domestic industry has not commenced commercial production or is in the nascent stage. As per the Draft Consolidated Chair Texts of the Anti-Dumping Agreement and Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, a producer may be materially retarded only where no production has begun, or the producer has not achieved commercial volumes.
- The petitioners have not given any legal authority or logic in support of their claim regarding the meaning of retardation.
- There is no mechanism to determine material retardation, the investigation should be initiated only when such mechanism is devised by the Authority.

- h. The project report submitted to DGTR is fabricated in order to prove material retardation.
- i. The project report cannot be compared to the actual parameters as the same were impacted due to COVID-19 pandemic. The project report was prepared based on different market situation and cannot be relied upon.
- j. The imports have declined as compared to 2019-20, and thus could not have caused injury.
- k. All the key economic parameters of the company including capacity, production, capacity utilization, sales quantity, productivity and profitability have shown exuberant performance from base year as well as preceding year.
- l. The petitioners cannot expect immediate achievement of sales and market share right after its establishment.
- m. The performance of the petitioners was impacted due to start-up cost and price of raw material.
- n. The petitioners may have suffered as they are yet to establish quality standards and brand reputation.
- o. The domestic industry has not shown how their operations are not impacted by Covid-19.
- p. The injury suffered by the domestic industry is on account of their own mismanagement and inefficiencies, as evident from the fact that it has set up capacities in excess of domestic demand.
- q. It must be considered to what extent the expenses of a trading company, which is a separate legal entity, can be considered for dumping margin, injury margin and injury analysis.
- r. It is pertinent to note that in the instant case, the distributor/trader has attempted to usurp the role of the Domestic Industry itself by claiming itself to be Domestic Industry, which is not envisaged in law.
- s. Finance expenses, employee benefit expenses and other expenses which are apportioned from Group level should be examined carefully.
- t. Non-operational expenses and expenses not attributable to the subject goods should be excluded in calculation of non-injurious price.
- u. Expenses of WGBL cannot be considered for the purpose of determination of non-injurious price.

H.2. Views of the applicants

61. The submissions made by the applicants with regard to the injury and causal link are as follows:
- a. Project report is a reliable document as it has been submitted to the Board of Directors, as well as bankers and lenders. Banks have financed the project set up by the petitioners based on such report.
 - b. Contrary to the contention of the other interested parties, project report is not merely prepared to seek relief as the document was prepared by an independent agency much before the increase in imports and decline in prices of product under consideration.
 - c. As opposed to the submissions of the other interested parties, period of investigation was not impacted by COVID-19 pandemic and hence, the project report may be compared with the actual performance.
 - d. Contrary to the submissions of other interested parties, the industry for the product under consideration did not exist in India since a long time as RMG Polyvinyl India Limited has itself submitted that it is not a producer of subject goods, Mingle Plast started production in 2018-19, Thousand Oak Innovation LLP did not start production till December 2019 and as per the market information, Responsive Industries Limited is not a producer of the subject goods.
 - e. The claim of material retardation is sustainable as the product is not merely a new product line but the petitioners have set up a new plant to produce the subject goods. The production of domestic industry as compared to domestic demand and the capacity utilization are high as the petitioners are undertaking significant exports.
 - f. As opposed to the contention of the other interested parties, the Anti-Dumping Rules authorize the Authority to examine whether subject imports have materially retarded the establishment of the domestic industry. The Authority has in the past examined material retardation to the domestic industry.
 - g. Contrary to the submissions by the other interested parties, the Panel in Morocco – Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey held that Article 3 of the Anti-Dumping Agreement does not prescribe any particular methodology for assessing whether a domestic industry is established.
 - h. Prior to setting up of capacities in India, the total demand was catered to by the imports. However, even after commencing production, the volume of subject imports increased in period of investigation.

- i. The volume of imports increased in 2018-19 and 2019-20 and declined in 2020-21 due to the pandemic and entrance of new domestic producers in the market.
- j. Imports in relation to consumption and total imports have increased during the period of investigation.
- k. Despite domestic industry having significant capacities, the subject imports hold majority of demand in India.
- l. Contrary to the contentions of the other interested parties, if fair undistorted prices in the market are restored, the petitioners will achieve higher sales and market share.
- m. Despite increase in demand in the period of investigation, the prices of subject imports declined.
- n. The domestic industry had projected a price of ₹ *** per SQM for a product without cushion backing. However, the landed price of the product with cushion backing was ***% below the projected prices of the domestic industry. The domestic industry was forced to reduce prices and sell at losses in order to gain foothold in the market.
- o. Subject imports are priced below the current cost of sales as well as potential cost of sales at ***% capacity utilization of the domestic industry.
- p. 85% of subject imports were priced below the variable cost of the domestic industry during the period of investigation.
- q. Subject imports are undercutting the prices of the domestic industry.
- r. While the capacity of the domestic industry is enough to cater to the entire demand in India, it held a minority share in demand due to presence of dumped imports in India.
- s. The size of production versus the size of domestic market may be higher, due to significant exports made by the petitioners. However, their share in the market is significantly lower, of only ***%. Similarly, the petitioners have achieved a higher degree of capacity utilization only because of its exports. If the exports are excluded, the remaining production of the petitioners would be sufficient only to allow a utilization of 8% of capacities.
- t. Even after undertaking significant exports, the inventories of the domestic industry stood at ***% of its domestic sales.
- u. At current prices, the domestic industry will incur losses, cash losses and record a negative return on capital employed at ***% capacity utilization.
- v. At current prices, the domestic industry will not be able to break-even. In order to break-even it will have to supply a volume much more than its capacity and demand in India.
- w. Since the domestic industry has been newly set up in India, the volume parameters have shown a growth. However, such growth has been slow which implies that the subject imports have retarded the establishment of the domestic industry in India.
- x. Therefore, the term material “retardation” in itself implies that the industry has witnessed some growth or development, but the growth or development is slower than it would have otherwise been. The term “retardation” does not and cannot be construed as implying that there is no or negative growth. Therefore, the argument of the respondent is completely irrelevant.
- y. The injury to the domestic industry is not due to excessive capacities as if this had been the case, the domestic industry should have catered to a substantial part of supply.
- z. The injury to the domestic industry is due to subject imports and not due to any other known factors.
- aa. The period of investigation was not impacted by COVID-19 as the demand in India, subject imports, imports from other countries and domestic sales of domestic industry increased.
- bb. Contrary to the contentions of the other interested parties, the cost of production is not impacted by the start-up cost as such cost is capitalized and not considered a part of cost of production.
- cc. The other interested parties have not substantiated their submissions with regard to injury due to raw material. While the domestic industry is able to export, it is unable to gain foothold in the domestic market, although it uses the same raw material.
- dd. The injury to the domestic industry is not due to quality standards which is evident from the fact that it is able to export but not able to sell in the domestic market. Further, it has received certifications for quality including OEKO-TEX Standard 100, ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, ISO 45001 etc.

- ee. Contrary to the submissions of the other interested parties, since WFL and WGBL are related entities, all administrative and finance expenses must be considered as done in case of a single entity. The administrative, finance and fixed selling expenses were partly incurred in WFL and partly in WGBL.
- ff. Fixed selling expenses are not post factory expenses and should be considered while determining the cost of production and non-injurious price. Annexure – III of the Anti-Dumping Rules and Manual of Operating Procedures stated that fixed selling expenses must be considered for determination of non-injurious price.

H.3. Examination by the Authority

- 62. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The Authority notes that the present case is one for material retardation of the establishment of an industry and not of material injury. There is a need to address certain legal aspects regarding the concept of 'material retardation' to the establishment of an industry prior to proceeding with the injury analysis.

H.3.1 Material retardation to the establishment of domestic industry

- 63. Article 3 of the WTO Agreement on the implementation of Article VI of the GATT provides no definition for 'material retardation'. The footnote 9 to Article 3 merely states as follows:

"Under this Agreement the term "injury" shall, unless otherwise specified, be taken to mean material injury to a domestic industry, threat of material injury to a domestic industry or material retardation of the establishment of such an industry and shall be interpreted in accordance with the provisions of this Article."

- 64. Similar is the case with the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, wherein Annexure II merely clubs 'material injury', 'threat to material injury' and 'material retardation' under the definition of 'injury'. There is no further explanation as to what constitutes material retardation to the establishment of an industry.
- 65. However, it is clear that 'material retardation' applies only to unestablished industries and not industries that are fully established. This is true because it is not logical for the Authority to find that a domestic industry was being injured by the dumped imports (which presupposed that such an industry was already established) and at the same time that the establishment of a domestic industry was materially retarded by those imports. The meaning of 'unestablished industries' has also not been provided in the Anti-Dumping Agreement, or the Act and the Rules. However, there has been a proposal at the WTO for amendment of the Anti-Dumping Agreement which provides some clarity as to the meaning of material retardation and establishment of the industry. The relevant portion of the draft proposal is as under:

"3.9. A determination of material retardation of the establishment of a domestic industry shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. An industry may be considered to be in establishment where a genuine and substantial commitment of resources has been made to domestic production of a like product not previously produced in the territory of the importing Member, but production has not yet begun or has not yet been achieved in commercial volumes. In making a determination whether an industry is in establishment, and in examining the impact of dumped imports on the establishment of that industry, the authorities may take into account evidence concerning, inter alia, installed capacity, investments made and financing obtained, and feasibility studies, investment plans or market studies."

- 66. Although the above extract is merely a proposal and not binding on the Authority, it would serve as a guidance in conducting an examination of material retardation.
- 67. The practice mentioned in the US Handbook on procedure is:

"Petitioners may allege that the establishment of an industry in the United States is materially retarded by reason of imports, or sales (or the likelihood of sales) for importation, of the subject merchandise. The statute does not define "material retardation;" however, in considering this issue in past cases, the Commission has begun by examining the question of whether the U.S. industry is "established." If U.S. producers have commenced production of the product, the industry is considered to be established if U.S. producers have "stabilized" their operations. In making this assessment, the Commission has examined the following factors: (1) when the U.S. industry began production; (2) whether the production has been steady or start-and-stop; (3) the size of domestic production compared to the size of the domestic market as a whole; (4) whether the U.S. industry has reached a reasonable "break- even point;" and (5) whether the activities are truly a new industry or merely a new product line of an established firm. If the industry is not established, the Commission considers whether the performance of the industry reflects normal start-up difficulties or whether the imports of the subject merchandise have materially retarded the establishment of the industry."

68. In Morocco – Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey, the WTO Panel has given some guidance on determining whether there is establishment of an industry. The Panel observed that Article 3.1 does not prescribe a specific methodology for determining whether an industry has been established. The Authority is allowed to use any reasonable methodology which is based on assumptions and inferences. However, these inferences must be based on facts and positive evidence.
69. The issue before the Panel was regarding the “establishment” of an industry for the purpose of determination of “material retardation”. The Panel observed that the Authority has the discretion in deciding which parameters are relevant to determine whether a new industry has been established. One of the parameters considered to be relevant by the Panel was whether the production constitutes a new ‘product line’ of an existing company. If an existing industry/company merely introduces a new product line, this may not be considered as an “unestablished industry”. To examine this factor, the Authority would have to look into the degree of overlap in the use of overall infrastructure of the producer (including customer contacts, distribution channels, existing productive, commercial, research, and administrative assets etc.). A greater degree of overlap with the old infrastructure would mean that it is less likely that a new industry has been established. The relevant portion of the Panel’s observation is as under:

“7.211. We note, at the outset, that we do not pronounce ourselves on these factors or whether they are either prescriptive or definitive for determining whether the domestic industry is unestablished. We accept that a relevant factor may be whether the domestic industry is the only producer of the like product in question in the market. At the same time, we note that whilst there could be only one producer of that product in the market, where that product constitutes merely a new “product line” of an existing industry and benefits from the existing production, marketing and other operations, such shared operations may play an important role in determining whether a distinct new industry has been established. If an existing industry chooses to introduce a new product unlike any other product currently being produced, the introduction of that new product will not necessarily result in the creation of a new industry. It may still be perceived as the introduction of a new product line into the existing industry, depending on the degree to which the overall infrastructure (including the productive, commercial, research, and administrative assets) of the existing industry is implicated. The greater the degree of overlap in the use of overall infrastructure, the less likely the perception that the introduction of the new product marks the establishment of a new industry. The fact that a domestic industry is defined by Article 4.1 of the Anti-Dumping Agreement by reference to like product, and that there are no pre-existing producers of that like product in the domestic market, does not preclude the possibility of that domestic industry utilizing existing infrastructure, such as customer contacts and distribution channels, in its introduction of that like product in the domestic market.”

70. Therefore, one of the aspects that has to be seen in determining whether or not the industry is in existence is whether the product constitutes merely a new product line within an existing industry. If this is the case, the Authority must analyse the level of overlap with the overall use of the existing infrastructure in the new product line.
71. With regard to the injury assessment, the WTO Panel has given the following guidance:

“7.233. Further, we consider that the obligation in Article 3.4 to evaluate each of the listed 15 injury factors applies as much to an investigation of injury in the form of material retardation as it does to that of material injury or threat of material injury. This is so for the following reason: Article 3.1, read in light of footnote 9 of the Anti-Dumping Agreement, requires that a determination of material retardation be based on positive evidence and objective examination of inter alia “the consequent impact of [dumped] imports on domestic producers”. As explained above, the examination of the impact of dumped imports on domestic industry, in turn, must, in accordance with the terms of Article 3.4, include an evaluation of all relevant factors including the 15 injury factors listed in that provision. It follows that a determination of material retardation must be based on an examination of the impact of dumped imports on domestic producers, and that examination must include an evaluation of the 15 injury factors listed in Article 3.4. Our approach is consistent with the finding by the panel in Egypt – Steel Rebar that “the Article 3.4 factors must be examined in every investigation, no matter which particular manifestation or form of injury is at issue in a given investigation”. Nothing in the text of Article 3 supports Morocco’s argument that an investigating authority is not required to address the Article 3.4 factors “with the same rigor” in a material retardation analysis as in a material injury analysis.”

H.3.2 Material retardation to establishment of the domestic industry in the present investigation

72. The Authority notes that prior to the commencement of production in India, the entire demand for the subject good in India was being satisfied by the imports. The Indian industry started production during the injury period. The domestic industry started commercial production in September 2019. Apart from the domestic industry there are two other domestic producers of the subject goods in India. In order to ascertain whether the domestic industry is an unestablished industry or an existing industry, the Authority has examined the following factors:

a. **Commencement of production by the domestic industry.**

73. The domestic industry (i.e. WFL) and the other known Indian producers started commercial production during the injury period. Although the production of the subject goods has commenced in India, yet their performances are much below the projected figure. The production of the domestic industry during the year 2020-21 was ***% of the projected production as given in the project report for the year 2021. The domestic industry has not even achieved the projected figure of production of 2020-21 in POI. Similarly, domestic sales were ***% in 2020-21 and ***% in POI of the projected domestic sales for the year 2020-21 and 2021-22 respectively.

b. **Whether the production of the subject goods is merely a new product line in an existing industry?**

74. The WTO Panel has observed that if the production of the industry is merely a new product line in an existing industry, it may not be a case of material retardation. However, the Panel stressed that what is important is the degree to which the existing infrastructure is utilized for the production of the product under consideration. The domestic industry had set up a new manufacturing plant for the subject goods and started commercial production in September, 2019.
75. As noted above, the WTO Panel has observed that what is important is not the introduction of a new product line itself, but rather the degree of overlap with the existing infrastructure of the industry. The Authority also notes that since a new plant/production line is being set up to manufacture the subject goods, there is no overlap between the existing infrastructure of the industry and new plant that has been setup.

c. **Size of production compared to size of domestic market as a whole**

76. The domestic industry set up capacities during the injury period. The market share of the domestic industry is ***% while the market share of the Indian industry is ***%. However, as against a production of *** lakh square meters, the domestic industry has been able to sell only *** lakh square meters in the domestic market. The production of the domestic industry was sufficient to cater to a much larger share of the market. Further, the domestic industry is holding inventories of *** lakh square meters. The inventories held by the domestic industry at the end of the POI were alone sufficient to cater to an additional ***% of the market. This shows that the imports have prevented the domestic industry from supplying its production in the market. The subject imports command majority of market in India and the market share held by the subject imports is 42%.

d. **Stability of production**

77. The Authority notes that the production of the domestic industry started during the injury period. The analysis of the production and sales of the domestic industry shows that it has failed to achieve the projected market share and production. Further, the domestic industry had not even set up full capacities during the POI. As against the capacity of *** lakh square meters projected, the domestic industry had set up capacity of only *** lakh square meters during the POI.
78. It is further noted that the capacity utilization of the domestic industry has remained low. Even after setting up partial capacity, the domestic industry has not been able to utilize the same capacity fully.
79. As regards the contention that the production, capacity utilization, market share and sales of the domestic industry have increased in the POI as compared to the previous year, the Authority notes that the performance of the domestic industry is expected to improve considering that it had recently commenced production of the subject goods. Any producer is expected to take steps to improve its performance as regards its production and sales over the period. As a result, thereof, the capacity utilization gradually improves. Thus, the increase in production and sales over the injury period is clearly reflective of the efforts made by the domestic industry to establish itself in the market. However, the capacity utilization has been significantly below the projected levels.
80. The Authority further notes that the phrase retardation means the process of making something happen or develop slower than it should be. Thus, in order to examine whether the imports have materially retarded the establishment of industry, the relevant aspect is not whether the industry showed some progress or made profits but the relevant aspect is its performance as against the projections made in project report. For this purpose, the Authority has compared the actual performance of the domestic industry with its projected performance.

H.3.3 Assessment of demand / apparent consumption

81. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand, or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry, other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Domestic industry	SQM	-	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	1415	1806
Sales of other producers	SQM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	167	1840	1840
Subject imports	SQM	2,04,123	4,92,221	2,18,861	3,49,237
Other imports	SQM	80,467	76,464	56,169	66,806
Demand	SQM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	207	211	289

H.3.4 Volume effect of the dumped imports

82. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The year wise import data from the subject countries and other countries are given in the tables below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Subject imports	SQM	2,04,123	4,92,221	2,18,861	3,49,237
China	SQM	1,71,333	4,47,893	2,07,875	3,24,617
Taiwan	SQM	32,790	44,328	10,986	24,620
Other imports	SQM	80,467	76,464	56,169	66,806
Total	SQM	2,84,590	5,68,685	2,75,030	4,16,043
Subject imports in relation to					
Domestic production	%	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	100	2.50	0.13	0.11
Consumption	%	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	100	117	51	59

83. It is noted that:

- The subject imports decreased in 2020-21 as compared to 2019-20. However, the subject imports have increased once again in the period of investigation.
- The subject imports in relation to consumption have remained high even after the domestic industry started commercial production in September 2019 in India.
- The subject imports account for majority of imports into India.

H.3.5 Price effect of the dumped imports

84. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on the prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a) Price undercutting

85. The price undercutting has been assessed by comparing the landed price of imports with the price at which the product has been sold by the domestic industry or offered for sale in India. Details of price undercutting are given in table below:

Particulars	Unit	Amount
China PR		
Net Sales Realization	₹/SQM	***
Landed Price	₹/SQM	640
Price undercutting	₹/SQN	***
Price undercutting	%	***%
Price undercutting	Range	20-30
Taiwan		
Net Sales Realization	₹/SQM	***
Landed Price	₹/SQM	685
Price undercutting	₹/SQN	***
Price undercutting	%	***%
Price undercutting	Range	20-30
Subject countries		
Net Sales Realization	₹/SQM	***
Landed Price	₹/SQM	643
Price undercutting	₹/SQN	***
Price undercutting	%	***%
Price undercutting	Range	20-30

The Authority notes that the price undercutting is positive and substantial.

86. Since the domestic industry is at a nascent stage, the price undercutting has also been assessed based on the target prices as per project report of the domestic industry.

Particulars	Unit	Amount
Target Price as per project report	₹/Kg	***
Landed Price (during the POI)	₹/Kg	643
Price undercutting	₹/Kg	***
Price undercutting	%	***%
Price undercutting	Range	40-50

87. It is noted that the landed price of imports is much below the target selling price of the domestic industry. The price undercutting is positive and significant when compared to the actual selling price of the domestic industry as well as the target price of the domestic industry.

b) Decline in import prices

88. The Authority notes the trend of landed prices of imports as below.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Subject imports	₹/SQM	680	711	634	643
Other imports	₹/SQM	883	1,109	1,102	1,042
Subject import prices as % of third country prices	%	77	64	58	62

89. The prices of imports from subject countries have declined during POI as compared to base year, whereas, the prices of imports from other countries have increased. It is further noted that prices of subject imports are significantly lower as compared to third country's import prices. The Authority also notes that the prices of imports from third countries are higher than the cost of sales and target prices of the domestic industry. The prices of subject imports are much lower, which creates a strain on the prices of the domestic industry.

c) Price suppression / depression

90. Since the domestic industry is at a nascent stage, in order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress the prices to a significant degree or prevent the price increase which otherwise would have occurred in the normal course. The table below shows the cost of sale, selling price and landed price of PUC during POI:

Particulars	Unit	Amount
Cost of sales	₹/SQM	***
Landed Price	₹/SQM	643
Selling price	₹/SQM	***
Target selling price as per project report	₹/SQM	***

It is noted that landed price of imports during the period of investigation was below the cost of sale and selling price of PUC. The selling price of domestic industry is below the target price of the domestic industry. The landed price is causing a strain on the prices of the domestic industry and the domestic industry will not be able to fetch its target price.

H.3.6 Economic parameters of the domestic industry

91. Annexure II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on the domestic industry, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on capital employed or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed hereinbelow.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

92. The performance of the domestic industry with regard to production, capacity, capacity utilization and sales are as follows.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI	Projected (2021-22)
Capacity	SQM	-	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	450	675	1,191
Production	SQM	-	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	1571	3046	7,292
Capacity utilization	SQM	-	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	-	100	363	472	612
DI						
Domestic Sales	SQM	-	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	1415	1806	24,579

93. It is noted that:

- a. Since the domestic industry has commenced production during the injury period, the capacity, production, capacity utilization and sales have increased over the period of investigation.
- b. During the period of investigation, the production of the domestic industry is 7 times the domestic sales of the domestic industry. The domestic industry has relied upon exports to dispose of its production. The domestic industry is unable to sell its products in the domestic market.
- c. The domestic industry has not been able to achieve the projected capacity utilization of ***% during the POI. The capacity utilization of the domestic industry has remained low. This is despite the fact that the domestic industry had not set up the full capacities that it had projected.
- d. Domestic industry's production during the year 2020-21 is much below the projected production of *** SQM as given in the project report. This is ***% of the projected production. Even in POI, domestic industry has not been able to achieve the projected figure of production for the year 2020-21.

b) Market share

94. The market share of the domestic industry of the subject imports in the period of investigation was as shown in table below.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Subject imports	%	71%	83%	36%	42%
Trend	Indexed	100	116	51	59
Other imports	%	28%	13%	9%	8%
Trend	Indexed	100	46	33	29
Sales of domestic industry	%	-	***%	***%	***%
Trend	Indexed		100	1390	1294
Sales of other producers	%	***%	***%	***%	***%
Trend	Indexed	100	80	954	572

95. It is noted that the subject imports are holding a significant share of market in India throughout the injury period. Since there was no production in the past, the imports from subject countries and other sources were catering to the entirety of the demand. Even after the domestic industry has started production, the subject imports have commanded a significant share of the Indian market.

c) Inventories

96. The inventory position of domestic industry during the period of investigation is given in the table below.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Opening inventory	SQM	-	***	***	***
Closing inventory	SQM	-	***	***	***
Average inventory	SQM	-	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	211	118

97. It is noted that the average inventories of the domestic industry have increased in 2020-21 and decreased in POI. The inventory data indicates stock piling of inventories, with the average inventories being about 6 months of domestic sales.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

98. Since the domestic industry is at a nascent stage, in order to analyse the profitability, cash profits and return on capital employed of the domestic industry, the Authority has compared projected profitability with the performance of the domestic industry in the POI.

Particulars	Unit	POI	As per project report at (2021-22)	Performance in POI as compared to Project Report
Quantity sold (Domestic)	SQM	***	***	-93%
Cost of Sales	₹/SQM	***	***	14%
Selling price	₹/SQM	***	***	-12%
Profit / (loss)	₹/SQM	***	***	-87%
Profits/ (loss)	₹ Lacs	***	***	-99%
Cash profits	₹ Lacs	***	***	-99%
Return on capital employed	%	***	***	-89%

99. It is noted that:

- The profitability of the domestic industry has considerably suffered as it has made only a meagre return on capital employed ***% as against the project figure of ***% for the year 2021-22.
- The domestic industry has earned only 1% of projected profits and cash profits during POI.

e) Employment, wages and productivity

100. Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
No of employees	No.	-	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	123	119
Productivity per day	SQM/Day	-	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	827	1,603
Wages	₹ lakhs	-	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	738	831

101. It is noted that the domestic industry has commenced production in the injury period and accordingly, the number of employees, wages and productivity per day has increased.

f) Growth

Particulars	Unit	2018-19	2019-20 (A)	2020-21	POI
Capacity	%	-	-	144	50
Production	%	-	-	751	94
Domestic Sales	%	-	-	1240	28
Profit/loss per unit	%	-	-	100	859
Cash profits	%	-	-	101	48
Return on capital employed	%	-	-	124	64

102. (a) While the year-on-year growth parameters are positive, the domestic industry has incurred losses, cash losses and recorded a negative return on capital employed during the year 2019-20.
- (b) The profitability of the domestic industry is much below the projection as it has made only meagre return on capital employed ***% as against the project figure of ***% for the year 2021-22.
- (c) The domestic industry has earned only 1% of projected profits and cash profits during POI.

g) Ability to raise capital investment

103. The profitability is low, so is return on capital employed and market share. This indicates that the ability of the domestic industry to raise fresh capital investments has been adversely impacted due to the subject imports.

h) Factors Affecting Prices

104. The domestic industry is unable to fetch target prices despite having sufficient capacity. The subject imports have adversely impacted the prices of the domestic industry.

i) Magnitude of dumping

105. The Authority notes that the subject goods are being dumped into India and the dumping margin is positive and significant.

H.3.7 Magnitude of injury margin

106. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.
107. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below.

SN	Name of Producer	Non-injurious price	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		(US\$/Sq. Mtrs)	(US\$/Sq. Mtrs)	(US\$/Sq. Mtrs)	(%)	(Range%)
China PR						
1	All exporters	***	***	***	***%	20-30
Taiwan%						
1	All exporters	***	***	***	***%	10-20

H 3.8 Overall assessment of injury

108. The examination of the imports of the product under consideration and performance of domestic industry clearly shows that:
- The imports have remained high over the injury period and increased in POI compared to 2020-21.
 - The imports have remained high in relation to consumption in India.
 - Despite commencement of commercial production by the domestic industry, the volume of subject imports has increased in the period of investigation.
 - The price undercutting is positive when compared to the actual and target price of the domestic industry.
 - The price of imports from subject countries has declined over the period, while the price of imports from other countries has increased.

- vi. Since landed price is below the actual cost of sale, the import price is causing a strain on the prices of domestic industry.
- vii. Since the domestic industry has recently commenced production, the capacity, capacity utilization, production and sales have increased over the period of investigation.
- viii. The subject imports are holding substantial share of Indian market.
- ix. The inventories of the domestic industry have increased in 2020-21 and decreased in period of investigation. However, inventory holding period is very high.
- x. As compared to projected profits, cash profits and positive return on capital employed, the current performance of domestic industry during the POI is significantly on lower side.
- xi. The subject imports are being dumped in India and the dumping margin is positive and significant.
- xii. The imports have adversely impacted the domestic industry ability to raise capital investment.
- xiii. At current prices, the domestic industry will not be able to achieve its target performance.

I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS AND CASUAL LINK

109. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules.

a) Volume and value of imports from third countries

110. It is noted that the other than the subject imports, the major imports are from Korea RP. However, such imports are priced much more than the prices of subject imports and the selling price of the domestic industry. Other than imports from the subject countries and Korea RP, the imports from other countries are negligible in volume. Thus, it cannot be said that the imports from other countries are causing injury.

b) Contraction in demand

111. The Authority notes that there is no contraction in demand as the demand of the subject goods in the country has increased over the injury period and POI.

c) Pattern of consumption

112. It is noted that there has been favorable change in the consumption pattern leading to significant increase in the consumption of the subject goods.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

113. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or the trade restrictive practices have changed.

e) Developments in technology

114. The Authority notes that there was no significant change in technology.

f) Productivity

115. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has increased over the injury period.

g) Export performance of the domestic industry

116. The Authority notes that the injury analysis is only limited to domestic performance and the effect of the export performance is excluded from the same.

h) Performance of other products

117. The Authority has only considered the data relating to the performance of the subject goods.

i) COVID-19

118. Some of the interested parties have claimed that the injury to the domestic industry may be due to COVID-19 and the project report of the domestic industry cannot be compared to the actual performance of the domestic industry. The demand, subject imports, and domestic sales of the domestic industry have increased in the period of investigation which makes it evident that the Indian market was not impacted by the COVID-19.

j) Start-up cost and price of raw material

119. Some of the interested parties have submitted that the injury to the domestic industry is due to start-up cost and price of raw material. The Authority notes the start-up cost is capitalized and not included in the cost of production.

Conclusions on causal link

120. While other known factors listed under the Rules have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by the dumped imports.
- There is significant dumping of the subject goods in India.
 - The volume of dumped imports has increased even though the domestic industry commenced commercial production. The volume of subject imports has remained high in relation to consumption in India.
 - The subject imports hold substantial market share in India.
 - The price undercutting is positive when compared to the actual and target price of the domestic industry.
 - The landed price is below the actual cost of sales of the domestic industry.
 - The inventories of the domestic industry have increased in 2020-21 and decreased in period of investigation. However, inventory holding period is very high.
 - The profitability of the domestic industry has considerably suffered as it has made only meagre return on capital employed ***% as against the project figure of ***%. for the year 2021-22.
 - The imports have adversely impacted the domestic industry ability to raise capital investment.
 - At current prices, the domestic industry will not be able to achieve its target performance.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**J.1. Views of the other interested parties**

121. The submissions made by the other interested parties with regards to Indian industry's interest are as follows:
- Imports have taken place in order to meet the demand-supply gap in the country.

J.2. Views of the applicants

122. The submissions made by the applicants with regards to Indian industry's interest are as follows:
- Public interest must be examined from the perspective of interests of different set of parties including domestic producers of subject goods, domestic consumers, upstream and downstream industry and the general public.
 - Since the Indian industry is at a nascent stage it needs to develop its customer base. If it is not able to compete in the market, it would have to close down.
 - The domestic industry has invested Rs. *** crores to set up a new plant, in case such investments become unremunerative, it will discourage further investment in the product. This will make India completely dependent upon imports.
 - The imposition of anti-dumping duty will not impact the supply of subject goods in India as the domestic producers have capacity and production sufficient to cater to entire demand in the country.
 - In the past material retardation cases, the domestic industry was able to establish once the anti-dumping duty were levied.
 - In case of closure of the Indian industry, the consumers will be left at mercy of the exporters which are likely to increase prices. This is evident from the fact that the import price was much higher before commencement of production in India.
 - The domestic industry faces unfair competition from the producers who are receiving significant subsidies from the Government of China PR. Such support has had a detrimental effect on the conditions of competition in India.

J.3. Examination by the Authority

123. As per the data available on record, the domestic industry has enough capacity to cater to entire demand in India. Further, the production of the domestic industry is higher than the demand in India, however, it is unable to sell its goods in the domestic market. Thus, there is no demand-supply gap in India.

124. The Authority recognizes that the imposition of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, the fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of the anti-dumping measures. On the contrary, the imposition of the anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices, improve the performance of the domestic industry and help maintain the availability of a wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of the anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to reestablish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The imposition of the anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict the imports from the subject country in any way and, therefore, would not affect the availability of the product under consideration to the consumers.

K. Post-Disclosure Comments

K.1. Submissions made by the other interested parties

- i. There is no difference between net sales realization price (NSR) of the domestic industry and non-injurious price (NIP), as both undercutting and injury margin are in the same range. This shows that domestic industry is able to sell the subject goods at the non-injurious price of subject goods.
- ii. The Authority is consistently not recommending any duty, wherein the Domestic Industry is recovering more than the computed NIP (i.e., where NSR is more than NIP). Since the Domestic Industry is recovering more than NIP, there is no question of any adverse price impact on Domestic Industry. The Domestic Industry is earning more than the price which according to the Authority is sufficient to remove injury.
- iii. The financial performance of the applicant industry is very robust post normalization of the market post COVID.
- iv. The proposal of consideration of a non-producing company i.e., WGBL in the scope of the Domestic Industry and subsequently for injury analysis, is neither allowed as per the Rules nor as per the practice of the Hon'ble Authority.
- v. The issue that the holistic injury analysis cannot be made without WGBL, it is noted that the issue has been examined in details in the 'injury & causal link' section of the final findings of case of Coated / Plated Tin Mill Flat Rolled Steel Products originating in or exported from the European Union, Japan, USA and Korea RP [F. No. 6/9/2019-DGTR dated 17.06.2020. The interested parties have made submissions concerning the requirement of a closer examination of the transfer pricing of hot rolled steel products between TCIL and Tata Steel. In this regard, the Authority has duly examined the transfer pricing of hot-rolled steel products for both JSW Vallabh and TCIL in detail. The authority notes that the pricing of hot-rolled steel products between Tata Steel and TCIL and also between JSW Steel and JSW Vallabh has been done appropriately and at arm's length pricing.
- vi. Reference of adjustment in export price given by the applicants for consideration of trading entity as part of applicants is incorrect and contrary to the provisions of the Law.
- vii. Product not manufactured by the applicant should be excluded. The applicants are not producing luxury vinyl tiles, but are producing stone plate casting. Therefore, LVT must be excluded from the scope of the product under consideration.
- viii. Normal value and NIP must be calculated based on the PCN-wise and bifurcation of the imports into India based on the price range of the PCN-wise data filed by importers or product under consideration sold by the Domestic Industry must be done.
- ix. It is to be noted that all the key parameters of injury have been on an upward trajectory or depicted a strong level and such trends cannot be termed as situation of material retardation in any manner.
- x. It is emphasized here that the domestic industry has not provided any meaningful non-confidential summary of the project report to allow the interested parties to provide any effective rebuttal or comments to the same.
- xi. Project report is an internal document for taking loans from the bank and the same cannot be treated as a parameter for making assessment of the applicant's actual performance.
- xii. The material retardation shall be examined where there is newly established industry not the company. In the present investigation, the industry is already in existence since 2015.
- xiii. Mingle Plast Pvt. Ltd., Responsive Industries Limited and RMG Polyvinyl India Limited have been producing the PUC since 2015.

- xiv. In a material retardation case, the Designated Authority should examine whether the petitioner was yet to find its way in the market or was already established. No sufficient data is submitted to justify the claim of material retardation.
- xv. In the present investigation, there is a high likelihood that it would dominate the market and would create barriers for market entry, which is harmful to the competitive environment and healthy development of the industry of India.
- xvi. In the determination of the NIP, the Authority is giving undue protection to the domestic industry by applying 22% Return on Capital Employed which was designed in 1987.

K.2. Submissions by the applicants

- i. The volume of imports had already increased by 60% in the period of investigation as compared to the previous year. However, between October 2021 to March 2022, the imports increased further by 236%.
- ii. The amount of dumping margin and current import price are comparable to the target selling price of the domestic industry. It would be noted that the domestic industry is not able to achieve its target selling price only on account of dumping.
- iii. Since the present case is that of material retardation and not material injury, the domestic industry has been denied the target price which it would have achieved in case there was no dumping in India.
- iv. The poor performance of the domestic industry is only on account of dumping. In case there was no dumping in India, it would have allowed the domestic industry to earn significantly higher sales, production, capacity utilisation, profits and return.
- v. The ratio of price of subject imports to price of other imports has reduced, which implies that dumped import prices have reduced in relation to price of imports from undumped sources.
- vi. The current import prices have made it impossible for the domestic industry to break-even.
- vii. If the data for both WFL and WGBL is considered, it would show that the domestic industry is facing negative returns on its investment.
- viii. The product scope may kindly be defined with reference to tolerance, to avoid circumvention. Further, it may be clarified that the thickness of the product is calculated after excluding IXPE or any other type of foam.
- ix. While the petitioners had explained why the marketing company should be included in the scope of domestic industry, it was not aware that the Authority intended to exclude.
- x. The present approach would imply that the determination of injury margin and price undercutting does not require a fair comparison. In any case, the Authority considers disregards the price of sale to related importer, for the determination of landed price as well, which is not governed by the provisions of Section 9A(1)(b) or fair comparison
- xi. When goods are transferred by WFL to WGBL, there is no physical movement that takes place. The goods remain in the warehouse within the factory gate. It is only when the goods are sold by WGBL to independent customer, that the goods move out of the factory gate. WGBL pays rent to WFL for keeping the goods within its premises.
- xii. The nature of activities actually carried out by WGBL makes it evident that it cannot be treated as merely a marketing entity. Significant portion of the expenses have been incurred by WGBL and provides the more skilled expertise to the production and sale process.
- xiii. The petitioners have relied on two investigations undertaken by the European Commission (Council Regulation (EC) No. 1683/2004, dated 24th September 2004 and Preliminary Findings vide Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1559, dated 18th September 2015). Such preliminary findings were affirmed by the EC in its Final Findings issued vide Commission Implementing Regulation (EU) 2016/388, dated 17th March 2016 whereby it is claimed that the related parties of the domestic producers were treated as a part of the domestic industry.
- xiv. If the domestic industry is able to sell the subject goods at a price equivalent to the price of imports from other countries, or the undumped landed price of the subject countries, its performance would be much higher.
- xv. Target price of the product should be the basis for determination of injury margin.
- xvi. The price of imports declined post commencement of production by WFL.

- xvii. The Authority also evaluates the eligibility of domestic producers with reference to related exporters, which implies consideration of such entities as a single economic entity, exercising control over the business of the other.
- xviii. A producer cannot be limited to an entity engaged in conversion of raw material into finished product. Production is much wider concept and is not limited to merely processing to convert a raw material into a finished product. The definition of domestic industry cannot be restricted to a producer engaged in manufacture, but includes a producer engaged in any activity connected therewith.
- xix. Even if WGBL is not considered as a manufacturer in the present case, it is well connected to the activities related to production and should be a part of the domestic industry for the present investigation.
- xx. It was also emphasized that transfer by WFL to WGBL is similar to captive consumption by a producer.
- xxi. The concept of single economic entity is not a new concept developed by the petitioners for the present investigation, but is a part of various statutes in India wherein it is necessary that the related parties are considered as one entity due to the peculiar nature of their relationship.
- xxii. It is necessary to take into account the treatment of transfer price in the books of accounts of the group company. WIL is also a petitioner in the present case. While analysis of the consolidated books of accounts provides, a broad and more realistic view.
- xxiii. Landed price is not always determined at ex-customs level. In case of import by a related importer of the exporter, the landed price is construed on the basis of the resale price of the importer, or adjusted for the loss of the related importer.
- xxiv. The Generally Accepted Accounting Principles in India needs to be considered which require that even when a party transfers goods to its related party, it must book the same as revenue. However, such revenue is ultimately nullified when the accounts of all related parties are consolidated.
- xxv. Further, the Disclosure Statement is self-contradictory, inasmuch as elsewhere, the Authority has itself considered the petitioners to constitute a single entity.
- xxvi. The petitioners request disclosure of the adjustments made to export price.
- xxvii. As noted by the Authority in the Disclosure Statement, the imports had increased during the period of investigation itself. However, in the subsequent period, the volume of imports has increased substantially.
- xxviii. The petitioners submit that as of now, it is being construed as if Rule 2(b) defines domestic industry in the context of domestic producers, being individual legal entities. However, the language of the law does not refer to the status or nature of the entity constituting producer at all. Further, even the past practice of the Designated Authority does not indicate a domestic producer must be an individual legal entity. In the past, the Authority has considered partnership firms as domestic producers forming part of domestic industry. However, a partnership firm is not a legal entity at all, though it is an economic entity.
- xxix. DI has also stated that vide notification dated 23rd November 1995 and that dated 25th October 1995, Venezuela and Hong Kong respectively sought clarification with regard to meaning and reason for inclusion of “and any activity connected therewith” in addition to the definition mentioned in WTO AD agreement. In response, India has stated that “*The intention is to cover domestic producers as a whole of like products whether engaged in manufacture or any activity connected therewith.*” Thus, both such entities would constitute domestic industry, for the purposes of Rule 2(b) and Annexure – III to the Rules.
- xxx. The view expressed by the High Court that the activity in question constituted “production” has been affirmed by this Court in Sesa Goa’s case saying that the High Court’s opinion was unimpeachable. It was held by this Court that the word “production” is wider in ambit and it has a wider connotation than the word “manufacture”. It was held that while every manufacture can constitute production, every production did not amount to manufacture.”
- xxxi. Further the Disclosure Statement indicates that the status of foreign producers, exporters and importers is different on account of their status under Section 9A(1)(b). However, the same is not true. Provisions of Section 9A(1)(b) refer to only the transaction between an exporter and a related importer. However, the petitioners have provided evidence with regard to the following.
 - a. Two related foreign producers
 - b. Foreign producer and related exporter
 - c. Foreign producer and related importer

d. Award of one dumping margin to a group of companies

- xxxii. Determination of price undercutting based on transfer price of WFL is not appropriate in the present investigation. This is due to the fact that the transfer price of WFL to WGBL is not influenced by market competition. In such a case, determining price undercutting based on transfer price of WFL would not show effect of dumping on the prices.
- xxxiii. In respect of NIP, it has been stated that the actual capacity utilization, actual raw material consumption and actual utilities consumption should be adopted for determining non-injurious price. Expenditure like salary & wages, other manufacturing overhead, other administration overhead fixed qua the company, and not qua the product, these expenses should not be treated as fixed qua the product. Expenses incurred by WGBL should be considered. certain income has been wrongly deducted from cost by DI in its claim. At present, the non-injurious price is grossly understated there is a need for re-determination of non-injurious price.
- xxxiv. Production of the domestic industry is not low due to start-up operations. Production of the domestic industry is low due to dumping.

K.3. Examination by the Authority

125. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the other interested parties and applicants, and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings.
126. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below;
127. With respect to the claim that the authority does not recommend any duty, wherein the Domestic Industry is recovering more than the computed NIP, the Authority notes that present case is of material retardation to the establishment of the domestic industry. There is positive and significant price undercutting that may force the domestic industry to lower its prices, subsequently, threatening the establishment of the domestic industry. The presence or absence of material injury is not decided only on the basis of fact whether net sales realization is lower or higher than non-injurious price but also other factors. In fact, as per lesser duty rule, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. In this instance case, as mentioned in the analysis above, it is noted that dumping margin and injury margin is positive. The domestic industry has been prevented from selling the product at its target price. With regard to price effect on account of such dumped imports and its impact on the domestic industry, the analysis as mentioned above indicates that the imports have materially retarded the establishment of domestic industry in India.
128. As regards the methodology adopted for computation of normal value, the same has been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings.
129. With regard to non-computation of normal value and NIP based on the PCNs, the same was examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings.
130. With respect to the request that the product scope may kindly be defined with reference to tolerance, the Authority notes that the product scope cannot be enlarged at this stage. Further it is clarified that the thickness of the product is calculated after excluding IXPE or any other type of foam.
131. With respect to the claim of the applicants that the disclosure statement is self-contradictory as Authority has itself considered the petitioners to constitute a single entity in the confidentiality section, the authority notes that the term 'single entity' is used for WFL only.
132. With respect to the request by the applicants for disclosure of adjustments to export price, it is noted that none of the exporters/producers cooperated during the investigation. The adjustments have been made on account of ocean freight, bank charges, inland freight and commission based on facts available.
133. With regard to the applicants' argument that as per past practice of the Authority a partnership firm is treated as a domestic industry even though certain members of the partnership firm may not be producing the subject goods, it is noted that the present investigation does not pertain to partnership firm and question of individual legal entities. Since, the issue pertains to non-consideration of a marketing company as DI in light of Rule 2(b), the contention of the petitioner is irrelevant.
134. As regard the contention of the applicants that the goods remain within the factory premises of WFL, when sold to WGBL. It is noted by the Authority that WFL is issuing sales invoice when goods are sold to WGBL. Payment of rent by WGBL to WFL for warehouse owned by WFL does not mean that the goods are not transferred and ownership does not gets transferred.

135. With respect to the argument of the applicants that the adjustments made by the Authority for transactions between foreign producers, related exporters and related imports is not covered under Section 9A(1)(b), the authority has addressed the said arguments in the relevant portion of this final findings. Further, in relation to awarding a common dumping margin to a group of related companies, the Authority notes that this issue has also been addressed in the relevant portion of the final findings.
136. With regard to comments on NIP, the Authority had calculated NIP on the basis of data/information and other submissions of DI on the basis of principles laid down in Annexure-III of the Rules.
137. With regard to the contention that the Authority is giving undue protection to the domestic industry by applying 22% Return on Capital Employed it is noted that it has been the consistent practice of the Authority in the anti-dumping investigations.
138. As regards the two investigations of European Union referred by applicants, it is noted that DGTR is not bound to follow the decisions made by foreign authorities. Even if the related rules and practices are same, it may have some persuasive value but is not at all binding. It is further noted that the two investigations cited by the applicants pertain to investigations of material injury to an already established industry whereas the subject investigation has been carried out to determine the claim of material retardation. Therefore, these two cases being case of material injury can't be equated on the same footing as regards the subject investigation which is a case of material retardation.
139. As regards consolidated accounts prepared by WIL, it is the requirement of law that the holding company should prepare consolidated accounts. Preparation of consolidated accounts does not mean that the companies within the group are not a separate legal entity.

L. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

140. Having regard to the contentions raised, the information provided, the submissions made and the facts available before the Authority as recorded in the above findings, the Authority concludes that:
 - a. The product under consideration has been exported to India at a price below the normal value. The dumping margin is positive and significant.
 - b. The dumping of the subject goods has materially retarded the establishment of domestic industry in India.
 - c. The volume of the subject imports has increased even after commencement of the commercial production in India.
 - d. The price of imports declined over the period and is undercutting the prices of the domestic industry.
 - e. The imports are priced below the target prices of the domestic industry and have prevented the domestic industry from achieving its target price.
 - f. At current prices, the domestic industry will not be able to achieve its target performance.
 - g. The capacity of the domestic industry is underutilized.
 - h. Despite underutilized capacities, the domestic industry has not been able to sell even to the limited extent it has produced. The domestic industry is faced with significant inventories, even after undertaking significant exports.
 - i. The performance of the domestic industry with regard to its profits, cash profits and return on investment is significantly lower than that projected by it.
 - j. The dumped imports are adversely affecting the prices of the domestic industry.
 - k. The material retardation to the establishment of the domestic industry in India is caused by the dumped imports.
 - l. There is no evidence to show that the imposition of anti-dumping duty would materially impact the consumers or the downstream industry or the public at large.
 - m. On the basis of the information provided by the interested parties and the investigation conducted, the Authority is of the view that imposition of the anti-dumping duty will not be against the public interest.
141. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, the exporters, the importers and the other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of the anti-dumping duty is required to offset the

dumping and consequent injury. The Authority considers it necessary to recommend imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

142. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of the anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject countries, for a period of 5 years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below.

Duty Table

Sl. No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3918	Luxury Vinyl Tiles*	China PR	Any country, including China PR	Any	2.05	Square Meter	USD
2	-do-	-do-	Any country other than China PR or Taiwan	China PR	Any	2.05	Square Meter	USD
3	-do-	-do-	Taiwan	Any country, including Taiwan	Any	1.44	Square Meter	USD
4	-do-	-do-	Any country other than China PR or Taiwan	Taiwan	Any	1.44	Square Meter	USD

*“Vinyl Tiles other than in roll or sheet form” having minimum tile thickness of 2.5 mm and a maximum tile thickness of 8 mm (without considering the cushion), with protective layer having thickness in range of 0.15 mm to 0.7 mm; also known in market parlance as luxury vinyl tiles, luxury vinyl flooring, stone plastic composite, SPC, PVC flooring tiles, PVC tiles, rigid vinyl tiles or rigid vinyl flooring.

143. The landed value of the imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of the customs duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

M. FURTHER PROCEDURE

144. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority